

## **भाग- 1**

**सूचना का अधिकार अधिनियम  
2005  
का  
मेन्युअल  
(धारा 4 के अन्तर्गत)**

**भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास  
मध्यप्रदेश शासन**

**संकलनकर्ता :-**

---

**संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, पुरानी विधान सभा परिसर,  
भोपाल 462003 म.प्र.**

## सूचना का अधिकार अधिनियम -2005

### (क्रमांक 22 सन 2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 15 जून 2005 को प्राप्त हो गई है। यह भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खण्ड-1 पार्ट-2 अनुभाग-1 जून 21, 2005 में प्रकाशित की गई है।

यह अधिनियम प्रत्येक लोक अधिकारी (**Public Authority**) के क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों की सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना अयोग के गठन तथा सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करने तथा उससे संबंध स्थापित करने के लिये है।

अधिनियम के अध्याय-2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों के दायित्व के अंतर्गत यह अनिवार्यतया आपेक्षित है कि :

(अ) प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपना समस्त अभिलेख (रिकार्ड) सम्यक रूप से सूची, सारणी, तालिकाबद्ध, अनुक्रमणिका, अभिसूचना, रीति तथा प्रारूप में बनाये रखें जिससे कि इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सरल, आसान एवं सुविधाजन्य बनाया जाये। वे यह सुनिश्चित करें कि समस्त अभिलेख कम्प्यूटरीकृत कर और समस्त देश में विभिन्न पद्धतियों से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ हो जिससे कि येसे अभिलेख तक पहुँच आसान, सरल एवं सुविधाजनक बनाई जा सके।

(ब) इस अधिनियम के अधिनियमित होने के दिनांक से 120 दिनों के भीतर प्रत्येक लोक अधिकारी निम्नलिखित का प्रकाशन करेगा।

1. उसके संगठन, कृत्य तथा कर्तव्यों की विशिष्टतायें।
2. उसके अधिकारीगण तथा कर्मचारी/कर्मकार, नियोजितों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
3. विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही का माध्यम सारणी।
4. उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा मापदण्ड/प्रतिमान निश्चित करना।
5. उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों, नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों, विनियमों अनुदेशों, मेन्युअल्स और अभिलेखों की सूची।
6. उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।
7. उसकी नीति के सूत्रीयकरण, प्रतिपादन अथवा उसके कार्यान्वयन, परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो कि लोक सदस्यों द्वारा परामर्श किये जाने के लिये या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये मौजूद हैं/अस्तित्व में हैं।
8. उन बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये, रखे गये हैं, का विवरण और इस बात का विवरण कि उन बोर्डों, परिषदों कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिये सार्वजनिक रूप से खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के विवरण पब्लिक के लिये पहुँच/अभिगम्य हैं।
9. उसके अधिकारियों और कर्मचारियों, नियोजितों की निर्देशिका (डायरेक्टरी)।
10. मासिक पारिश्रमिक जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त होता है तथा उसके विनियमों में उपंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पद्धति।
11. उसकी प्रत्येक एजेन्सी (अभिकरण) के लिये आवंटित बजट समस्त योजनाओं की प्रस्तावित खर्चों (व्ययों) तथा किये गये भुगतानों/अदायगी की रिपोर्ट्स की विशिष्टियाँ।

12. अनुदानों के प्रोग्रामों के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों का विवरण।
13. उसके द्वारा दी गई रियायतों, सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की प्रविष्टियाँ।
14. उसके द्वारा प्राप्यनीय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फॉर्म में सूचना के बारे में विवरण।
15. नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टियाँ और वाचनालय या रीडिंगरूम के कार्यकारी घन्टे (समय) यदि लोक उपयोग के लिये बनाये रखा गया है, की विशिष्टियाँ।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विशिष्टियाँ।
17. ऐसी अन्य सूचनायें जो विहित की जायें।

सूचना के प्रथम प्रकाशन के पश्चात प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों को आदिनांकित रखना

- (स) महत्वपूर्ण नीतियों को सूत्रबद्ध करते समय या ऐसे विनिश्चयों, निर्णयों को घोषित करते समय जिनसे लोक प्रभावित होता है। ऐसे समस्त सुसंगत तथ्यों का प्रकाशन।
- (द) उसके प्रशासनिक या न्यायिक कल्प/अर्द्धन्यायिक विनिश्चयों/निर्णयों के कारणों को बताया जाना जो व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत दर्शाये एक से सत्रह बिन्दु के सूचना प्रकाशित करने के कार्य निर्वहन के लिये म.प्र. शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा इस मेन्युअल में प्रविष्टी कर जनहित में प्रकाशित की जा रही है।

### **सचिव**

भोपाल/11.10.2005

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

## विभागीय संरचना

2 दिसम्बर 1984 की सर्द रात में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कीटनाशक दवायें बनने वाली बहुराष्ट्रीय अमरीकी कम्पनी यूनियन कार्बाईड (इण्डिया) लिमिटेड की फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाईल आइसो सायनाइड, (मिक) गैस रिसन ने झीलों और तालाबों के खुशनुमा प्राकृतिक माहौल वाले भोपाल शहर को जैसे बदल दिया ।

विश्व की इस भयानकतम औद्योगिक विनाश लीलाओं ने लगभग तीन हजार निर्दोश जिन्दगियों को हमेशा के लिये मौत की नीद में सुला दिया । गैस के प्रभाव से लोग शारीरिक एवं मानसिक तौर पर अपाहिज हो गये और वे मेहनत से रोजी रोटी कमाने की हालत में नहीं रहे । मिक गैस की यह विनाश लीला इतनी भीषणतम थी कि भोपाल शहर का वायु मण्डल ही न सिर्फ इससे प्रदूषित हुआ बल्कि वनस्पति जगत, जलीय और समस्त पर्यावरण ही जहरीली गैस के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया । त्रासदी की विभिन्निका इतनी भयावह थी कि उस वक्त मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थायें और सुविधायें गैस पीड़ितों के सवास्थ्य और उनकी देखभाल के लिहाज से अपर्याप्त महसूस हुई ।

राज्य शासन द्वारा दुघर्टना के तुरन्त बाद गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिये अनेक कार्यक्रम एवं योजनायें प्रारम्भ की गई । इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को निश्चित दिशा प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा विशेष रूप से भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का गठन 29 अगस्त 1985 को किया गया । दिनांक 17 अक्टूबर 1995 से शासन द्वारा संचालनालय, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का गठन किया गया । संचालनालय के संचालक को विभागाध्यक्ष घोषित करते हुये समस्त शक्तियाँ प्रदान की गई ।

## विभाग के दायित्व

गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का मुख्य उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के लिये चिकित्सा, अर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी राहत एवं पुनर्वास योजनायें बनाकर उन्हें कार्यान्वित करना एवं उनका समय-समय पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना है । इसके साथ-साथ गैस पीड़ितों से संबंधित विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संगठनों से समन्वय स्थापित कर गैस पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना भी विभाग का दायित्व है ।

## प्रमुख विशेषताएं

यह विभाग गैस रिसन त्रासदी के संदर्भ में विशेष रूप से गठित किया गया है ऐसी स्थिति में इसका कार्यक्षेत्र केवल भोपाल नगर तक ही सीमित है ।

## विषय सूची

| भाग   | विषय   | पृष्ठ संख्या |
|-------|--|--------------|
| भाग 1 | मंत्रालय की सूचना  | 6-13         |
| भाग 2 | संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास स्तर की सूचना             | 14-20        |
| भाग 3 | विभाग की गतिविधियाँ  | 21-43        |
| भाग 4 | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत                    | 44-52        |
| भाग 5 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत             | 53-62        |
| भाग 6 | अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत              | 63-71        |
| भाग 7 | अधीक्षक, इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत | 72-80        |

## **भाग- 1**

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005  
का  
मेन्युअल  
(धारा 4 के अन्तर्गत)**

**मंत्रालय स्तर की सूचना**

**भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग,  
मध्यप्रदेश शासन**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अंतर्गत यह अनिवार्यता अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य और क्रियाकलापों की जानकारी रखेंगे जो नागरिकों को उपलब्ध हो सके। अधिनियम में बिन्दु क्रमांक 1 से 17 रखी जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया है।

इस मेन्युअल में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के संबंध में 1 से 17 बिन्दुओं पर रखी जाने वाली जानकारी का विवरण दिया गया है। जानकारी विभाग के तीन स्तरों यथा शासन स्तर (मंत्रालय) विभाग स्तर (संचालनालय) एवं संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत इकाई के लिये अलग-अलग दी गई है।

यहाँ पर (भाग 1) शासन स्तर की जानकारी दी जा रही है।

#### विभाग की शासन स्तर की जानकारी

1. संगठन, कार्य और दायित्व
- 1.1 संगठन


भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल की संगठनात्मक संरचना साथ के चार्ट में दिखलाई गयी है। (चार्ट 1)

माननीय राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्रालय के प्रमुख हैं और शासन के सभी नीति निर्धारण, उच्चस्तर के प्रशासनिक निर्णय आदि उनके आदेश एवं दिशा निर्देश में लिये जाते हैं। इन नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की होती है जो शासन के सचिव/उप सचिव, अवर सचिव मदद करते हैं।

विभाग के अधीन निम्नलिखित इकाईयाँ कार्यरत हैं :

1. आयुक्त, अर्थिक पुनर्वास
2. संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास
3. पुनर्वास अध्ययन केन्द्र
4. कलेक्टर, गैस राहत
5. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत
7. कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, गैस राहत संभाग

## भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, विभाग का संगठन



## **अ. शासन स्तर पर विभाग के कार्य एवं कर्तव्य :**

### **१. दायित्व :**

गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग का मुख्य उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के लिये चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी राहत एवं पुनर्वास योजनाएं बनाकर उन्हें कार्यान्वित कराना एवं उनका समय-समय पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना है। इसके साथ-साथ गैस पीड़ितों से संबंधित विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संगठनों से समन्वय स्थापित कर गैस पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना भी विभाग का दायित्व है।

### **प्रमुख विशेषताएं :**

यह विभाग गैस रिसन त्रासदी के संदर्भ में विशेष रूप से गठित किया गया है। ऐसी स्थिति में इसका कार्यक्षेत्र केवल भोपाल नगर तक ही सीमित है।

### **कार्य :**

१. यह विभाग गैस पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने हेतु गठित किया गया था। इस विभाग के पुनर्वास कार्यक्रमों /गतिविधियों की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा।
२. भोपाल के गैस पीड़ितों को गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक योजनाएं/नीतियों का निर्णय।
३. गैस पीड़ितों को स्वास्थ्य विषयों के सुसंचालन हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान करवाना।
४. इस विभाग के अंतर्गत गैस पीड़ितों के लिये चिकित्सीय पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास एवं पर्यावरण पुनर्वास के क्षेत्र में काफी कार्य किया गया है। वर्तमान में मुख्यतः चिकित्सा पुनर्वास के अंतर्गत गैस पीड़ितों को निशुल्क जाँच एवं उपचार उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य संस्थाएं स्थापित की गई हैं। उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु समय-समय पर मॉनीटरिंग एवं समीक्षा की जाती है।
५. इस विभाग में चिकित्सक एवं तकनीकी अमला लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। शेष तकनीकी अमला एवं पैरामेडिकल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अमला विभाग द्वारा ही नियुक्त किया गया है।
६. गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर नीतिगत निर्णय लेना।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में विभिन्न कार्यों के निस्पादन के लिये एक शाखा मंत्रालय स्तर पर कार्यरत है।

### **२. अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :**

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य मध्य प्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश में वर्णित अनुसार हैं।

### **३. निर्णय लेने की प्रक्रिया :**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ, नियम, मानक निर्देश के तहत निर्धारित होती हैं। ये नीतियाँ नियम आदि प्रशानिक, वित्तीय और कार्यक्रम संबंधित होती हैं।

समस्त प्राप्त संदर्भ अथवा वरिष्ठ अधिकारियों/राज्य शासन से प्राप्त उपकरणों का प्रचलित नीति, नियम, प्रावधानों के प्रकाश में आंकलन कर अभिमत सहित प्रस्तुति करण अधीक्षक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास से शासन को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

संचालनालय के अधीन अधिकारों के अंतर्गत कार्य संचालन से संबंधित प्रकरणों/प्रस्तावों पर निर्णय इकाई के प्रमुख, सीधे संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को चिकित्सीय इकाई में यह प्रस्ताव अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास ।

### **पर्यवेक्षण और जिम्मेदारी निश्चित करने के चेनल :**

पर्यवेक्षण और जिम्मेदारी निश्चित करने के चेनल निम्नानुसार है :-

1. मंत्रालय स्तर पर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एक शाखा में क्रियाशील है । शाखा का पर्यवेक्षणीय दायित्व अनुभाग अधिकारी का है । अनुभाग अधिकारी अपनी शाखा में पदस्थ अमले के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है ।
2. अवर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा शाखा में प्राप्त होने वाले संदर्भों के नियमानुसार निराकरण हेतु प्रस्तुति का कार्य किया जाता है । विभिन्न बैठकों के लिये आवश्यक जानकारी तैयार कर संबंधित के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व भी अवर सचिव का है ।
3. उप सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा उन्हें प्रस्तु होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से आदेश प्रस्तुत कर निराकृत करते हैं ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों/गतिविधियों की समीक्षा की जाती है तथा इन कार्यक्रमों को शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिये विभागाध्यक्ष के माध्यम से मैदानी अमले को समुचित निर्देश दिये जाते हैं ।

### **4. कृत्यों के निर्वहन हेतु मानक/नियम**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा कार्य संपादन शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं निर्देशानुसार पूर्ण किये जाते हैं । प्राप्त प्रकरण के ऊपर 5 दिन के अंदर कार्यालय सहायक द्वारा अपने अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का नियम है । उच्च अधिकारियों द्वारा प्रकरण/नस्ती पर यथा संभव बिना विलंब के कार्यवाही की जाती है ।

### **5. कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख, जो विभाग के कार्य संपादन में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं :**

(अ) प्रशानिक एवं वित्तीय :

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग विभाग के कार्यों का संपादन शासन द्वारा निर्धारित नियमों, निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है । प्रशानिक एवं वित्तीय नियम, निर्देश सभी विभागों के समान ही होते हैं । इनके कुछ उदाहरण हैं - फंडामेन्टल रूल, विविल सेवा आचरण नियम क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल व अपील रूल, मध्य प्रदेश फायनेन्सियल कोड, पी.डब्ल्यू.डी. मेन्युअल आदि ।

(ब) तकनीकी :

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनेक कार्य विशेष प्रकार के हैं, जिनके लिये अलग से अधिनियम, नियम, निर्देशों का पालन कार्य संपादन में करना होता है। इनके उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

1. गैस पीड़ितों पर हुये दीर्घ कालीन प्रभावों पर किये जा रहे अनुसंधान कार्य ।
2. बायोमेडिकल वेस्ट (हेंडलिंग एवं मेनेजमेन्ट) रूल्स, 1994
3. रोगी कल्याण समिति की नियमावली इत्यादि

**6. लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण:**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा शासन स्तर पर विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेन्ट रखे जाते हैं। जो कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं। विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेन्ट के उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

1. बजट से संबंधित- वार्षिक स्वीकृत बजट एवं विभाग के व्यय
  2. कार्यक्रम से संबंधित- विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धि की मासिक एवं वार्षित बुलेटिन
  3. वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
  4. सर्वेक्षण, मूल्यांकन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि
  5. महत्वपूर्ण समितियों के रिपोर्ट जैसे टास्क फोर्स समिति, मॉनीटरिंग कमेटी, एडवायजरी कमेटी, रोगी कल्याण समिति, गैस पीड़ित कल्याण समिति की रिपोर्ट इत्यादि
  6. विभाग में समय-समय पर जारी निर्देशों की गार्ड फाईल
- 7. नीति निर्धारण एवं कार्यन्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण :**

वर्तमान में शासन स्तर पर नीति निर्धारण व कार्ययोजना के कार्यान्वयन के संबंध में जनता याजनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु विभाग में विभागीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है जो विभागीय गतिविधियों की जानकारी लेकर अपन सुझाव देती है। इस समिति के अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) और विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामांकित विधायक सदस्य होते हैं।

गैस पीड़ित रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) तथा अशासकीय सदस्य गण श्री रामदयाल प्रजापति अध्यक्ष, नगर निगम परिषद, भोपाल, श्री रामकिशोर वर्मा, पूर्व पार्षद, भोपाल, श्री सुल्तान अब्दुल अजीज, श्री आशा जैन, पूर्व पार्षद एवं श्री हसमुख भाई रूपानी हैं।

**8. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :**

केन्द्र शासन स्तर पर भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है जो समय-समय पर बैठक आयोजित कर इस विषय में निर्णय लेती है।

**9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका (डायरेक्टरी) :**

शासन स्तर के अधिकारियों की सूची एवं पद का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

| क्रमांक | अधिकारी का नाम    | पदनाम       |
|---------|-------------------|-------------|
| 1.      | श्री देवराज बिरदी | प्रमुख सचिव |
| 2.      | श्री आर.के. कोरी  | उप सचिव     |
| 3.      | श्री के.के. दुबे  | अवर सचिव    |

**10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं उसके निर्धारण की पद्धति :**

शासन स्तर के अधिकारियों को प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। प्रत्येक अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

| क्रमांक | अधिकारी का नाम    | पदनाम       | वेतन        |
|---------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.      | श्री देवराज बिरदी | प्रमुख सचिव | 18000-24000 |
| 2.      | श्री आर.के. कोरी  | उप सचिव     | 14500-18300 |
| 3.      | श्री के.के. दुबे  | अवर सचिव    | 10000-15200 |

भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के शासन स्तर के अन्य कर्मचारियों एवं उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग में उपलब्ध है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक शासन के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार तय किया जाता है।

**11. प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों और धन वितरण की सूचना) :**

भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृत बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रुपये में)

| क्र.     | बजट हेड        | कार्य  | स्वीकृत बजट प्रावधान | व्यय          |
|----------|----------------|--|----------------------|---------------|
| 1.       | राजस्व अनुभाग  | वेतन भत्ते कार्यालय व्यय, मजदूरी, सामग्री एवं पूर्ति, औषधि, मशीनरी उपकरण आदि | 2530.05              | 828.02        |
| 2.       | पूँजीगत अनुभाग | निर्माण कार्य  | 351.00               | 0.00          |
| कुल योग- |                |  | <b>2881.05</b>       | <b>828.02</b> |

**12. अनुदान/राज्य सहायता (सबसिडी) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति :-**

भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा सबसिडी का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**13. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं का विवरण :-**

भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा शासन स्तर पर किसी प्रकार की रियायतें/अनुज्ञापत्र इत्यादि नहीं दिये जाते हैं। गैस पीड़ितों को निःशुल्क उपचार दिये जाने का विभाग में प्रावधान है।

#### **14. इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें :-**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट ([www.mp.nic/bgtrrdmp](http://www.mp.nic/bgtrrdmp)) पर विभाग की विभिन्न जानकारी प्राप्त की जाती हैं जो निम्नलिखित है :-

1. विभाग की संरचना
2. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाएं
3. भोपाल शहर में गैस पीड़ितों को उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाएं
4. विभाग का बजट

#### **15. सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संरचना, अधिकारियों आदि की सूचना संबंधित कार्यालय में लगाये गये नोटिस बोर्ड के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

#### **16. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों का नाम :**

राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 22 वर्ष 2005) की धारा (5) के अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के लिये निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है :-

| क्र. | कार्यालय का नाम                      | सहायक लोक सूचना अधिकारी                            | लोक सूचना अधिकारी                                    | अपीलीय अधिकारी                   |
|------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1.   | मंत्रालय                             | अवर सचिव, गैस राहत                                 | उप सचिव, गैस राहत                                    | सचिव, गैस राहत                   |
| 2.   | संचालनालय                            | शीघ्र लेखक,<br>संचालनालय, गैस राहत<br>एवं पुनर्वास | लेखा अधिकारी,<br>संचालनालय, गैस<br>राहत एवं पुनर्वास | संचालक, गैस राहत<br>एवं पुनर्वास |
| 3.   | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय        | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | संचालक, कमला नेहरू<br>चिकित्सालय                     | संचालक, गैस राहत<br>एवं पुनर्वास |
| 4.   | कलेक्टर, गैस राहत                    | लेखा अधिकारी,<br>कार्यालय, कलेक्टर, गैस<br>राहत    | अपर कलेक्टर, गैस<br>राहत                             | कलेक्टर, गैस राहत                |
| 5.   | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य अधिकारी              | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय    |
| 6.   | जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय           | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | अधीक्षक, जवाहर लाल<br>नेहरू चिकित्सालय               | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय    |
| 7.   | इंदिरा गाँधी चिकित्सालय              | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | अधीक्षक, इंदिरा गाँधी<br>चिकित्सालय                  | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय    |

#### **17. अन्य उपयोगी जानकारी :**

निरंक ।

## **भाग- 2**

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005  
का  
मेन्युअल  
(धारा 4 के अन्तर्गत)**

**भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग  
मध्य प्रदेश शासन**

**(संचालनालय स्तर)**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### अध्याय 2

### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अंतर्गत यह अनिवार्यता अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने संगठन की संरचना कर्तव्य और कार्य और क्रिया कलापों की जानकारी रखेंगे जो नागरिकों को उपलब्ध हो सके अधिनियम में बिन्दु क्रमांक 1 से 17 रखी जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया गया है।


इस मेन्युअल में गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के संबंध में 1 से 17 बिन्दुओं पर रखी जाने वाली जानकारी का विवरण दिया गया है। जानकारी विभाग के तीन स्तरों यथा शासन स्तर (मंत्रालय) विभाग स्तर (संचालनालय एवं संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत इकाई के लिये अलग-अलग दी गई है।

यहाँ पर (भाग 2) विभाग संचालनालय स्तर की जानकारी दी जा रही है।

1. संचालनालय के संगठन, कार्य और दायित्व
- 1.1 संगठन

गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास की संगठनात्मक संरचना साथ के चार्ट में दिखलाई गई है। (चार्ट 2)

#### संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास का संगठन



## **संचालनालय के दायित्व :**

संचालनालय, क्लेम्स, भोपाल गैस रिसन त्रासदी की स्थापना 7 मई 1985 को की गई । संचालनालय को त्रासदी के संदर्भ में यह कार्य सौंपा गया था कि भोपाल गैस रिसन के कारण प्रभावित दावेदारों के दावे प्राप्त करना उन्हें संकलित करना एवं उन्हें योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षित रखना । दावेदारों का चिकित्सीय अभिलेखीकरण, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन का कार्य भी संचालनालय को सौंपा गया था जिसके तहत चिकित्सीय अभिलेखीकरण एवं मूल्यांकन का कार्य किया गया था । गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से दिनांक 17 अक्टूबर 1995 को संचालनालय गैस क्लेम्स को पुर्नगठित करते हुये संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास नामांकित किया गया एवं निम्न इकाईयों के कार्यों में समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु संचालनालय को अधिकृत किया गया है ।

**विभाग के अधीन निम्नलिखित इकाईयाँ कार्यरत हैं :**

1. आयुक्त, आर्थिक पुनर्वास
2. संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास
3. पुनर्वास अध्ययन केन्द्र
4. कलेक्टर, गैस राहत
5. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत
7. कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, गैस राहत, संभाग

## **अ. संचालनालय स्तर के कार्य :**

### **1. दायित्व :**

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के लिये चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी राहत एवं पुनर्वास योजनाएं बनाकर उन्हें कार्यान्वित कराने हेतु शासन को प्रस्तुत करना है । शासन द्वारा अनुमोदन एवं स्वीकृति पश्चात उसका अधिनस्थ इकाईयों से क्रियान्वयन कराना है । इसके साथ-साथ शासन के साथ समन्वय एवं इकाईयों के साथ नियंत्रण स्थापित करना है ।

### **कार्य :**

1. यह विभाग गैस पीड़ितों राहत एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने हेतु गठित किया गया था । अब वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों की गतिविधियों की समीक्षा, मॉनीटरिंग आदि कार्य संपादित किये जा रहे हैं ।
2. भोपाल गैस पीड़ितों को गुणवत्ता स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक योजनाएं/नीतियों के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना ।
3. गैस पीड़ितों को स्वास्थ्य विषयों के सुसंचालन हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान करवाना ।
4. इस विभाग के अंतर्गत गैस पीड़ितों के लिये चिकित्सीय पुनर्वास, आवासीय पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास एवं पर्यावरण पुनर्वास के क्षेत्र में काफी कार्य किया गया है । वर्तमान में मुख्यतः चिकित्सा पुनर्वास के अंतर्गत गैस पीड़ितों को निशुल्क जाँच एवं उपचार उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य संरथाएं स्थापित की गई हैं । उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु समय-समय पर मॉनीटरिंग एवं समीक्षा की जाती है ।

5. इस विभाग में चिकित्सक एवं तकनीकी अमला लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। शेष तकनीकी अमला एवं पैरामेडिकल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अमला विभाग द्वारा ही नियुक्त किया गया है।
6. गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों से संबंधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।

## **2. अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य :**

अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य मध्य प्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश में वर्णित अनुसार है।

## **3. निर्णय लेने की प्रक्रिया :**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया सरकार द्वारा बनई गई नीतियों/नियम/मानक निर्देश के तहत निर्धारित होती है। ये नीतियाँ नियम अदि प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यक्रम संबंधित होती हैं।

समस्त प्राप्त संदर्भ अथवा वरिष्ठ अधिकारियों/राज्य शासन से प्राप्त प्रकरणों का प्रचलित नीति, नियम, प्रावधानों के प्रकाश में ऑकलन कर अभिमत सहित प्रस्तुतिकरण अधीक्षक से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

संचालनालय के अधीन अधिकारों के अंतर्गत कार्य संचालन से संबंधित प्रकरणों/प्रस्तावों पर निर्णय इकाई के प्रमुख/सीधे संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को चिकित्सीय इकाई में यह प्रस्ताव अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास।

## **पर्यवेक्षण और जिम्मेदारी निश्चित करने के चेनल :**

पर्यवेक्षण और जिम्मेदारी निश्चित करने के चेनल निम्नानुसार हैं:-

1. संचालनालय स्तर से अधीनस्थ कार्यरत इकाईयों का पर्यवेक्षण, अनुशारण किया जाता है।
2. संचालनालय में पदस्थ लेखा अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) स्तर के अधिकारी द्वारा शाखा में प्राप्त होने वाले संदर्भों के नियमानुसार निराकरण हेतु प्रस्तुति का कार्य किया जाता है। विभिन्न बैठकों के लिये आवश्यक जानकारी तैयार कर संबंधित के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व भी लेखा अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) का है।
3. संचालक द्वारा जिन विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश शासन स्तर से प्राप्त किया जाना है उसे सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग को नीतिगत निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।

## **4. कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानक/नियम :**

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास के द्वारा कार्य संपादन शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं निर्देशानुसार पूर्ण किये जाते हैं। प्राप्त प्रकरण के ऊपर पाँच दिन के अन्दर कार्यालय सहायक द्वारा अपने अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का नियम है। उच्च अधिकारियों द्वारा प्रकरण/नस्ती पर यथा संभव बिना विलंब के कार्यवाही की जाती है।

**5. कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका एवं अभिलेख, जो विभाग के कार्य संपादन में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं :**

(अ) प्रशासकीय एवं वित्तीय :

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का संपादन शासन द्वारा निर्धारित नियमों, निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय नियम, निर्देश सभी विभागों के समान ही होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं- फण्डामेन्टल रूल, सिविल सेवा आचरण नियम क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल व अपील रूल, मध्य प्रदेश फायनेन्सियल कोड, पी.डब्ल्यू.डी. मेन्युअल आदि।

(ब) तकनीकी :

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास के अनेक कार्य विशेष प्रकार के हैं जिनके लिये अलग से अधिनियम, नियम, निर्देशों का पालन कार्य संपादन में करना होता है। इनके उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

1. गैस पीड़ितों पर हुये दीर्घकालीन प्रभावों पर किये जा रहे अनुसंधान कार्य।
2. बायोमेडिकल वेस्ट (हेंडलिंग एवं मेनेजमेन्ट) रूल्स 1994
3. रोगी कल्याण समिति की नियमावली इत्यादि।

**6. लोक अधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण :**

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा शासन स्तर पर विभिन्न श्रेणी के डक्यूमेन्ट रखे जाते हैं। जो कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं। विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेन्ट के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:-

1. बजट से संबंधित- वार्षिक स्वीकृत बजट एवं विभाग के व्यय
2. कार्यक्रम से संबंधित- विभिन्न कार्यक्रमों की उपलब्धि की मासिक एवं वार्षित बुलेटिन
3. वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
4. सर्वेक्षण, मूल्यांकन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि
5. महत्वपूर्ण समितियों के रिपोर्ट जैसे टास्क फोर्स समिति, मॉनीटरिंग कमेटी, एडवायजरी कमेटी, रोगी कल्याण समिति, गैस पीड़ित कल्याण समिति की रिपोर्ट इत्यादि
6. विभाग में समय-समय पर जारी निर्देशों की गार्ड फाईल

**7. नीति निर्धारण एवं कार्यन्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण :**

वर्तमान में शासन स्तर पर नीति निर्धारण व कार्ययोजना के कार्यान्वयन के संबंध में जनता याजनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये कोई व्यवस्था नहीं है परन्तु विभाग में विभागीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है जो विभागीय गतिविधियों की जानकारी लेकर अपन सुझाव देती है। इस समिति के अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) और विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामांकित विधायक सदस्य होते हैं।

गैस पीड़ित रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) तथा अशासकीय सदस्य गण श्री रामदयाल प्रजापति अध्यक्ष, नगर निगम परिषद, भोपाल, श्री रामकिशोर वर्मा, पूर्व पार्षद, भोपाल, श्री सुल्तान अब्दुल अजीज, श्री आशा जैन, पूर्व पार्षद एवं श्री हसमुख भाई रूपानी हैं ।

#### 8. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :

केन्द्र शासन स्तर पर भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है जो समय-समय पर बैठक आयोजित कर इस विषय में निर्णय लेती है ।

#### 9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका (डायरेक्टरी)

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास स्तर के अधिकारियों की सूची एवं पद का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

| क्रमांक | अधिकारी का नाम        | पदनाम        |
|---------|-----------------------|--------------|
| 1.      | श्री एम.के. वाण्योय   | संचालक       |
| 2.      | डॉ. पी.के. श्रीवास्तव | लेखा अधिकारी |

#### 10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक प्रारिश्रमिक एवं उसके निर्धारण की पद्धति :-

| क्रमांक | अधिकारी का नाम        | पदनाम        | वेतनमान     |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1.      | श्री एम.के. वाण्योय   | संचालक       | 18000-24000 |
| 2.      | डॉ. पी.के. श्रीवास्तव | लेखा अधिकारी | 8000-13500  |

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास स्तर के अन्य कर्मचारियों एवं उनके द्वारा प्राप्त प्रारिश्रमिक की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग में उपलब्ध है । अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिलने वाले मासिक प्रारिश्रमिक शासन के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार तय किया जाता है ।

#### 11. प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों और धन वितरण की सूचना) :

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत बजट प्रावधान निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाख में )

| क्र. | बजट हेड        | कार्य   | स्वीकृत बजट प्रावधान | व्यय   |
|------|----------------|---|----------------------|--------|
| 1.   | राजस्व अनुभाग  | वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, मजदूरी, सामग्री एवं पूर्ति, औषधि, मशीनरी उपकरण आदि | 2530.05              | 828.02 |
| 2.   | पूंजीगत अनुभाग | निर्माण कार्य   | 351.00               | 0.00   |
|      | कुल योग :      |   | 2881.05              | 828.02 |

**12. अनुदान/राज्य सहायता (सबसिडी) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति :**

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा सबसिडी का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**13. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण :-**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा शासन स्तर पर किसी प्रकार की रियायतें, अनुज्ञापत्र इत्यादि नहीं दिये जाते हैं। गैस पीड़ितों को निशुल्क उपचार दिये जाने का विभाग में प्रावधान है।

**14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें :-**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट ([www.mp.nic/bgtrrrmp](http://www.mp.nic/bgtrrrmp)) पर विभाग की विभिन्न जानकारी प्राप्त की जाती हैं जो निम्नलिखित है :-

1. विभाग की संरचना
2. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाएं
3. भोपाल शहर में गैस पीड़ितों को उपलब्ध स्वास्थ्य संरक्षण
5. विभाग का बजट

**15. सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :**

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संरचना, अधिकारियों आदि की सूचना संबंधित कार्यालय में लगाये गये नोटिस बोर्ड के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

**16. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों का नाम :**

राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (क्रमांक 22 वर्ष 2005) की धारा (5) के अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के लिये निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है :-

| क्र. | कार्यालय का नाम                      | सहायक लोक सूचना अधिकारी                            | लोक सूचना अधिकारी                                    | अपीलीय अधिकारी                |
|------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1.   | मंत्रालय                             | अवर सचिव, गैस राहत                                 | उप सचिव, गैस राहत                                    | सचिव, गैस राहत                |
| 2.   | संचालनालय                            | शीघ्र लेखक,<br>संचालनालय,<br>गैस राहत एवं पुनर्वास | लेखा अधिकारी,<br>संचालनालय,<br>गैस राहत एवं पुनर्वास | संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास |
| 3.   | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय        | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय                        | संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास |
| 4.   | कलेक्टर,<br>गैस राहत                 | लेखा अधिकारी,<br>कार्यालय, कलेक्टर,<br>गैस राहत    | अपर कलेक्टर,<br>गैस राहत                             | कलेक्टर, गैस राहत             |
| 5.   | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी                 | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय |
| 6.   | जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय           | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय                  | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय |
| 7.   | इंदिरा गाँधी चिकित्सालय              | चिकित्सा विशेषज्ञ                                  | अधीक्षक, इंदिरा गाँधी चिकित्सालय                     | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय |

**17. अन्य उपयोगी जानकारी :**  
निरंक ।

## आयुक्त, आर्थिक पुनर्वास

गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास को अधिक कारगर रूप से चलाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आर्थिक पुनर्वास का पद निर्मित किया गया है। प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा पदेन रूप से यह कार्य किया जाकर अशासकी संस्थाओं के माध्यम से गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है।

### ● संचालनालय, बक्स राहत एवं पुनर्वास

संचालनालय, क्लेम्स भोपाल गैस रिसन त्रासदी की स्थापना 07 मई 1985 को की गई। संचालनालय को त्रासदी के संदर्भ में यह कार्य सौंपा गया था कि भोपाल गैस रिसन के कारण प्रभावित दावेदारों के दावे प्राप्त करना, उन्हें संतुलित करना एवं उन्हें योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षित रखना। दावेदारों का चिकित्सीय अभिलेखीकरण, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन का कार्य किया गया था। गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से दिनांक 17 अक्टूबर 1995 को संचालनालय, गैस क्लेम्स को पुनर्गठित करते हुये संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास नामांकित किया गया एवं निम्न इकाईयों के कार्यों में समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु संचालनालय को अधिकृत किया गया :-

- पुनर्वास अध्ययन केन्द्र
  - क्लेक्टर, गैस राहत
  - संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत,
  - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत
  - कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन, गैस राहत संभाग
- 
- पुनर्वास अध्ययन केन्द्र

पुनर्वास अध्ययन केन्द्र द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :-

1. गम्भीर रूप से बीमार गैस पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मूल्यांकन अक्टूबर 1999 से चालू किया गया है।
2. केन्द्र द्वारा निम्न तीन अन्य परियोजनाएँ गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के सहयोग से संचालित की जा रही हैं :-
  - (अ) गैस पीड़ितों में नेत्र रोग से संबंधित दीर्घ कालिक अध्ययन
  - (ब) गैस प्रभावितों में इम्युनोलॉजिकल पैरामीटर्स का अध्ययन
  - (स) गैस पीड़ितों में जेनेटिक रिस्क से संबंधित दीर्घ कालिक फालोअप

### ● कलेक्टर, गैस राहत

गैस दुर्घटना में मृत हुये व्यक्तियों के परिजनों को निशुल्क आवास आवंटन, गैस दुर्घटना से अनाथ हुये बच्चों का भरण-पोषण, यूनियन कार्बाइड परिसर का रख रखाव एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से गैस पीड़ितों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कलेक्टर, गैस राहत द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा समय-समय पर माँगे गये अभिलेखों को प्रस्तुत करने का कार्य भी इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

### ● संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत

गैस राहत विभाग के अधिनस्थ संचालित समस्त चिकित्सा संस्थाओं का प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी नियंत्रण संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय के द्वारा किया जा रहा है। संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास के प्रशासकीय नियंत्रण में है। कमला नेहरू चिकित्सालय की अपनी दैनिक कत्तिविधियों के संचालन करने का दायित्व संचालक, कमला नेहरू का है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी चिकित्सालय, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय की अपनी दैनिक गतिविधियों के संचालन करने का दायित्व संबंधित चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है।

### ● मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के अधिनस्थ निम्न चिकित्सालय एवं चिकित्सा अकाईयाँ संचालित की जा रही हैं। 1. खाख शाकिर अली खान चिकित्सालय 2. मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय 3. स्व. रसूल अहमद सिद्दीकी पत्नोनरी मेडिसिन सेन्टर एवं 9 डे-केयर यूनिट भी अपनी दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के नियंत्रण में हैं। इसके अतिरिक्त गैस पीड़ित केंसर रोगियों को जवाहर लाल नेहरू केंसर चिकित्सालय, ईझगाह हिल्स में शासन के दिशा निर्देशों के तहत रिफर करने का दायित्व भी इस कार्यालय को सौंपा गया है।

### ● कार्यपानल यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, गैस राहत संभाग

गैस राहत विभाग के अधिनस्थ विभिन्न भवनों में नवीन निर्माण कार्य एवं संधारण कार्य इस कार्यालय द्वारा संपादित किये जाते हैं। इस कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न गैस राहत चिकित्सालय एवं चिकित्सा इकाईयों के भवन, दावा अदालतों के भवन, अशासकीय संस्थाओं को आवंटित वर्कशेड के भवन, गैस राहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन एवं अन्य विभागीय आवासीय भवनों आदि का संधारण किया जाता है।

### विभागीय गतिविधियाँ

गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिये रुपये 258 करोड़ की एक कार्ययोजना वर्ष 1990-95 के लिये स्वीकृत की गई थी। बाद में कार्ययोजना की अवधि में जुलाई 99 तक वृद्धि की गई। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान रुपये 193.50 करोड़ (75%) शामिल है। शेष रुपये 64.50 करोड़ (25%) राज्य सरकार का अंशदान

भारत सरकार द्वारा जुलाई 99 के पश्चात कार्ययोजना की अवधि समाप्त होने के बाद वित्तीय सहायता का कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया जिससे गैस पीड़ितों की योजनाओं पर राशि रुपये 206.10 का राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों से व्यय किया गया है। कार्ययोजना के तहत स्वीकृत विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत राशि एवं उसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2007 तक हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | परियोजना            | कार्ययोजना स्वीकृति राशि<br>(रु. करोड़ में) | कार्ययोजना में व्यय की गई<br>दिसम्बर, 2007 तक की<br>राशि (रु. करोड़ में) |
|------|---------------------|---|--|
| 1.   | चिकित्सा पुनर्वास   | 150.35                                      | 327.37   |
| 2.   | आर्थिक पुनर्वास     | 21.18                                       | 27.06  |
| 3.   | सामाजिक पुनर्वास    | 49.72                                       | 45.69  |
| 4.   | पर्यावरणीय पुनर्वास | 23.76                                       | 28.08  |
| 5.   | अन्य                | 5.29  | 7.22   |
| 6.   | विधिक तथा प्रसाशनिक | 7.70  | 27.88  |
|      | योग-                | <b>258.00</b>                               | <b>464.10</b>  |

### चिकित्सा पुनर्वास

गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 33 चिकित्सा केन्द्र स्थित किये गये हैं। वर्तमान में 6 चिकित्सालय, 9 डे-केयर यूनिट (सिविल डिस्पेंसरी एवं पॉली क्लीनिक) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त देशी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेद होम्योपैथी एवं यूननी के तीन-तीन कुल नौ औषधालय संचालित हैं। भोपाल मेमोरियल हास्पीटल ट्रस्ट का एक मुख्य चिकित्सालय एवं उनके 8 मिनि यूनिट ट्रस्ट द्वारा गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित हैं। गैस राहत चिकित्सालयों में प्रतिदिन लगभग 3583 मरीजों का बाह्य रोगी विभाग में उपचार किया जा रहा है। माह जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक भर्ती रोगियों की संख्या 30313 थी। सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध शैय्याओं को मिलाकर इस वर्ष माह दिसम्बर 2007 तक कुल 634 शैय्याओं की सुविधा मरीजों को भर्ती करने के लिये उपलब्ध हैं। शासन द्वारा गैस पीड़ितों की जाँच एवं उपचार निशुल्क किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा चिकित्सा पुनर्वास हेतु प्रथम कार्ययोजना में स्वीकृत राशि 150.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2007 तक राशि 327.37 करोड़ रुपये व्यय किया गया है। जिसमें राशि रुपये 117.02 करोड़ अधिक राज्य शासन द्वारा अपने संसाधनों से व्यय किया गया है।

#### (क) अस्पताल :

|     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| (1) | कमला नेहरू चिकित्सालय                      | 219 शैय्या*       |
| (2) | इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय    | 150 शैय्या        |
| (3) | जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय                 | 125 शैय्या        |
| (4) | रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर | 50 शैय्या         |
| (5) | खान शाकिर अली खा चिकित्सालय                | 60 शैय्या         |
| (6) | मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय                 | 30 शैय्या         |
|     | कुल  | <b>634 शैय्या</b> |

\* कमला नेहरू चिकित्सालय में 139 उपलब्ध हैं शेष 80 बिस्तर में से 50 पीड़ियाट्रिक मेडिसिन एवं 30 पीड़ियाट्रिक सर्जरी विाग गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा दी जा रही है ।

\*\* खान शाकिर अली खान चिकित्सालय में वर्तमान में 40 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध हो गई है ।

#### (ख) सिविल डिस्पेंसरी (डे केयर यूनिट) :

- (1) जहाँगीराबाद
- (2) पुतलीघर
- (3) बाग उमराव दूल्हा
- (4) करोंद (डे केयर यूनिट)
- (5) कुशाभाऊ ठाकरे औषधालय, नरेला शंकरी
- (6) अशोका गार्डन औषधालय
- (7) लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय 10 शैय्या
- (8) इब्राहिमगंज
- (9) रुकमाबाई

#### (ग) देशी चिकित्सा पद्धति :

##### 1. आयुर्वेद औषधालय

- (1) लाल घाटी (2) टीला जमालपुरा (3) चादबड़

##### 2. होम्यापैथी औषधालय

- (1) कबीटपुरा (2) नारियलखेड़ा (3) टीलाजमालपुरा

##### 3. यूनानी औषधालय

- (1) छावनी (2) रफीकिया (3) काजी केम्प

उपरोक्त चिकित्सा संस्थाएँ गैस पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का कार्य कर रही है, जिनमें गैस पीड़ितों को कई प्रकार की जाँच उपचार एवं दवाईयाँ निःशुल्क प्रदाय की जाती हैं । प्रतिवर्ष लगभग 5.57 करोड़ रुपये जांच, उपचार एवं दवाईयों में व्यय किया जाता है । कमला नेहरू एवं इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल में स्थापित हाईटेक उपकरणों/मशीनों के वार्षिक रख रखाव (ए.एम.सी.) का अनुबन्ध किया गया है । जिससे मशीनों की निरंतर देखभाल की जाती है, तथा मशीनों एवं उपकरणों के बिंगड़ जाने की स्थिति में उनका सुधार कार्य तत्काल किया जाता है, ताकि मशीन एवं उपकरण निरंतर क्रियाशील रह सकें । गैस राहत विभाग के अंतर्गत संचालित सभी चिकित्सालयों के लिये जीव अपशिष्ट पदार्थों के विनिष्टीकरण की सुविधा नवम्बर 2004 से प्रारम्भ कर दी गई है ।

## ● इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय

इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल दिनांक 30.09.1998 से कार्यरत है। प्रारम्भ में बाह्यरोगी, पैथालॉजी, एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउण्ड विभाग प्रारम्भ किये गये। तत्पश्चात दिनांक 15.03.1999 को 50 शैख्याओं का आंतरिक रोगी विभाग एवं शल्य क्रिया कक्ष प्रारम्भ किया गया। आंतरिक रोगी विभाग में दिनांक 3.12.1999 को 25 शैख्याएं स्त्रीरोग विभाग में बढ़ाई गई। दिनांक 30.12.2000 को 25 शैख्याएं बढ़ाई गई। तत्पश्चात दिनांक-24.4.2002 को चिकित्सालय में 50 शैख्याएं और बढ़ाई जाकर चिकित्सालय को पूर्ण क्षमता के साथ प्रारम्भ कर दिया गया है। दिनांक 24.4.2002 को पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट (पी.आई.सी.यू.) एवं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एन.आई.सी.यू.) की सुविधा अत्याधुनिक मशीन एवं उपकरणों से सुसज्जित कर प्रारम्भ की गई है। इस चिकित्सालय में ब्लड बैंक इकाई की स्थापना संबंधी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एवं मशीन, उपकरण भी प्राप्त हो गये हैं। ब्लड बैंक प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 19.11.2004 को ब्लड बैंक लायसेंस की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, और दिनांक 2 मार्च 2005 को ब्लड बैंक इकाई प्रारंभ कर दी गई है। इस चिकित्सालय में मरीजों के इलाज हेतु निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं :

1. बाह्यरोगी विभाग
2. आंतरिक रोगी विभाग
3. पैथालॉजी विभाग
4. क्ष-किरण (एक्स-रे)
5. अल्ट्रासोनोग्राफी, ई.सी.जी.
6. मेटरनिटी से संबंधित शल्य क्रिया
7. शिशु एवं बाल चिकित्सा संबंधी इलाज की सुविधा
8. महिलाओं के लिए परिवार कल्याण की सुविधा
9. शिशु टीकाकरण
10. आपातकालीन सेवाएं
11. एम्बूलेंस सेवाएं
12. नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई
13. शिशु गहन चिकित्सा इकाई
14. ब्लड बैंक की सुविधा

अभी तक की सुविधाओं से संबंधित दिसम्बर 2007 तक की जानकारी निम्नानुसार है :-

|    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | बाह्यरोगी विभाग मेटरनिटी एवं पीडियाट्रिक्स                          | 171170                                |
| 2. | आंतरिक रोगी विभाग मेटरनिटी, पीडियाट्रिक्स, नवजात शिशु कक्ष (नर्सरी) | 11072                                 |
| 3. | पैथालॉजी जॉच  | 77858                                 |
| 4. | क्ष-किरण (एक्स-रे)  | 1731                                  |
| 5. | अल्ट्रासोनोग्राफी,  | 3156                                  |
| 6. | ई.सी.जी.  | 123                                   |
| 7. | शल्य क्रिया   | 936                                   |
| 8. | ब्लडबैंक इकाई   | संग्रह 1130<br>यूनिट दिया गया<br>1514 |
| 9. | प्रायवेट वार्ड (20)   | 78                                    |

## ● कमला नेहरू चिकित्सालय

यह चिकित्सालय गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में गैस राहत विभाग द्वारा निर्मित किया जाकर दिनांक 14 जनवरी 2000 से प्रारम्भ किया गया है।

इस चिकित्सालय को एक सुपर स्पेशलिटी रिफरल संस्था के रूप में विकसित किया गया है तथा विशेषज्ञ स्तर के चिकित्सा सलाहकारों की सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं। चिकित्सालय में अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना कर नवीतम तकनीक उपलब्ध कराई गई है। संस्थान के निर्माण से ही इसको चिकित्सीय शिक्षा से संबद्ध रखा गया जिससे चिकित्सा जगत में नित नई खोजों एवं इलाज की मकनीक का ज्ञान चिकित्सालय में कार्यरत अमले को मिल सके। संस्थान को संपूर्ण रूप से प्रारम्भ करने हेतु दो चरणों में विभाजित किया गया। विभाग निम्न प्रकार हैं :-

### (अ) गहन चिकित्सा इकाई

इस वर्ष दिसम्बर तक 724 गम्भीर रूप से हृदय रोगी तथा अन्य रोगी निशुल्क विशिष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।

### (ब) उदर रोग विभाग

दिसम्बर 2007 तक उदर रोग संबंधी इसमें आंतरिक विभाग के मरीज सहित 9314 मरीजों पर विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं द्वारा इलाज किया गया। जाँच हेतु इण्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इन्ट्रोस्कोपी तथा ई.आर.सी.पी. जैसी सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध है। उदर रोग शल्य क्रिया विभाग में इस वर्ष कुल 197 सर्जरी सम्पन्न किया गया है।

### (स) यूरोलाजी विभाग

यूरोलाजी विभाग में सभी प्रकार के मेजर ऑपरेशन विशेषकर इण्डोयूरोलाजी व अन्य ऑपरेशन किये जाते हैं।

### (द) डायलिसिस इकाई

इस वर्ष दिसम्बर 2007 तक डायलिसिस यूनिट में 13832 मरीजों का डायलिसिस कर उपचार दिया गया तथा अब तक कुल 6264 मरीजों को यह अति विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई।

### (ङ) नेत्ररोग विभाग

सितम्बर 2007 तक इसी तरह नेत्ररोग विभाग में 99502 विभिन्न परीक्षण किये गये इस विभाग में 3177 नेत्र शल्यक्रियाएं संपादित की गई। विभाग में मरीजों हेतु 20 शैयाओं का वार्ड उपलब्ध है।

### (च) शिशुरोग, मेडिसिन एवं शिशुरोग सर्जरी विभाग

इस वर्ष इस व्यवस्था के तहत 6533 गैस पीड़ित परिवार के शिशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। शिशुरोग सर्जरी विभाग में इस वर्ष कुल 1355 शल्यक्रिया सम्पन्न की गई है।

## (छ) इमेजिंग (रेडियोलाजी) विभाग

माह दिसम्बर 2007 तक 18524 सी.टी. स्केन, 8677 इकोकार्डियोग्राफी, 14583 एक्स-रे, 2032 ई.ई.जी., 15843 अल्ट्रासोनोग्राफी एवं 16257 ई.सी.जी. के परीक्षण किये जा चुके हैं।

प्रथम चरण में उदर रोग मेडिकल (30 शैय्या), उदर रोग सर्जरी (प्रस्तावित 30 शैय्याओं में से 10), नेफ्रोलॉजी- डायलिसिस इकाई (6 शैय्या), नेत्र रोग (20 शैय्या), शिशुरोग मेडिसिन (50 शैय्या), शिशु रोग सर्जरी (30 शैय्या) तथा पैथालॉजी विभाग स्थापित किये गये थे। द्वितीय चरण के नए विभागों में न्यरोलॉजी (15 शैय्या), न्यूरोलॉजी (8 शैय्या), मानसिक रोग (20 शैय्या), गहन चिकित्सा इकाई (10 शैय्या) एवं इमेजिंग विभाग हैं। वर्तमान में योजना अनुसार सभी विभाग पूर्ण क्षमता के साथ प्रारम्भ हो चुके हैं।

चिकित्सालय की अति विशिष्ट सेवाओं में उदर रोग विभाग में जी.आई. एन्डोस्कोपी, इन्ट्रोस्कोपी, लेरिनोस्कोपी, ब्रान्कोस्कोपी के निदान तथा उपचार प्रक्रियाएं सतत रूप से संपादित की जा रही हैं। विभाग में डी.एम. (गेस्ट्रोएन्टोलॉजी) याग्यता प्राप्त चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं। उदर रोग सर्जरी तथा यूरोलॉजी विभागों में सभी प्रकार के मेजर ऑपरेशन्स विशेष कर लेप-कोली आदि किये जाते हैं। दिसम्बर 2007 तक उदर रोग संबंधी 9314 मरीजों को विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं द्वारा इलाज किया गया। यह प्रक्रियाएं सलाहकार चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों द्वारा संपन्न की जाती है।

डायलिसिस यूनिट में चार मशीनें प्रतिदिन कार्यरत हैं। दिसम्बर 2007 तक चिकित्सालय की डायलिसिस यूनिट में 13832 मरीजों का डायलिसिस कर उपचार दिया गया। उपचार के उपरान्त की देख-रेख हेतु एक वार्ड भी स्थापित किया गया है।

**नेत्र रोग विभाग में उच्च तकनीकी उपकरण जैसे :-** ऑटो रेफरेक्टोमीटर, स्लीट लेम्प, अल्ट्रासाउण्ड (ए एवं एबी) स्केनिंग, फील्ड एनालिसिस, सायनेटोफोर, याग लेजर, एनोमलोस्कोप आदि उपलब्ध हैं। मोतियाबिन्द के ऑपरेशन फेको पद्धति से किये जाते हैं तथा कांच बिन्दु (ग्लॉकोमा) का उपचार लेसर उपकरणों से किया जा रहा है। माह दिसम्बर 07 तक नेत्र रोग विभाग में 99502 विभिन्न परीक्षण किए गए। इसी विभाग में 3177 नेत्र शल्य क्रियाएं संपादित की गई। वर्तमान में प्रतिमाह 84 ऑपरेशन किये जा रहे हैं। मरीजों हेतु 20 शैय्याओं का वार्ड उपलब्ध है। विशेषज्ञ की सलाह हेतु गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र रोग विभाग प्रमुख की सेवाएं समय-समय पर ली जाती हैं।

इमेजिंग (रेडियोलॉजी) विभाग में अल्ट्रासाउण्ड, इकोकार्डियोलॉजी के साथ सी.टी. स्केन, कलर डॉपलर एवं आई.आइ.टी.वी., एक्सरे मशीनों से गैस पीड़ितों की गंभीर बीमारियों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2007 तक 18524 सी.टी. स्केन, 8677 इकोकार्डियोग्राफी, 14583 एक्स-रे, 2032 ई.ई.जी., 15843 अल्ट्रासोनोग्राफी एवं 16257 ई.सी.जी. के परीक्षण किये जा चुके हैं। यह सुविधा गैस पीड़ितों को निशुल्क प्रदाय की जा रही है।

पैथालॉजी विभाग में रेन्डम एक्सेस, एनालाईजर, एलीजा रीडर, हीमेटोलॉजी आदि स्थापित किये जा चुके हैं। चिकित्सालय के पैथालॉजी विभाग में स्थापित उच्च तकनीक उपकरणों से 201252 परीक्षण किये गए।

कमला नेहरू चिकित्सालय में माह दिसंबर 2007 तक 245473 मरीजों का केन्द्रीय पंजीयन कर उपचार प्रदान किया गया है। 91061 मरीजों को चिकित्सालय के भिन्न-भिन्न वार्डों में भर्ती किया गया।

चिकित्सालय में 24 घंटे एक आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यक अमला मय एम्बूलेंस इत्यादि के उपलब्ध रहता है।

## ● जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, भोपाल गैस पीड़ितों के इलाज हेतु एक मुख्य चिकित्सालय है। यह चिकित्सालय बैरसिया रोड पर स्थित है। जहां निकट ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 2-3 दिसम्बर, 1984 को जहरीली गैस विभीषिका हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना के बाद 13 जनवरी, 1985 को डी.आई.जी. बंगला में 30 शैय्याओं का चिकित्सालय, गैस पीड़ितों के इलाज हेतु प्रारम्भ किया गया था। प्रारम्भ में इसमें 30 शैय्याएं, एक्स-रे, पैथालॉजी एवं लेबर रूम की सुविधा उपलब्ध थी व इसे डी.आई.जी. बंगला अस्पताल कहा जाता था।

14 दिसम्बर, 1986 को एक नया चिकित्सालय भवन निर्मित हुआ जिसमें आंतरिक रोगियों हेतु बच्चा वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड व मेटरनिटी वार्ड स्थापित किए गए। बाद में दिनांक 19.11.1987 तक इन्टेर्निव केरर यूनिट भी बनकर तैयार हो गया। वर्तमान में चिकित्सालय में 125 शैय्याएं हैं। इस चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए बाह्यरोगी विभाग हेतु रैम्प की सुविधा उपलब्ध है।

यह अस्पताल एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल है, विभाग का विवरण निम्नानुसार है :-

- |                   |                    |                        |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. मेडिसिन विभाग  | 2. सर्जरी विभाग    | 3. नाक, कान, गला विभाग |
| 4. शिशुरोग विभाग  | 5. अस्ति रोग विभाग | 6. नेत्र रोग विभाग     |
| 7. दन्त रोग विभाग | 8. पैथालाजी विभाग  | 9. रेडियोलॉजी विभाग    |

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इस वर्ष माह दिसम्बर 2007 तक बाह्य रोगी विभाग में 362020 मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है तथा आंतरिक विभाग में 7935 मरीजों को भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माह दिसम्बर 2007 तक पैथालाजी विभाग द्वारा कुल 57620 परीक्षण किये गये एवं 712 इकोकार्डियोग्राफी, 4056 अल्ट्रासोनोग्राफी, 8832 एक्स-रे, 3966 ई.सी.जी., 56 पी.एफ.टी. आदि जाँच की गई।

इस चिकित्सालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु क्षय रोगियों का निदान एवं इलाज हेतु डाट सेन्टर कार्यरत है। इस वर्ष 377 क्षय रोगियों को पंजीकृत किया जा चुका है। कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाई द्वारा इस वर्ष 181 कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जा रहा है। परिवार कल्याण से संबंधित योजनाओं का भी नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रसव परिवहन योजना से भी हितग्राहियों को लाभ पहुँचा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का लाभ गैस राहत के बजट से दिया जाता है। विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना में भी हितग्राहियों को लाभ पहुँचा है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इस चिकित्सालय में टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इस चिकित्सालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रंखला में पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पल्स पोलियो वेक्सीन वितरण केन्द्र की स्थापना कर नया अध्याय जोड़ा गया है। इस केन्द्र से भोपाल जिले के 11 वार्डों को वेक्सीन प्रदाय की जाती है। गैस पीड़ितों के लिये चिकित्सा सुविधा की वृद्धि करते हुये चिकित्सालय द्वारा समय-समय पर विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। यहाँ के चिकित्सक गण चिकित्सालय के अधिक मरीजों की सेवा के साथ-साथ सामाजिक कार्यक्रम जैसे कि इजित्मा, शालेय स्वास्थ्य परीक्षण योजना में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

## ● रसूल अहमद सिद्दीकी पत्मोनरी मेडिसिन सेन्टर

1 दिसम्बर, 1994 को श्वास संबंधी रोगों के उपचार हेतु प्रारम्भ इस चिकित्सालय में फेफड़ों से संबंधित रोगों हेतु विशेष सुविधायुक्त उपकरणों एवं सेवाओं का चुनाव विशिष्ट रखा गया। इस हेतु चिकित्सालय में एक्स-रे, पैथालॉजी, ई.सी.जी. के अतिरिक्त पी.एफ.टी. इकोकार्डियोग्राफी, ब्रान्कोस्कोपी, स्ट्रेस टेस्ट एवं फलोरेस्कोपी सुविधा उपलब्ध है।

चिकित्सालय में लंबे समय तक उपचार चलने वाले मरीजों को अलग से पंजीबद्ध किया गया है। इन मरीजों के उपचार संबंधी रिकार्ड एक अलग सेक्शन में रखे जाते हैं। इसी तहर पत्मोनरी फिजियोथेरेपी द्वारा श्वास रोगों से पीड़ित मरीजों का चिकित्सीय पुनर्वास भी किया जाता है।

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे :** मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण इत्यादि का संचालन भी चिकित्सालय से किया जा रहा है।

यह चिकित्सालय प्रमुख रूप से फेफड़े से संबंधित बीमारियों का पृथक से चिकित्सा प्रदान करने हेतु है कुल 1705 भर्ती मरीजों में से 36.7 प्रतिशत फेफड़े से संबंधित गैस प्रभावित मरीज थे तथा केवल 9.15 व्यक्ति फेफड़े से संबंधित गैस अप्रभावित मरीज थे। बाह्य रोगी विभाग में वर्तमान वर्ष में दिसम्बर 2007 तक 117545 मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अन्य अप्रभावित व्यक्तियों को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई।

### फिजियोथेरेपी :-

पत्मोनरी मेडिसिन सेन्टर के फिजियोथेरेपी विभाग द्वारा कुल 221 गैस पीड़ितों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया गया जिसमें से 139 महिलाएं एवं 82 पुरुषों को चिकित्सा उपलब्ध कराई गई।

### योग चिकित्सा :-

रोगी कल्याण समिति के माध्यम से पत्मोनरी मेडिसिन सेन्टर, गैस राहत के पूर्व अधीक्षक, डॉ. एस.आर मालवीय, सदस्य पतांजली योग पीठ एवं पतांजली योग पीठ के प्रशिक्षक श्री आर.एस. अग्रवाल एवं श्री रामकिशोर तेलकर के प्रयासों से विभाग में योग चिकित्सा केन्द्र की स्थापना 31.07.2006 को की गई।

### फिजियोथेरेपी एवं योग चिकित्सा से लाभांवित मरीजों का विवरण

| क्र. | रोग का विवरण           | महिला      | पुरुष      | योग        |
|------|------------------------|------------|------------|------------|
| 1    | श्वास रोग              | 62         | 96         | 158        |
| 2    | रक्त चाप एवं हृदय रोग  | 28         | 32         | 60         |
| 3    | अस्थि रोग कमर दर्द आदि | 25         | 29         | 54         |
| 4    | मधुमेह                 | 09         | 09         | 18         |
| 5    | उदर रोग                | 12         | 09         | 21         |
| 6    | अन्य रोग               | 11         | 06         | 17         |
|      | <b>कुल योग</b>         | <b>147</b> | <b>181</b> | <b>328</b> |

## ● खान शाकिर अली खान चिकित्सालय

यहाँ 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा रोगियों हेतु उपलब्ध है। साथ ही इस चिकित्सालय में विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ दन्त चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक्स-रे, पैथालॉजी, अल्ट्रासाउण्ड, एवं एन्डोस्कोपी की सुविधा भी उपलब्ध है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थियेटर एवं शल्य क्रिया तथा नेत्र रोग चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है।

वर्ष 2007 में बाह्य रोगी विभाग द्वारा 204058 रोगियों का परीक्षण कर उपचार किया गया एवं आंतरिक विभाग द्वारा 3903 भर्ती मरीजों का उपचार किया गया। इस चिकित्सालय में कुल 27271 पैथालाजी, 1536 अल्ट्रासोनोग्राफी, 9455 एक्स-रे, 94 पी.एफ.टी. एवं 2883 ई.सी.जी. आदि परीक्षण कर रोगियों को सुविधा उपलब्ध कराई गई।

इसके अतिरिक्त अस्पताल में राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे :- पल्स पोलियो, स्कूल हेल्थ, मलेरिया उन्मूलन, टी.बी. के इलाज हेतु डॉट कार्यक्रम एवं कुष्ठ रोग उन्मूलन आदि कार्यक्रम भी नियमित रूप से संचालित किये जाते हैं।

## ● मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय

इस चिकित्सालय में भी खान शाकिर अली खान चिकित्सालय की तरह आधुनिक उपकरण एवं विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस चिकित्सालय की चलित इकाई द्वारा शर्मा कालोनी एवं राजेन्द्र नगर में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 में इस चिकित्सालय द्वारा कुल गैस पीड़ित बाह्य रोगियों की संख्या 157977 एवं आंतरिक रोगियों की संख्या 2041 रही। इस चिकित्सालय में कुल 24236 पैथालाजी, 1004 अल्ट्रासोनोग्राफी, 2856 एक्स-रे, 13 पी.एफ.टी. एवं 409 ई.सी.जी. अदि परीक्षण कर रोगियों को सुविधा उपलब्ध कराई गई।

## ● लाल बहादुर शास्त्री औषधालय- (डे केयर युनिट) मालीखेड़ी

इस चिकित्सालय को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नाम से नामांकित किया गया है। इस चिकित्सालय में दिनांक 2.10.2002 को 30 शैय्याओं की सुविधा प्रारम्भ की गई थी। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस चिकित्सालय को डे केयर यूनिट में परिवर्तित कर दिया गया है। मरीजों की संख्या में कमी के कारण अब केवल 10 शैय्याएं चिकित्सा हेतु उपलब्ध हैं।

## ● करोंद - 'डे केयर युनिट'

मृतका गैस पीड़ितों के परिजनों के लिये शासन द्वारा निशुल्क आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इन आवासों के रहवासियों एवं इस क्षेत्र में रह रहे गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 6 शैय्यायुक्त 'डे केयर यूनिट' का शुभारंभ दावा अदालत भवन, करोंद में किया गया है।

## ● कुशाभाउ ठाकरे औषधालय नरेला शंकरी

गैस प्रभावित वार्ड कमांक 47 नरेला शंकरी क्षेत्र में रह रहे गैस पीड़ितों को तत्कालीन गैस राहत मंत्री श्री बाबूलाल गौर द्वारा दिनांक 13.02.2004 को दावा अदालत भवन नरेला शंकरी में औषधालय का शुभारंभ किया गया है। इस सुविधा से गैस पीड़ित लाभान्वित हो रहे हैं।

## ● अशोका गार्डन औषधालय

गैस प्रभावित अशोका गार्डन क्षेत्र में रह रहे गैस पीड़ित मरीज को माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2005 को गैस पीड़ित मरीजों के लिये लाकार्पित की गई ।

गैस राहत विभाग के समस्त डिस्पेंसरी तथा पॉलीक्लीनिक को डे-केयर सेन्टर में परिवर्तित कर शैया की व्यवस्था की गई एवं समस्त केन्द्रों का कार्य समय प्रातः 09 बजे से अपराह्न 04:00 बजे कर दिया गया । रोजमरा की सामान्य बीमारियों को जिसमें मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें दिभर आबजरवेशन में रखकर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है । समस्त डे-केयर सेन्टर में एक्स-रे, रक्त आदि की सामान्य जाँच की सुविधा उपलब्ध है । गैस प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये 09 डे-केयर सेन्टर सुचारू रूप से संचालित किये जा रहे हैं । इनमें कुल 264836 मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई इससे गैस राहत चिकित्सालयों के बाह्य रोगी विभाग में मरीजों का भार कम हो जाता है एवं गैस पीड़ितों को अपने निवास से अधिक दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है ।

## गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

गैस पीड़ित रोगियों को शासन द्वारा दिनांक 23.12.2004 को प्रसारित नई नीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे तथा ऊपर जीवन यापन करने वाले को जा आयकर दाता तथा शासकीय कर्मचारी जिन्हें किसी स्त्रोत से चिकित्सा देय की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । रोगियों को कैंसर की चिकित्सा हेतु जवाहर लाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय, ईदगाह हिल्स, भोपाल को रेफर किया जाता है । दिनांक 01.04.1998 से दिसम्बर 2004 तक कुल 1135 गैस पीड़ित कैंसर रोगी चिकित्सा हेतु भेजे जा चुके हैं । अभी तक रुपये 2.79 करोड़ का भुगतान इलाज के लिये किया जा चुका है ।

## चिकित्सालय के उन्नयन हेतु नवीन योजना

1. इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय में राशि रुपये 65.22 लाख की लागत से रेम्प का निर्माण कार्य प्रगति पर है । निर्माण कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण किया है । रेम्प निर्माण होने से मरीजों को और अधिक सुविधा प्राप्त होगी । गैस पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय देशी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत होम्योपैथी चिकित्सा हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की लागत से आयुश विंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

2. खान शाकिर अली खान चिकित्सालय परिसर में बाह्य रोगी विभाग का पुनः निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में 40.00 लाख रुपये से भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है । इससे अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग और अधिक क्षमता के साथ संचालित किया जाना संभव होगा ।

3. अयुष विंग का निर्माण कार्य :- खान शाकिर अली खान चिकित्सालय में भवन परिसर में देशी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त धन से होम्योपैथिक क्लीनिक की स्थापना हेतु भवन के लिये रुपये 10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म.प्र. भोपाल से प्राप्त हुई है । निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है । इससे गैस पीड़ितों के उपचार हेतु एक स्थल पर विभिन्न पद्धतियों से उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी ।

## **गैस राहत चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की पूर्ति :-**

गैस राहत चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदा नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। प्रथम चरण में वरिष्ठ परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, ई.सी.जी. टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, तकनीकी सहायक, पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा आधार पर की जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष पदों फार्मासिस्ट, लेब सहायक, ओ.टी. टेक्नीशियन एवं ओ.टी. सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।

## **पुनर्वास अध्ययन केन्द्र के अंतर्गत संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान**

गैस त्रासदी के उपरान्त भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) द्वारा नई दिल्ली एवं देश के अनेक चिकित्सा क्षेत्र से संबद्ध वरिष्ठ चिकित्सा वैज्ञानिकों ने गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य पर गैस के दुष्प्रभाव के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये भोपाल में 24 अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की अनुशंसा की थी। क्लीनिकल अध्ययनों में श्वसन तंत्र, नेत्र रोग विज्ञान, मानसिक रो, इपिडिमियोलॉजिकल अध्ययन, सायटोजेनेटिक, कैंसर, इम्युनोलॉजी से संबंधित परियोजनरएं संचालित की गई। उपरोक्त में से लगभग सभी परियोजनाओं को वर्ष 1994 के अंत तक बंद कर दिया गया था। मात्र एक ही परियोजना, जो कैंसर से संबंधित थी, वर्तमान में भी संचालित हो रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने उपरोक्त परियोजनाओं के बंद होने के बाद अंतिम तकनीकी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु तीन समितियों का गठन किया था, जिन्हें क्रमशः इपिडिमियोलॉजिकल अध्ययन टॉक्सिकोलॉजिकल एवं अन्य क्लीनिकल परियोजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने थे। सारे प्रतिवेदनों को तैयार कर नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कार्यालय में जमा किया जा चुका है।

वर्ष 1995 में आई.सी.एम.आर., नई दिल्ली द्वारा संचालित भोपाल गैस त्रासदी अनुसंधान केन्द्र, गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में कार्यरत संपूर्ण अमले को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने अधीन लेकर गैस राहत विभाग के अंतर्गत पुनर्वास अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध कराकर वैज्ञानिक गतिविधियों के संपादित किया जा रहा है।

## **पेयजल :-**

गैस प्रभावित क्षेत्रों में कोलार से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये नगर निगम भोपाल द्वारा 8.50 करोड़ रुपये की एक जोना बनाई गई है। गैस राहत विभाग द्वारा इस योजना में से रुपये 2.80 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके विरुद्ध पूर्ण राशि रुपये 2.80 करोड़, आयुक्त, नगर निगम भोपाल को उपलब्ध करा दी गई है। राज्य शासन द्वारा यूनियन कार्बाइड परिसर के आस-पास स्थित गैस प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम भोपाल को रुपये 2.00 करोड़ का आवंटन प्रथम अनुपूरक अनुदान वर्ष 2004-2005 में प्राप्त हुआ है।

## महत्वपूर्ण सांख्यिकी

**I. भोपाल गैस रिसन त्रासदी के तुरंत पश्चात् राज्य शासन द्वारा गैस पीड़ितों को पदत्त तात्कालिक राहत**

- माह दिसम्बर, 1984 में गैस पीड़ितों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता
- 78.880 परिवार जिनकी मासिक आय रु. 500/- प्रतिमाह से कम थी, का 11.80 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता
- 19.20 करोड़ रुपये का मुफ्त खद्यान, दूध इत्यादि का गैस पीड़ितों में वितरण
- मृत मवेशियों के पालकों को 0.26 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि वितरित
- त्रासदी के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके आश्रितों को राज्य शासन द्वारा रु. 10,000/- की अनुग्रह राशि प्रति परिवार कुल 3,787 परिवारों को रु.3.78 करोड़ की राशि वितरित

**II. भोपाल गैस रिसन त्रासदी के तुरंत पश्चात् राज्य शासन द्वारा गैस पीड़ितों को पदत्त अंतरिम राहत**

(i) उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित अंतरिम राहत - आदेश दिनांक 21/28.04.89

| क्र. | अंतरिम राहत की राशि | अंतरिम राहत के पात्र परिवारों / व्यक्तियों का विवरण                               | परिवारों की संख्या जिन्हें राहत राशि दी गई | वितरित की गई राशि (रुपये लाखों में) |
|------|---------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1.   | रु.750/- प्रतिमाह   | गैस रिसन के कारण ऐसे परिवारों को जिसमें कम से कम एक वयस्क की मृत्यु हुई हो        | 2007                                       | 12.2.43<br>153.76                   |
| 2.   | रु.500/- प्रतिमाह   | उन व्यक्तियों को जिन्हें पूर्ण स्थाई निःशक्तता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हो | 37   |                                     |
| 3.   | रु.3000/- प्रतिमाह  | उन व्यक्तियों को जिन्हें आंशिक स्थाई अथवा निःशक्तता श्रेणी में वर्गीकृत किया हो   | 6229                                       | 195.87                              |
| 4.   | रु. 1000/- एक मुश्त | उन व्यक्तियों को जिन्हें स्थाई अथवा निःशक्तता की श्रेणी में वर्गीकृत किया हो      | 12669                                      | 126.69                              |

(ii) राज्य शासन द्वारा आदेशित अंतरिम राहत

राज्य शासन द्वारा उन परिवारों को जिनमें कम से कम एक व्यक्ति का चिकित्सा अभिलेखीकरण निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया हो उन्हें 1 जनवरी, 90 से एक साल के लिये रु. 300/- प्रतिमाह की राहत राशि 237 परिवारों को रु. 4.86 लाख की राशि का भुगतान ।

### (iii) केन्द्र शासन द्वारा आदेशित अंतरिम राहत

भोपाल शहर के कुल 56 वार्डों में से केवल 36 वार्ड गैस प्रभावित घोषित किए गए :-

- गैस पीड़ित घोषत 36 वार्डों के 5 लाख हितग्राहियों के लिए योजना :

दिनांक 01.04.90 से 31.03.93 तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रु. 200/- की अंतरिम राहत सहायता के रूप में कुल रु. 7,200/- की अंतरिम सहायता विभिन्न बैंकों के माध्यम से कुल रु. 359.15 करोड़ का भुगतान ।

उपरोक्त पाँच लाख व्यक्तियों में से 3.90 लाख व्यक्तियों को पात्रतानुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.93 के अनुसार 01.06.93 से 31.05.96 तक पात्र व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रूपये 200/- की अंतरिम सहायता का भुगतान ।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 36 वार्डों के उपरोक्त 5 लाख खातों के अलावा 78.010 खाते खोल कर दिनांक 01.03.92 से फरवरी 95 तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रु. 200/- की अंतरिम सहायता कुल रु. 7,200/- का भुगतान ।

(III). दावा आवेदन वर्ष 1985 से वर्ष 1989 तक तथा वर्ष 1996-97 में दो प्रावस्थाओं में आमंत्रित किये गये । प्रथम प्रवस्था (1985-89) में 6,18,659 मामले पंजीकृत किये गये । द्वितीय प्रावस्था (1996-97) में 4,10,857 दावा आवेदन प्राप्त हुए ।

### 1985-89 एवं 1996-97 में प्राप्त दावा फार्म

| सं.<br>क्र. | श्रेणी  | मामलों की संख्या |                 |                  |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
|             |   | वर्ष 1985-89     | वर्ष 1996-97    | योग              |
| 1.          | व्यक्तिगत क्षति के लिये प्रस्तुत दावे   | 5,97,908         | 4,03,815        | 10,01,723        |
| 2.          | पशुधन की हानि के लिये प्रस्तुत दावे   | 612              | 46              | 658              |
| 3.          | वाणिज्यिक/व्यापारिक संस्थानों द्वारा उन्हें हुई हानि के लिये प्रस्तुत दावे    | 4,765            | 156             | 4,901            |
| 4.          | मृत्यु के मामलों में प्रस्तुत दावे  | 15,310           | 6,840           | 22,150           |
| 5.          | केन्द्रीय/राज्य शासन/अशासकीय संगठनों द्वारा उन्हें हानि के लिये प्रस्तुत दावे | 84               | --              | 84               |
|             | योग :   | <b>6,18,659</b>  | <b>4,10,857</b> | <b>10,29,516</b> |

**दिनांक 31.12.2004 तक दावा न्यायालयों द्वारा निपटाए गए दावा प्रकरणों की स्थिति**

| क्र.                        | दावों का विवरण | वर्ष जिनमें आवेदन प्राप्त हुए | पंजीकृत किये गये मामलों की संख्या | निराकृत किये गये मामलों की संख्या | वे प्रकरण जिनमें मुआवजा आदेश पारित किये गये | निरस्त किये गये मामलों की संख्या | लंबित मामलों की संख्या |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| 1                           | 2              | 3                             | 4                                 | 5                                 | 6   | 7                                | 8                      |
| 1.                          | 01             | 1985-89<br>1996-97            | 5,97,908<br>4,03,815              | 5,97,908<br>4,03,815              | 3,50,282<br>2,06,363                        | 2,47,626<br>1,97,452             | --<br>--               |
| 2.                          | 02             | 1985-89<br>1996-97            | 612<br>46                         | 612<br>46                         | 233<br>--                                   | 379<br>46                        | --<br>--               |
| 3.                          | 03             | 1985-89<br>1996-97            | 4745<br>156                       | 4745<br>156                       | 525<br>21                                   | 4220<br>135                      | --<br>--               |
| 4.                          | 04             | 1985-89<br>1996-97            | 15,310<br>6,840                   | 15,310<br>6,840                   | 11,735<br>3,560                             | 3,575<br>3,280                   | --<br>--               |
| 5.                          | 05             | 1985-89                       | 84                                | 84                                | 07  | 77                               | --                     |
| वर्षवार मामलों की संख्या    |                | 1985-89<br>1996-97            | 6,18,659<br>4,10,857              | 6,18,659<br>4,10,857              | 3,62,782<br>2,09,944                        | 2,55,877<br>2,00,913             | --<br>--               |
| <b>कुल मामलों की संख्या</b> |                |                               | <b>10,29,516</b>                  | <b>10,29,516</b>                  | <b>5,72,726</b>                             | <b>4,56,790</b>                  | <b>--</b>              |

**पारित की गई रकम** - 1540.46 करोड़ रुपये

**वितरित की गई रकम** - 1537.51 करोड़ रुपये

दावा न्यायालयों द्वारा निपटाए गए दावा प्रकरणों में दावेदार द्वारा दायर की गई रिवीजन एवं अपील संबंधी मामले दिनांक 31.12.2004 की स्थिति में

| न्यायालय जहाँ विचाराधीन हैं        | पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या | निराकृत किए गए मामलों की संख्या | लंबित मामलों की संख्या |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>रिवीजन</b>                      |                                 |                                 |                        |
| मान. कल्याण आयुक्त के न्यायालय में | 8569                            | 8568                            | 01                     |
| मान. कल्याण आयुक्त के न्यायालय में | 18,058                          | 18,058                          | 00                     |
| <b>अपील</b>                        |                                 |                                 |                        |
| मान. कल्याण आयुक्त के न्यायालय में | 69,536                          | 69,505                          | 31                     |

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2004 के परिपालन में कल्याण आयुक्त भोपाल गैस त्रासदी भोपाल द्वारा गैस पीड़ितों को प्रोरेटा मुआवजा के वितरण की कार्यवाही दिनांक 15.11.2004 से प्रारम्भ दिनांक 31.1.2005 तक लगभग 62 हजार गैस पीड़ितों को 1.90 करोड़ का भुगतान किया गया है।

यह कार्यालय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश से गैस पीड़ितों को मुआवजा वितरण का कार्य संपादित कर रहा है। इनका नियंत्रण भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य शासन का मुआवजा वितरण से संबंधित कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है।

#### V. गैस राहत चिकित्सा संस्थाओं के बाह्य एवं आंतरिक रोगी विभाग के आंकड़े (वर्ष 1985 से दिसम्बर 2006 तक की स्थिति)

| क्र. | वर्ष | बाह्य रोगियों की संख्या |             |          | दैनिक औषत | भर्ती मरीजों की संख्या |
|------|------|-------------------------|-------------|----------|-----------|------------------------|
|      |      | नये रोगी                | पुराने रोगी | कुल रोगी |           |                        |
| 1.   | 1985 | 688322                  | 403458      | 1041780  | 2584      | 2835                   |
| 2.   | 1989 | 926439                  | 479911      | 1406350  | 3853      | 11364                  |
| 3.   | 1993 | 1037887                 | 371929      | 1409816  | 3860      | 12130                  |
| 4.   | 1994 | 1137506                 | 371651      | 1509157  | 4134      | 15192                  |
| 5.   | 1995 | 1053530                 | 397628      | 1457158  | 3992      | 14875                  |
| 6.   | 1996 | 1081248                 | 356916      | 1438164  | 3940      | 14995                  |
| 7.   | 1997 | 1030658                 | 307212      | 1337870  | 3665      | 11876                  |
| 8.   | 1998 | 977081                  | 316081      | 1293162  | 3542      | 15405                  |
| 9.   | 1999 | 1169046                 | 394523      | 1563569  | 4298      | 18466                  |
| 10.  | 2000 | 1082352                 | 477392      | 1559744  | 4273      | 23577                  |
| 11.  | 2001 | 837032                  | 466164      | 1303196  | 3570      | 24100                  |
| 12.  | 2002 | 1003001                 | 502686      | 1505687  | 4127      | 30919                  |
| 13.  | 2003 | 962887                  | 490982      | 1453869  | 3986      | 26196                  |
| 14.  | 2004 | 979202                  | 447388      | 1426560  | 3915      | 25217                  |
| 15.  | 2005 | 935491                  | 433783      | 1369274  | 3812      | 26569                  |
| 16.  | 2006 | 794441                  | 475271      | 1269712  | 3479      | 29025                  |
| 17.  | 2007 | 860779                  | 447270      | 1308049  | 3583      | 30313                  |

**गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं की गतिविधियाँ वर्ष 2006  
(माह दिसम्बर 2006 की स्थिति)**

| क्र. | संस्था का नाम | बैड | कुल बाह्य रोगियों की संख्या | दैनिक औषत | कुल भर्ती रोगियों की संख्या |
|------|---------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1    | जे.एन.एच.     | 125 | 362020                      | 992       | 7935                        |
| 2    | आई.जी.एच.     | 150 | 171170                      | 469       | 11072                       |
| 3    | एम.एल.एस.     | 30  | 157977                      | 433       | 2041                        |
| 4    | एस.ए.के.      | 60  | 204058                      | 559       | 3903                        |
| 5    | पी.एम.सी.     | 50  | 117545                      | 322       | 1705                        |
| 6    | के.एन.एच.     | 219 | 29191                       | 80        | 3657                        |

**डे-केयर इकाईयाँ**

|    |                  |     |         |      |       |
|----|------------------|-----|---------|------|-------|
| 7  | इब्राहिमगंज      | ●   | 26304   | 72   | ●     |
| 8  | रुकमाबाई         | ●   | 39818   | 109  |       |
| 9  | जहाँगीराबाद      | ●   | 17057   | 47   | ●     |
| 10 | पुतलीघर          |     | 53009   | 145  |       |
| 11 | नरेला शंकरी      | ●   | 23100   | 63   | ●     |
| 12 | बाग उमराव दूल्हा |     | 26235   | 72   |       |
| 13 | करौद             | ●   | 42043   | 115  | ●     |
| 14 | एल.बी.एस.        |     | 4463    | 12   | ●     |
| 15 | अशोका गार्डन     | ●   | 34059   | 93   | ●     |
|    | योग-             | 634 | 1308049 | 3583 | 30313 |

- यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है

**गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सालयों में किये गये चिकित्सीय परीक्षणों की जानकारी वर्ष 2006  
(माह दिसम्बर 2006 तक की स्थिति)**

| संस्था का नाम | पी.एफ.टी. | अल्ट्रा सोनो ग्राफी | ई.सी.जी. | ईको कार्डियो ग्राफी | स्ट्रेस टेस्ट | क्ष-किरण | इण्डो स्कोपी | डायले सिस | सी.टी.स्केन |
|---------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------------|
| जे.एन.एच.     | 56        | 4056                | 3966     | 712                 | ●             | 8832     | ●            | ●         | ●           |
| आई.जी.एच.     | ●         | 3156                | 123      | ●                   | ●             | 1731     | ●            | ●         | ●           |
| एम.एल.एस.     | 13        | 1004                | 409      | ●                   | ●             | 2856     | ●            | ●         | ●           |
| एस.ए.के.      | 94        | 1536                | 2883     | ●                   | ●             | 9455     | ●            | ●         | ●           |
| पी.एम.सी.     | 250       | 299                 | 1625     | 00                  | 4             | 2258     | 00           | 00        | 00          |
| के.एन.एच.     | ●         | 2103                | 2245     | 1057                | ●             | 2080     | 1582         | 1243      | 2028        |

**पैथालॉजी परीक्षण का विवरण (दिसम्बर) 2006 तक की स्थिति में**

| विभाग    | परीक्षण का नाम | चिकित्सालय का नाम |              |              |              |              |              |               |
|----------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                | जे.एन.एच.         | आई.जी.एच     | के.एन.एच.    | एस.ए.के.     | एम.एल.एस     | पी.एम.सी     | योग           |
| पैथालॉजी | रक्त           | 31735             | 47231        | 16274        | 12562        | 10486        | 16074        | 134362        |
|          | मूत्र          | 14323             | 21960        | 9535         | 7237         | 5080         | 2944         | 61079         |
|          | मल             | 50                | 510          | 26           | 117          | 25           | 14           | 742           |
|          | खकार           | 2871              | •            | •            | 81           | 770          | 1121         | 4843          |
|          | बायोकेमेस्ट्री | 7077              | 6934         | 26569        | 6363         | 7013         | 5953         | 59909         |
|          | सीरोलॉजी       | 1564              | 1223         | 1375         | 911          | 862          | 376          | 6311          |
|          | बैक्टिरियोलॉजी | •                 | •            | •            | •            | •            | 31           | 31            |
|          | योग-           | <b>57620</b>      | <b>77858</b> | <b>53779</b> | <b>27271</b> | <b>24236</b> | <b>26513</b> | <b>267277</b> |

- यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है

## **बजट एक नजर**

वित्तीय वर्ष 2007-08 में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के बजट अनुमान एवं व्यय माह दिसम्बर 2007 की जानकारी 'सारणी--एक' में संलग्न है।

### **बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय**

वित्तीय वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय की योजनावार जानकारी 'सारणी--दो' में संलग्न है।

**सारणी - (वर्ष 2007-08 बजट अनुमान एवं अन्य - दिसम्बर 2004 तक की जानकारी)**

**मांग संख्या-72-विभिन्न शीष**

(आंकड़े लाख में)

| क्र.                           | इकाई का नाम                                | लेखा शीष | योजना क्र. | बजट अनुमान<br>2007-08 | व्यय माह दिसम्बर<br>2007 तक की स्थिति |
|--------------------------------|--|----------|------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 01.                            | सामान्य शिक्षा                             | 2202     | 5740       | 200.00                | 23.82                                 |
|                                | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य                 |          |            |                       |                                       |
| 02.                            | देशी चिकित्सा पद्धति                       | 2210     | 1994       | 64.22                 | 40.89                                 |
| 03.                            | निर्देशन और प्रशासन-सी.एम.ओ.               | 2210     | 2304       | 494.62                | 326.00                                |
| 04.                            | जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय                 | 2210     | 6016       | 523.13                | 372.88                                |
| 05.                            | पत्लोनरी इकाई की रथापना                    | 2210     | 7007       | 208.02                | 118.06                                |
| 06.                            | कमला नेहरू चिकित्सालय                      | 2210     | 775        | 581.76                | 538.69                                |
| 07.                            | इंदिरा गांधी चिकित्सालय                    | 2210     | 8873       | 589.74                | 354.12                                |
| 08.                            | मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय                 | 2210     | 5068       | 236.20                | 160.09                                |
| 09.                            | गैस राहत औषधालय                            | 2210     | 5069       | 207.50                | 118.39                                |
| 10.                            | शाकिर अली खान चिकित्सालय                   | 2210     | 6954       | 269.55                | 184.84                                |
|                                | योग (1 से 10 तक) :                         |          |            | 3165.74               | 2033.96                               |
| 4.                             | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण                  | 2235     |            |                       |                                       |
| 01.                            | गैस दावा संचालनालय                         | 2235     | 3171       | 98.90                 | 69.68                                 |
| 02.                            | जिलाध्यक्ष कार्यालय, गैस राहत              | 2235     | 3757       | 53.83                 | 35.55                                 |
| 03.                            | सृचना प्रोटोग्राफीय                        | 2235     | 8808       | 30.60                 | 11.34                                 |
| 04.                            | गैस प्रभावित अनाथ बच्चों पर व्यय           | 2235     | 1142       | 1.25                  | 1.01                                  |
|                                | योग-                                       |          |            | 184.58                | 117.58                                |
| 1.                             | अपशिष्ट पदार्थ                             | 3425     | 1587       | 33.00                 | 23.21                                 |
| 2.                             | आई.सी.एम.आर.                               | 3425     | 5857       | 10.00                 | 0.00                                  |
|                                | योग-                                       |          |            | 43.00                 | 23.21                                 |
| <b>भाग - दो : पूँजी अनुभाग</b> |  |          |            |                       |                                       |
| 1.                             | चिकित्सा एवं लोक स्वा. पर पूँजीगत व्यय     |          |            |                       |                                       |
| 1.                             | कमला नेहरू चिकित्सालय में निर्माण कार्य    | 4210     | 775        | 10.00                 | 0.00                                  |
| 2.                             | कमला नेहरू चिकित्सालय में उपकरण            | 4210     | 775        | 300.00                | 0.00                                  |
| 3.                             | शाकिर अली में ओ.पी.डी. भवन                 | 4210     | 6954       | 10.00                 | 8.40                                  |
| 4.                             | पत्लोनरी मेडिसिन सेन्टर                    | 4210     | 7007       | 18.50                 | 16.41                                 |
| 5.                             | इंदिरा गांधी चिकित्सालय में रैम्प          | 4210     | 8873       | 30.00                 | 8.38                                  |
|                                | योग-                                       |          |            | 368.50                | 33.19                                 |
|                                | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत व्यय |          |            |                       |                                       |
| 01                             | गैस प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदाय       | 4235     | 4889       | 300.00                | 0.00                                  |
|                                | योग- पूँजी अनुभाग-                         |          |            | 668.50                | 33.19                                 |
|                                | महायोग-- भाग एक एवं दो :                   |          |            | 4261.82               | 2231.76                               |

- नोट :- 1. संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास, कलेक्टर, गैस राहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गैस राहत, गोविन्दपुरा, राजधानी परियोजना प्रशासन, गैस राहत संभाग एवं खान शाकिर अली खान चिकित्सालयके ओ.पी.डी. बलॉक के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपये 1,00,21,000 का आवंटन प्रथम अनुप्रक अनुदान में प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जे.एन.एच. में अधिक व्यय पुर्नविनियोजन से समायोजित।
2. आई.जी.एच. एवं पी.एम.सी. की मानचित्रकारी हेतु रु.6.35 लाख भारित में आवंटन प्राप्त।

**सारणी - 2(वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक के बजट एवं व्यय की जानकारी)**  
**मांग संख्या-72-विभिन्न शीर्ष**

(आंकड़े लाख में)

| क्र. | इकाई का नाम                          | लेखा<br>शीर्ष | योग<br>योजना | 2004-2005 |                 |              |          | 2005-2006 |                 |              |          | 2006-2007 |                 |              |          |         |
|------|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------------|--------------|----------|---------|
|      |                                      |               |              | प्रावधान  | स्थापना<br>व्यय | अन्य<br>व्यय | कुल व्यय | प्रावधान  | स्थापना<br>व्यय | अन्य<br>व्यय | कुल व्यय | प्रावधान  | स्थापना<br>व्यय | अन्य<br>व्यय | कुल व्यय |         |
|      |                                      |               |              |           |                 |              |          |           |                 |              |          |           | 0.00            |              |          | 0.00    |
| 01.  | संचिवालय सामान्य सेवाएं              | 2052          | 3170         | 0.00      |                 |              | 2.77     | 0.00      |                 |              | 0.00     |           |                 |              |          | 0.00    |
| 02.  | सामान्य शिक्षा आर्थिक सहायता         | 2202          | 5740         | 100.00    |                 |              | 0.00     | 50.00     |                 |              | 0.00     | 400.00    |                 |              |          | 10.00   |
| 03.  | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य           | 2210          | 1994         | 38.93     |                 |              | 44.64    | 56.70     |                 |              | 48.01    | 57.58     |                 |              |          | 49.24   |
| 04.  | निर्देशन और प्रशासन सीएमओ            | 2210          | 2332         | 714.50    |                 |              | 643.54   | 737.35    |                 |              | 710.69   | 916.91    |                 |              |          | 856.18  |
| 05.  | जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय           | 2210          | 6016         | 443.64    |                 |              | 417.29   | 437.83    |                 |              | 408.65   | 448.76    |                 |              |          | 419.77  |
| 06.  | पल्लोनरी इकाई की स्थापना             | 2210          | 7007         | 130.00    |                 |              | 128.00   | 141.65    |                 |              | 13.69    | 147.17    |                 |              |          | 126.02  |
| 07.  | कमला नेहरू चिकित्सालय                | 2210          | 774          | 726.69    |                 |              | 395.73   | 432.90    |                 |              | 335.27   | 8904.62   |                 |              |          | 349.20  |
| 08.  | इंदिरा गांधी चिकित्सालय              | 2210          | 8873         | 384.85    |                 |              | 380.43   | 420.22    |                 |              | 372.03   | 440.35    |                 |              |          | 377.40  |
|      | योग (3 से 8 तक) :                    |               |              | 2438.61   |                 |              | 2009.63  | 2226.65   |                 |              | 2014.34  | 2815.39   |                 |              |          | 2178.15 |
| 09.  | शहरी विकास                           | 2217          | 2539         | 68.35     |                 |              | 80.62    | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 10.  | श्रम और रोजगार                       | 2230          | 2333         | 83.51     |                 |              | 84.30    | 122.34    |                 |              | 90.25    | 13.00     |                 |              |          | 0.00    |
| 11.  | गैस दावा संचालनालय                   | 2235          | 3171         | 46.73     |                 |              | 43.59    | 62.38     |                 |              | 53.87    | 85.52     |                 |              |          | 73.63   |
| 12.  | जिलाध्यक्ष कार्यालय गैस राहत         | 2235          | 3757         | 39.56     |                 |              | 42.02    | 42.75     |                 |              | 42.43    | 48.06     |                 |              |          | 43.33   |
| 13.  | सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धित         | 2235          | 8808         | 0.01      |                 |              | 0.00     | 0.61      |                 |              | 0.00     | 20.61     |                 |              |          | 3.28    |
| 14.  | अंतर्रिम राहत हेतु अमला              | 2235          | 6023         | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 15.  | गैस प्रभावित बच्चों पर व्यय          | 2235          | 1142         | 1.30      |                 |              | 1.22     | 1.30      |                 |              | 1.32     | 1.56      |                 |              |          | 1.27    |
| 16.  | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान              | 3425          | 5857         | 50.00     |                 |              | 24.37    | 3.00      |                 |              | 28.00    | 30.00     |                 |              |          | 23.72   |
| 17.  | पुनर्वास अध्ययन केन्द्र              | 3425          | 6021         | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 18.  | यूनियन कार्बाइड के अवशिष्ट पदार्थ    | 3425          | 8801         | 9.02      |                 |              | 0.00     | 49.29     |                 |              | 49.27    | 0.02      |                 |              |          | 0.00    |
|      | योग-(1-12) राजस्व अनुभाग:            |               |              | 2828.09   |                 |              | 2288.52  | 2585.32   |                 |              | 2279.48  | 3414.16   |                 |              |          | 2333.38 |
| 01.  | संचा. गैस राहत एवं पुनर्वास          | 4210          | 3171         | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 02.  | कमला नेहरू चिकित्सालय                | 4210          | 775          | 10.00     |                 |              | 0.00     | 310.00    |                 |              | 39.74    | 310.00    |                 |              |          | 17.54   |
| 03.  | शाकिर अली चिकित्सालय                 | 4210          | 234          | 15.00     |                 |              | 16.81    | 0.00      |                 |              | 0.00     | 40.00     |                 |              |          | 28.04   |
| 04.  | पुनर्वास गृह निर्माण मालीखेड़ी       | 4210          | 2620         | 10.00     |                 |              | 10.33    | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 05.  | जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय           | 4210          | 6016         | 5.00      |                 |              | 9.84     | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 06.  | पी.एम.सी. वृहद निर्माण               | 4210          | 7007         | 5.00      |                 |              | 0.42     | 0.00      |                 |              | 0.00     | 40.00     |                 |              |          | 0.00    |
| 07.  | सिविल डिस्पेंसरी का निर्माण          | 4210          | 7032         | 3.00      |                 |              | 0.00     | 6.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 08.  | इंदिरा गांधी चिकित्सालय              | 4210          | 8873         | 25.00     |                 |              | 9.96     | 30.00     |                 |              | 0.13     | 24.00     |                 |              |          | 20.98   |
| 09.  | यूनियन कार्बाइड                      | 4235          | 8801         | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 10.  | आई.टी.आई. में वृहद निर्माण           | 4235          | 2304         | 4.99      |                 |              | 0.00     | 5.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 11.  | पुनर्वास हेतु निर्माण                | 4235          | 2620         | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              | 0.00     | 0.00      |                 |              |          | 0.00    |
| 12.  | गैस प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदाय | 4235          | 4889         | 27.01     |                 |              | 27.00    | 200.00    |                 |              | 180.00   | 200.00    |                 |              |          | 180.00  |
|      | योग- (1 से 6 तक) :                   |               |              | 105.00    |                 |              | 74.36    | 551.00    |                 |              | 219.87   | 614.00    |                 |              |          | 246.56  |
|      | महायोग-- भाग एक एवं दो :             |               |              | 2933.09   |                 |              | 2362.88  | 3136.82   |                 |              | 2499.35  | 4028.16   |                 |              |          |         |

## समितियाँ

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित पुनर्वास गतिविधियों के सतत अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन स्तर पर विभिन्न समितियाँ गठित की गई हैं इन समितियों का उद्देश्य न सिर्फ प्रचलित गतिविधियों का अनुश्रवण करना है बल्कि भविष्य में विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली पुनर्वास गतिविधियों के लिये विभाग को परामर्श देना भी है।

केन्द्र शासन स्तर पर भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। जो समय-समय पर बैठक आयोजित कर इस विषय में निर्णय लेती है।

राज्य शासन स्तर पर भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने हेतु गैस पीड़ित कल्याण समिति गठित की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहिता याचिका क्रमांक 50/98 में 18 अगस्त 2004 को पारित आदेश में गैस पीड़ितों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधा की देख रेख एवं उचित सलाह हेतु मॉनीटरिंग तथा एडवायजरी कमेटी का गठन किया गया।

गैस राहत विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सालय एवं औषधालय के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है यह समिति दिनांक 15 सितम्बर 2005 से अपना कार्य प्रारम्भ कर चुकी है।

## शोध अध्ययन

मध्य प्रदेश शासन के भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत पुनर्वास अध्ययन केन्द्र की स्थापना वर्ष 1989 में सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान कार्यों, चिकित्सीय पुनर्वास संबंधित परियोजनाओं एवं वैज्ञानिक दस्तावेजों के रख रखाव हेतु की गई थी। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- (1) भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं को चिह्नित कर उसका उधयन करना।
- (2) शोध संबंधी कार्यक्रमों, संसाधन उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को चिह्नित करना व उनके साथ शोध कार्य करने हेतु समन्वय स्थापित करना।
- (3) प्रकाशित वैज्ञानिक दस्तावेजों का संग्रह कर उसमें से सारांश तैयार करना और सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- (4) वैज्ञानिक सूचनाओं के मध्य स्थापित अंतर को चिह्नित कर वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु अनुसंशा करना।
- (5) इस प्रकार की त्रसदी से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं विचारों के आदान प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करना।
- (6) भोपाल गैस पीड़ितों को लाभ पहुँचाने हेतु विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना, उसकी प्रगति की समीक्षा करना एवं गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना है।
- (7) पुनर्वास व अन्य गतिविधियों से संबंधित अध्ययनों को राज्य, राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भ करना।

## दीर्घकालीन जनापदिक रोग विज्ञान अध्ययन (इपिडिमियोलॉजिकल स्टडीज़)

### वर्ष 1996 से प्रारम्भ

उक्त अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- कोहार्ट में सामाजिक, अर्थिक एवं जनांकिकी (डेमोग्राफिक) परिवर्तनों का सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन करना ।
- जन्म मृत्यु एवं अन्य महत्वपूर्ण (वाइटल इवेन्ट्स) का अध्ययन करना ।
- प्वाइन्ट एवं पीरियेड प्रीवलेंस मारबिडिटी का कोहार्ट में अध्ययन करना ।
- गंभीर रूप से बीमार मरीजों का फालोआप करना ।

जनापादिक अध्ययन द्वारा प्रभावितों के स्वास्थ्य पर पड़े दुष्प्रभावों के विस्तृत अध्ययन हेतु जहरीली गेस से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को स्टडी-कोहार्ट के रूप में और तुलनात्मक अध्ययन के लिये एक अप्रभावित क्षेत्र (कंट्रोल कोहार्ट) का चयन किया गया । पंजीकृत कोहार्ट में अभी तक 13 छमाही सर्वेक्षण पूर्ण हो चुके हैं तथा चौदहवें छमाही सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है । सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

#### **प्रभावित एवं अभावित क्षेत्र में सामान्य बीमारियों की स्थिति**

| समयावधि एवं सर्वे सं.              | अत्यंत प्रभावित क्षेत्र | सामान्य प्रभावित क्षेत्र | कम प्रभावित क्षेत्र | कुल प्रभावित क्षेत्र | अप्रभावित क्षेत्र |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| (जन.96 से जून 96) - I              | 29.30                   | 23.44                    | 23.73               | 25.42                | 11.95             |
| (जुलाई 96 से जनवरी 97) - II        | 25.30                   | 23.60                    | 19.40               | 22.88                | 09.86             |
| (फरवरी 97 से जुलाई 97) - III       | 25.02                   | 21.76                    | 30.74               | 23.39                | 11.38             |
| (अगस्त 97 से दिसम्बर 94) - IV      | 23.91                   | 21.60                    | 19.58               | 21.80                | 10.23             |
| (जनवरी 98 से जुलाई 98) - V         | 24.90                   | 19.82                    | 21.58               | 21.71                | 10.06             |
| (जुलाई 98 से दिसम्बर 98) - VI      | 20.91                   | 18.58                    | 17.80               | 19.09                | 09.25             |
| (जनवरी 99 से जून 99) VII           | 23.63                   | 17.75                    | 19.75               | 19.06                | 19.92             |
| (जुलाई 99 से दिसम्बर 99) - VIII    | 22.77                   | 16.43                    | 16.39               | 17.94                | 09.07             |
| (जनवरी 2000 जून 2000) - IX         | 21.70                   | 15.36                    | 16.96               | 17.81                | 08.72             |
| (जुलाई 2000 से दिसम्बर 2000) - X   | 20.01                   | 15.39                    | 14.97               | 16.68                | 08.06             |
| (जनवरी 2001 से जून 2000) - XI      | 21.21                   | 15.19                    | 19.83               | 17.95                | 08.31             |
| (जुलाई 2001 से दिसम्बर 2001) - XII | 11.17                   | 14.09                    | 14.99               | 15.56                | 07.55             |
| (जनवरी 2002 से जून 2002) - XIII    | 20.59                   | 15.14                    | 18.06               | 17.61                | 06.58             |
| (जुलाई 2002 से दिसम्बर 2002) - XIV | 16.62                   | 15.49                    | 16.51               | 16.11                | 08.17             |
| (जनवरी 2003 से जून 2003) - XV      | 22.29                   | 16.12                    | 23.41               | 19.71                | 05.16             |
| (जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003) - XVI | 25.14                   | 18.05                    | 19.61               | 20.41                | 07.58             |
| (जनवरी 2004 से जून 2004) - XVII    | 26.28                   | 16.57                    | 22.22               | 21.33                | 08.55             |
| (जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004) XVIII | 24.95                   | 16.78                    | 27.97               | 22.14                | 09.95             |
| (जनवरी 2005 से जून 2005) XIX       | 26.60                   | 18.13                    | 28.82               | 23.03                | 09.59             |

### प्रभावित एवं अभावित क्षेत्र में फेफड़े की बीमारी की स्थिति

| समयावधि एवं सर्वे सं.              | अत्यंत प्रभावित क्षेत्र | सामान्य प्रभावित क्षेत्र | कम प्रभावित क्षेत्र | कुल प्रभावित क्षेत्र | अप्रभावित क्षेत्र |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| (जन.96 से जून 96) - I              | 21.35                   | 16.46                    | 17.55               | 18.32                | 4.78              |
| (जुलाई 96 से जनवरी 97) - II        | 18.19                   | 16.55                    | 14.60               | 16.46                | 3.99              |
| (फरवरी 97 से जुलाई 97) - III       | 18.30                   | 14.41                    | 18.44               | 16.53                | 3.88              |
| (अगस्त 97 से दिसम्बर 94) - IV      | 17.93                   | 14.59                    | 15.60               | 15.88                | 4.28              |
| (जनवरी 98 से जुलाई 98) - V         | 17.48                   | 14.11                    | 17.51               | 15.93                | 3.70              |
| (जुलाई 98 से दिसम्बर 98) - VI      | 16.76                   | 13.13.                   | 14.15               | 14.47                | 3.59              |
| (जनवरी 99 से जून 99) VII           | 17.80                   | 12.40                    | 15.97               | 14.85                | 3.01              |
| (जुलाई 99 से दिसम्बर 99) - VIII    | 17.55                   | 11.63                    | 12.99               | 13.38                | 3.44              |
| (जनवरी 2000 जून 2000) - IX         | 16.52                   | 9.36                     | 14.15               | 12.88                | 2.97              |
| (जुलाई 2000 से दिसम्बर 2000) - X   | 15.20                   | 11.40                    | 12.44               | 12.62                | 3.44              |
| (जनवरी 2001 से जून 2000) - XI      | 16.94                   | 10.35                    | 16.76               | 13.64                | 2.90              |
| (जुलाई 2001 से दिसम्बर 2001) - XII | 13.61                   | 10.03                    | 13.56               | 12.25                | 2.90              |
| (जनवरी 2002 से जून 2002) - XIII    | 16.56                   | 10.60                    | 16.06               | 13.81                | 1.93              |
| (जुलाई 2002 से दिसम्बर 2002) - XIV | 12.43                   | 10.58                    | 12.99               | 11.70                | 2.74              |
| (जनवरी 2003 से जून 2003) - XV      | 16.86                   | 11.84                    | 17.83               | 14.77                | 2.92              |
| (जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003) - XVI | 17.57                   | 11.46                    | 13.81               | 13.73                | 2.52              |
| (जनवरी 2004 से जून 2004) इ XVII    | 16.79                   | 10.15                    | 17.90               | 14.30                | 2.82              |
| (जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004) XVIII | 15.70                   | 10.22                    | 21.14               | 14.37                | 3.10              |
| (जनवरी 2005 से जून 2005) XIX       | 17.24                   | 10.74                    | 21.94               | 15.19                | 3.01              |

### प्रभावित एवं अभावित क्षेत्र में आँख की बीमारी की स्थिति

| समयावधि एवं सर्वे सं.              | अत्यंत प्रभावित क्षेत्र | सामान्य प्रभावित क्षेत्र | कम प्रभावित क्षेत्र | कुल प्रभावित क्षेत्र | अप्रभावित क्षेत्र |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| (जन.96 से जून 96) - I              | 17.15                   | 12.23                    | 16.19               | 14.09                | 4.37              |
| (जुलाई 96 से जनवरी 97) - II        | 15.51                   | 11.96                    | 13.14               | 13.32                | 3.73              |
| (फरवरी 97 से जुलाई 97) - III       | 15.71                   | 14.28                    | 15.81               | 15.07                | 4.90              |
| (अगस्त 97 से दिसम्बर 94) - IV      | 14.30                   | 10.81                    | 13.69               | 12.62                | 3.00              |
| (जनवरी 98 से जुलाई 98) - V         | 16.44                   | 9.98                     | 15.70               | 13.27                | 3.54              |
| (जुलाई 98 से दिसम्बर 98) - VI      | 13.53                   | 8.84                     | 12.98               | 11.31                | 3.36              |
| (जनवरी 99 से जून 99) VII           | 16.00                   | 9.02                     | 15.79               | 12.73                | 3.61              |
| (जुलाई 99 से दिसम्बर 99) - VIII    | 13.97                   | 9.52                     | 12.10               | 11.23                | 2.96              |
| (जनवरी 2000 जून 2000) - IX         | 15.15                   | 7.36                     | 13.42               | 11.40                | 3.03              |
| (जुलाई 2000 से दिसम्बर 2000) - X   | 13.81                   | 7.85                     | 11.31               | 10.45                | 2.83              |
| (जनवरी 2001 से जून 2000) - XI      | 15.96                   | 7.63                     | 15.91               | 11.83                | 3.05              |
| (जुलाई 2001 से दिसम्बर 2001) - XII | 11.02                   | 7.48                     | 12.15               | 9.71                 | 2.69              |
| (जनवरी 2002 से जून 2002) - XIII    | 13.64                   | 7.70                     | 15.46               | 11.42                | 2.43              |
| (जुलाई 2002 से दिसम्बर 2002) - XIV | 10.41                   | 7.93                     | 12.81               | 9.89                 | 2.12              |
| (जनवरी 2003 से जून 2003) - XV      | 13.18                   | 9.30                     | 15.62               | 11.97                | 4.13              |
| (जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003) - XVI | 12.85                   | 10.43                    | 14.35               | 12.07                | 2.35              |
| (जनवरी 2004 से जून 2004) इ XVII    | 13.86                   | 9.45                     | 18.41               | 13.09                | 2.79              |
| (जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004) XVIII | 12.24                   | 9.75                     | 20.62               | 12.85                | 2.99              |
| (जनवरी 2005 से जून 2005) XIX       | 13.33                   | 9.82                     | 21.40               | 13.50                | 3.26              |

## प्रभावित एवं अभावित क्षेत्र में पेट की बीमारी की स्थिति

| समयावधि एवं सर्वे सं.              | अत्यंत प्रभावित क्षेत्र | सामान्य प्रभावित क्षेत्र | कम प्रभावित क्षेत्र | कुल प्रभावित क्षेत्र | अप्रभावित क्षेत्र |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| (जन.96 से जून 96) - I              | 7.16                    | 3.85                     | 8.19                | 6.05                 | 2.36              |
| (जुलाई 96 से जनवरी 97) - II        | 4.03                    | 4.30                     | 4.02                | 5.00                 | 2.79              |
| (फरवरी 97 से जुलाई 97) - III       | 4.29                    | 5.68                     | 11.21               | 6.60                 | 3.57              |
| (अगस्त 97 से दिसम्बर 94) - IV      | 4.02                    | 3.56                     | 8.71                | 5.01                 | 2.07              |
| (जनवरी 98 से जुलाई 98) - V         | 5.59                    | 3.90                     | 10.25               | 5.99                 | 2.23              |
| (जुलाई 98 से दिसम्बर 98) - VI      | 3.93                    | 3.64                     | 7.60                | 4.77                 | 1.98              |
| (जनवरी 99 से जून 99) VII           | 4.90                    | 2.14                     | 9.45                | 4.76                 | 1.75              |
| (जुलाई 99 से दिसम्बर 99) - VIII    | 5.52                    | 2.65                     | 7.18                | 4.47                 | 1.69              |
| (जनवरी 2000 जून 2000) - IX         | 4.93                    | 3.32                     | 7.98                | 5.02                 | 1.73              |
| (जुलाई 2000 से दिसम्बर 2000) - X   | 4.47                    | 3.07                     | 6.59                | 4.32                 | 1.64              |
| (जनवरी 2001 से जून 2000) - XI      | 3.64                    | 2.69                     | 11.15               | 4.73                 | 1.38              |
| (जुलाई 2001 से दिसम्बर 2001) - XII | 3.87                    | 2.78                     | 16.36               | 3.95                 | 2.69              |
| (जनवरी 2002 से जून 2002) - XIII    | 5.17                    | 3.21                     | 10.33               | 5.46                 | 1.32              |
| (जुलाई 2002 से दिसम्बर 2002) - XIV | 3.42                    | 3.64                     | 9.20                | 4.82                 | 2.38              |
| (जनवरी 2003 से जून 2003) - XV      | 6.69                    | 5.60                     | 11.82               | 7.40                 | 2.80              |
| (जुलाई 2003 से दिसम्बर 2003) - XVI | 5.40                    | 8.79                     | 11.61               | 8.56                 | 1.90              |
| (जनवरी 2004 से जून 2004) - XVII    | 8.09                    | 4.36                     | 14.23               | 7.97                 | 1.80              |
| (जुलाई 2004 से दिसम्बर 2004) XVIII | 5.91                    | 4.12                     | 17.67               | 7.53                 | 2.53              |
| (जनवरी 2005 से जून 2005) XIX       | 7.65                    | 6.46                     | 16.38               | 0.09                 | 2.36              |

इन सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि सामान्य बीमारियों की दर प्रभावित क्षेत्र में अप्रभावित क्षेत्र की अपेक्षा लगभग दुगनी है एवं यह भी देखा गया है कि अत्यंत प्रभावित क्षेत्र में लोग अन्य प्रभावित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक बीमार रहते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों को देखा जाये तो प्रभावित क्षेत्र में श्वसन तंत्र की बीमारियाँ अत्यंत प्रभावित क्षेत्र की अपेक्षा लगभग चारगुना से भी अधिक हैं। आँखों संबंधित बीमारियाँ भी प्रभावित क्षेत्र में अप्रभावित क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हैं। इसी प्रकार पेट से संबंधित बीमारियाँ प्रभावित क्षेत्र में अप्रभावित क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हैं। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि प्रभावित क्षेत्र में बीमारियों की दर 1996 की अपेक्षा धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं पर अप्रभावित क्षेत्र की अपेक्षा अबभी कई गुना अधिक हैं।

### जन्म एवं मृत्यु संबंधी जानकारी :

जनवरी 1986 से प्रिगनेन्सी-आउटकम से संबंधित आँकड़ों को एकत्र करने हेतु एक प्रोफार्मा का प्रयोग आई.सी.एम.आर. द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उसी प्रोफार्मा पर पंजीकृत परिवारों से वार्षिक फॉलोअप के आधार पर आँकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। अत्यंत प्रभावित क्षेत्रों में जन्म दर अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों से, यहाँ तक कि अप्रभावित क्षेत्र से भी अधिक पाई गई है। वर्ष 1995 में मैं गर्भपात की दर गैस प्रभावित महिलाओं में अत्यंत अधिक पाई गई थी लेकिन यह धीरे-धीरे अप्रभावित क्षेत्र के बराबर हो गई है। प्रारंभ में गैस प्रभावित जनसंख्या में मृत्युदर (22/1000) जो कि अप्रभावित क्षेत्र (23/1000) की अपेक्षा काफी अधिक थी। यह स्थिति वर्ष 1990 तक बनी रही, लेकिन उसके पश्चात धीरे-धीरे मृत्युदर कम होते-होते अप्रभावित क्षेत्र के बराबर हो गई थी। जनापादिक अध्ययन में वर्ष 1996-98 में यह पाया गया है कि टी.बी. की बीमारी, गैस प्रभावित क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर के लगभग समान है।

गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य का प्रबंधन एवं उसका मूल्यांकन- (क्लीनिकल प्रोफाइल इन्क्लूडिंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एण्ड फॉलोअप ऑफ गैस विकिट्स)

इस अध्ययन के अंतर्गत सभी गैस पीड़ित मरीजों का एक क्लीनिकल प्रोफाइल बनाकर गैस राहत चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं द्वारा विभिन्न तरह के परीक्षण कराये जा रहे हैं। चिन्हित मरीजों का परीक्षण कर उनको घर पर ही डाक्टरों द्वारा हर संभव इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। प्रारंभ में 7500 मरीज गैस प्रभावित क्षेत्र से व 301 मरीज गैस अप्रभावित क्षेत्र से चिन्हित किये गये थे। गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को शासकीय वाहन से अस्पताल पहुंचाना, आवश्यक परीक्षण व उपचार के पश्चात उन्हें घर भेजने के लिये जनापादिक अध्ययन में कार्यरत इस केन्द्र के अनुसंधान सहायकों की सेवायें ली जा रही हैं। विस्तृत परीक्षण उपचार हेतु मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है।

गैस प्रभावित लोगों में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी अधिक पाई गई है। ज्यादातर लोगों में कफ, डिस्निया, सांस लेने में कठिनाई, थकावट, कमजारी, शरीर व सीने में दर्द जैसी समस्याएं देखी गई हैं। धूम्रपान की आदत, श्वसन प्रणाली के ठीक से काम न करने में सहयोगी पाई गई हैं।

अभी तक 7633 गंभीर रूप से बीमार मरीजों को परीक्षण पूरा किया जा चुका है, जिनमें से 2372 मरीजों को परीक्षण हेतु विभिन्न चिकित्सालयों में भेजा गया। 2115 मरीजों के परीक्षण पूर्ण होने के उपरान्त 56.78 प्रतिशत मरीजों में श्वसन तंत्र से संबंधित, 5.63 प्रतिशत में क्षय रोग की बीमारी व 21.18 प्रतिशत में हृदय रो से संबंधित बीमारी, जबकि 15.65 प्रतिशत में अन्य तंत्रों से संबंधित बीमारियां पाई गई व कैसर पीड़ित मरीजों की संख्या 0.46 प्रतिशत पाई गई है।

## **भाग- 3**

### **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का मेनुअल (धारा 4 के अंतर्गत)**

**भोपाल गैस त्रासदी राहहत एवं पुनर्वास विभाग  
मध्य प्रदेश शासन**

**(संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय)**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### अध्याय 3

#### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत यह अनिवार्यता अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी रखेंगे जो नागरिकों को उपलब्ध हो सके। अधिनियम में बिन्दु क्रमांक 1 से 17 रखी जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया है।

इस मेन्युअल में संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय के संबंध में 1 से 17 बिन्दुओं पर रखी जाने वाली जानकारी का विवरण दिया गया है। जानकारी विभाग के तीन स्तरों यथा शासन स्तर (मंत्रालय) विभाग स्तर (संचालनालय) एवं संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत इकाई के लिये अलग-अलग दी गई है।


यहाँ पर (भाग 3) संचालक, कमला नेहरू स्तर की जानकारी दी जा रही है।

#### 1. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय के संगठन, काग्र और दायित्व

##### 1.1 संगठन

संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय की संगठनात्मक संरचना साथ के चार्ट में दिखलाई गई है। (चार्ट 3)

#### संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत का संगठन



## भाग- 3

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

#### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी अधिनियम में दिये बिन्दु क्रमांक 1 से 17 में अनिवार्यतः रखी जानी है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की शासन एवं संचालनालय स्तर की जानकारी भाग 1 व 2 में दी गई है। यहाँ संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत जो चिकित्सीय इकाईयों के नियंत्रणकर्ता हैं, की जानकारी प्रदाय की जा रही है।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत चार लोक प्राधिकारियों का कार्यालय है।

संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल

अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल


अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल

भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गैस प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों के माध्यम से गैस पीड़ितों को निशुल्क जाँच एवं उपचार प्रदाय किया जा रहा है। गैर गैस पीड़ितों के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। यह समिति दिनांक 15.09.2005 से क्रियाशील हुई है और अपना कार्य प्रारम्भ कर चुकी है।

कमला नेहरू चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के कार्यालय का संगठन कार्य और दायित्व

#### 1.1 संगठन

संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय



#### 1.2 कार्य एवं दायित्व

- प्रशासनिक कार्य
- वित्तीय कार्य का संपादन
- रोगी कल्याण समिति

## मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक के कार्य

- चिकित्सा सेवा (आपातकालीन सेवा सहित) रोगियों का परीक्षण, जाँच की व्यवस्था (पैथालॉजी, एक्स-रे आदि) एवं इलाज की व्यवस्था करना। विभिन्न विभाग में आप्रेशन थियेटर, इंजेक्शन रूम, प्लास्टर आदि की चिकित्सालय के बजट एवं विशेषज्ञ सेवा की उपलब्धता अनुसार व्यवस्था करना।
- चिकित्सालय में चिकित्सकों, पैरामेडिकल्स स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों में अनुशासन रखना निर्देशानुसार चिकित्सालय में साफ-सफाई, रख-रखाव,
- आपातकालीन सेवाएं देना, चिकित्सा दल भेजना
- रेफरल सेवायें (रेफरल मरीज व देखभाल और ज्यादा बीमार मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजना)
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान जैसे परिवार नियोजन, दृष्टिहीनता नियंत्रण डाट्स कार्यक्रम इत्यादि।
- जिला एडमिनिस्ट्रिशन के निर्देशानुसार एवं उपलब्धता अनुसार सहयोग करना।
- स्टाफ के रिकार्ड एवं संबंधित कार्य का संचालन करना।
- बजट का निर्देशानुसार उपयोग करना।
- बिल्डिंग पानी एवं बिजली व्यवस्था संबंधित विभागों के सहयोग से व्यवस्था करना। शासन के निर्देशानुसार समय पर आयोजन, योजना, केम्पस आदि की व्यवस्था करना।
- रोगी कल्याण समिति का संचालन एवं जन सहयोग से चिकित्सालय सेवा, रोगी कल्याण एवं विस्तार की योजना करना व सहमति से उनका क्रियान्वयन करना।
- अपने अधीन डिस्पेंसरियों की क्षमतानुसार व्यवस्था करना।
- सूचना एकत्रित करना एवं पचार प्रसार करना।
- विभिन्न संस्थाओं में सहयोग बनाकर समन्वय से चिकित्सा सेवायें बनाना।
- शासन या वरिष्ठ आफीसर्स के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

| क्रमांक | विभाग/सेवक्षन | कार्य/कर्तव्य   |
|---------|---------------|---|
| 01.     | प्रशासनिक     | व्यक्तिगत अभिलेखों का संधारण, शिकायत जांच, अवकाश समस्या निराकरण |
| 02.     | एकाउंट्स      | वेतन भर्तों का भुगतान एवं अन्य व्यय बजट प्रावधान अनुरूप         |
| 03.     | स्टोर         | दवा उपकरण, सामग्री का भण्डारण मरम्मत इत्यादि                    |
| 04.     | रिकार्ड रूम   | ओ.पी.डी. भर्ती मरीज   |

## 2(अ). अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, प्रोग्राम इत्यादि)

| क्रमांक | नाम                 | पदनाम                              | कार्य                                       |
|---------|---------------------|------------------------------------|---|
| 1.      | डॉ. डी.के. बंसल     | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय      | समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय                 |
| 2.      | डॉ. ललित श्रीवास्तव | चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक अधीक्षक | आहरण एवं संवितरण अधिकारी                    |
| 3.      | डॉ. एम.के. साहू     | चिकित्सा अधिकारी                   | नोडल अधिकारी रोगी कल्याण समिति              |
| 4.      | डॉ. डी.के. शर्मा    | चिकित्सा अधिकारी                   | स्टोर प्रभारी                               |
| 5.      | डॉ. एस.के. सक्सेना  | सहायक अधीक्षक                      | चिकित्सालय की व्यवस्था एवं अपशिष्ट भस्मीकरण |

## ब. अधिकार (प्रशासनिक, वित्तीय)

| क्रमांक | नाम             | पदनाम                         | कार्य  |
|---------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1.      | डॉ. डी.के. बंसल | संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय | देयकों की स्वीकृति भुगतान द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का निराकरण<br>2/ क्रय 25,000 (रु. पच्चीस हजार तक की) |

## 3. निर्णय लेने व प्रक्रिया

### (अ) निर्णय लेने की प्रक्रिया

- आपातकालीन एवं तात्कालिक कार्यों का निर्णय स्वयं के द्वारा लिया जाता है।
- अधीनस्थ एवं संबंधित स्टाफ द्वारा फाइल एवं जानकारी प्रस्तुत की जाती है। संबंधित नस्तियाँ कार्यालय से तैयार कर निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाती है। उन प्रकरणों पर जहाँ निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तर पर है उसके लिये प्रकरण को आवश्यक टीप सहित संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को प्रस्तुत की जाती है।

### (ब) पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी :-

संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास एवं कलेक्टर

किस अधिकारी को रिपोर्ट करें --

संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास

#### 4. कार्य संपादन के लिये मापदंड

|                        |  |
|------------------------|--|
| 1. आपात /आकस्मिक कार्य | तत्काल                                       |
| 2. शेष कार्य           | एक सप्ताह के अन्दर                           |
| 3. कार्यालयीन कार्य    | नियमानुसार                                   |
| 4. गुणवत्ता            | चिकित्सालय की समिति द्वारा निर्धारित नहीं है |
| 5. लक्ष्य निर्धारण     | नहीं है<br>वरिष्ठ कार्यालय द्वारा होता है ।  |

#### 5. कार्यालय में रखे जाने वाले या कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन कार्य संपादन में नियम कायदे, मैनुअल, रिकार्ड

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| नियम   | - | प्रचलित म.प्र. शासन के नियम ।    |
| मैनुअल | - | पूर्व प्रथा एवं परम्परा अनुसार । |
| सरकुलर | - | सरकुलर की नस्ती है ।             |

#### 6. विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेंट जो कार्यालय में रखे जाते हैं

योजना डाक्यूमेंट

बजट डाक्यूमेन्ट

वित्तीय डाक्यूमेन्ट

असेट्स डाक्यूमेन्ट - राजधानी परियोजना प्रशासन /  
लोक निर्माण विभाग द्वारा

मिसलेनियस - कार्यालयीन रिकार्ड

#### 7. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

वर्तमान में संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय के स्तर पर नीति निर्धारण व कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये, रोगी कल्याण समिति के अतिरिक्त, कोई व्यवस्था नहीं है । रोगी कल्याण समिति के सदस्यों, कार्य ओर दायित्व शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार हैं ।

#### 8. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जिला स्तर पर कोई बोर्ड, परिषद या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया है ।

#### 9. व 10. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय के कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची एवं उनके मासिक प्रारिश्रमिक पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल  
बजट आवंटन 2007-08 (मांग संख्या-72)  
आहरण एवं संवितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड                                | मद का नाम                           | स्वीकृत बजट प्रावधान 2007-08 | विगाध्यक्ष को आवंटित बजट | डी.डी.ओ. को आवंटित बजट |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 0504702002                                  |                                     |                              |                          |                        |
| <b>राजस्व अनुभाग :</b>                      |                                     |                              |                          |                        |
| मुख्य शीर्ष                                 | 2210                                | 11-वेतन                      |                          |                        |
| चिकित्सा और लोक स्वास्थ                     | 001-अधिकारियों का वेतन              | 11220000                     | 11220000                 | 11220000               |
|   | 003-महंगाई भत्ता                    | 3366000                      | 3366000                  | 3366000                |
| कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत योजना क- 775 | 006-मकान किराया                     | 550000                       | 550000                   | 550000                 |
|   | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता           | 160000                       | 160000                   | 160000                 |
|   | 008-अन्य भत्ते                      | 200000                       | 200000                   | 200000                 |
|   | 009-चिकित्सा प्रतिपूति भत्ता        | 500000                       | 500000                   | 500000                 |
|   | 011-त्याहार अग्रिम                  | 40000                        | 40000                    | 40000                  |
|   | 012-घटाईये त्योहार अग्रिम           | 40000                        | 40000                    | 40000                  |
|   | 016-अनाज अग्रिम                     | 80000                        | 80000                    | 80000                  |
|   | 017-घटाईये अनाज अग्रिम              | 80000                        | 80000                    | 80000                  |
|   | 025-संविदा कर्म.का पारिश्रमिक       | 8000000                      | 8000000                  | 8000000                |
|   | 027-मंहंगाई-वेतन                    | 5610000                      | 5610000                  | 5610000                |
|   | <b>योगउद्देश्य-11</b>               | <b>29606000</b>              | <b>29606000</b>          | <b>29606000</b>        |
|   | 12-मजदूरी                           | 200000                       | 200000                   | 200000                 |
|   | 21-001-यात्राभत्ता                  | 50000                        | 50000                    | 50000                  |
|   | 22-कार्यालय व्यय                    |                              |                          |                        |
|   | 001-डाक एवं तार व्यय                | 7000                         | 6000                     | 6000                   |
|   | 002-दूरभाष व्यय                     | 120000                       | 108000                   | 108000                 |
|   | 003-फनीचर कार्या. उपकरण             | 7000                         | 6000                     | 6000                   |
|   | 004-पुस्तके एवं पत्रिकायें          | 5000                         | 4500                     | 4500                   |
|   | 005-बिजली एवं जल प्रभार             | 7800000                      | 7020000                  | 7020000                |
|   | 006-वर्दियाँ                        | 72000                        | 64800                    | 64800                  |
|   | 007-लेखन सामग्री एवं छपाई           | 120000                       | 108000                   | 108000                 |
|   | 008-अन्य आकस्मिक                    | 330000                       | 297000                   | 297000                 |
|   | 009-पेट्रोल तेल आदि                 | 850000                       | 765000                   | 765000                 |
|   | <b>योग उद्देश्य-22</b>              | <b>9311000</b>               | <b>8379300</b>           | <b>8379300</b>         |
|   | योग उद्देश्य-23 वाहन क्रय           | 0                            | 0                        | 0                      |
|   | 31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ |                              |                          |                        |
|   | 003-अभिभाषाकों की फीस               | 9000                         | 8000                     | 8000                   |
|   | 005-सुरक्षा व्यवस्था                | 1000000                      | 900000                   | 900000                 |
|   | 006-सफाई व्यवस्था                   | 600000                       | 540000                   | 540000                 |
|   | <b>योग उद्देश्य-31</b>              | <b>1609000</b>               | <b>1448000</b>           | <b>1448000</b>         |
|   | <b>33-अनुरक्षण</b>                  |                              |                          |                        |
|   | 001-स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण    | 5000000                      | 4500000                  | 4500000                |
|   | 002-मशीन/उपकरण का अनुरक्षण          | 4000000                      | 3600000                  | 3600000                |
|   | 003- वाहनों का अनुरक्षण             | 100000                       | 90000                    | 90000                  |
|   | <b>योग उद्देश्य-33</b>              | <b>9100000</b>               | <b>8190000</b>           | <b>8190000</b>         |
|   | 34-002-दवाईयों का क्रय              | 7500000                      | 6750000                  | 6750000                |
|   | 004-राशन का मूल्य/मेजन व्यय         | 700000                       | 630000                   | 630000                 |
|   | 009-अन्य                            | 100000                       | 90000                    | 90000                  |
|   | <b>योग उद्देश्य-34</b>              | <b>8300000</b>               | <b>7470000</b>           | <b>7470000</b>         |
|   | 63-001-मशीनें और संयंत्र            | 0                            | 0                        | 0                      |
|   | <b>योग योजना : 775</b>              | <b>58176000</b>              | <b>55343300</b>          | <b>55343300</b>        |

- 12. सबसिडी कार्यक्रम की जानकारी** निरंक
- 13. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय के कार्यालय द्वारा कोई परमिट या रियायत आदि नहीं दी जाती है ।**
- 14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें**
- कम्प्यूटर उपलब्ध है कुछ कार्य मेन्युअल व कुछ कार्य कम्प्यूटर से कराया जा रहा है ।
- 15. जनता द्वारा कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिये सुविधायें**
- सूचना का अधिकार एवं नागरिक अधिका पत्र का बोर्ड मुख्य द्वारा के पास लगाया गया है, कम्प्यूटर, वेबसाईट, इन्टरनेट इत्यादि उपलब्ध नहीं है ।
- 16. कार्यालय के जन सूचना अधिकारी का नाम, पता और अन्य जानकारी**
- |  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| नाम  | - | डॉ. संतोष सक्सेना         |
| पदनाम  | - | सहायक अध्यक्ष             |
| टेलीफोन नम्बर  | - | कार्यालय-2731261, 2739101 |
| संपर्क का पता- कक्ष क. जी-11, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल |   |                           |

**17. अन्य कोई सूचना**

निरंक

## **भाग- 4**

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005**

**का  
मेनुअल  
(धारा 4 के अंतर्गत)**

**भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग  
मध्य प्रदेश शासन**

**(मुख्य चिकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी, गैस राहत)**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### अध्याय 3

### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत यह अनिवार्यता अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी रखेंगे जो नागरिकों को उपलब्ध हो सके। अधिनियम में बिन्दु क्रमांक 1 से 17 रखी जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया है।


इस मेन्युअल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के संबंध में 1 से 17 बिन्दुओं पर रखी जाने वाली जानकारी का विवरण दिया गया है। जानकारी विभाग के तीन स्तरों यथा शासन स्तर (मंत्रालय) विभाग स्तर (संचालनालय) एवं संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत इकाई के लिये अलग-अलग दी गई है।

यहाँ पर (भाग 4) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत स्तर की जानकारी दी जा रही है।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के संगठन, कार्य और दायित्व
- 1.1 संगठन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत की संगठनात्मक संरचना साथ के चार्ट में दिखलाई गई है। (चार्ट 4)

#### मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत का संगठन



## भाग- 3

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

#### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी अधिनियम में दिये बिन्दु क्रमांक 1 से 17 में अनिवार्यतः रखी जानी है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की शासन एवं संचालनालय स्तर की जानकारी भाग 1 व 2 में दी गई है। यहाँ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के अधिनस्थ चिकित्सीय इकाईयों के नियंत्रणकर्ता हैं, की जानकारी प्रदान की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल  
अधीक्षक आर.ए.एस. पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर, गैस राहत, भोपाल  
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, खान शाकिर अली खान चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल  
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय, गैस राहत  
इसके अतिरिक्त 9- औषधालय (डे केयर यूनिट)

भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गैस प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों के माध्यम से गैस पीड़ितों को निशुल्क जाँच एवं उपचार प्रदाय किया जा रहा है। गैर गैस पीड़ितों के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। यह समिति दिनांक 15.09.2005 से क्रियाशील हुई है और अपना कार्य प्रारम्भ कर चुकी है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के कार्यालय का संगठन कार्य और दायित्व  
1.1 संगठन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,



#### 1.2 कार्य एवं दायित्व

4. प्रशासनिक कार्य
5. वित्तीय कार्य का संपादन
6. रोगी कल्याण समिति

## मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक के कार्य

- चिकित्सा सेवा (आपातकालीन सेवा सहित) रोगियों का परीक्षण, जाँच की व्यवस्था (पैथालॉजी, एक्स-रे आदि) एवं इलाज की व्यवस्था करना। विभिन्न विभाग में आप्रेशन थियेटर, इंजेक्शन रूम, प्लास्टर आदि की चिकित्सालय के बजट एवं विशेषज्ञ सेवा की उपलब्धता अनुसार व्यवस्था करना।
- चिकित्सालय में चिकित्सकों, पैरामेडिकल्स स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों में अनुशासन रखना निर्देशानुसार चिकित्सालय में साफ-सफाई, रख-रखाव,
- आपातकालीन सेवाएं देना, चिकित्सा दल भेजना
- रेफरल सेवायें (रेफरल मरीज व देखभाल और ज्यादा बीमार मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजना)
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान जैसे परिवार नियोजन, दृष्टिहीनता नियंत्रण डाट्स कार्यक्रम इत्यादि।
- जिला एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशानुसार एवं उपलब्धता अनुसार सहयोग करना।
- स्टाफ के रिकार्ड एवं संबंधित कार्य का संचालन करना।
- बजट का निर्देशानुसार उपयोग करना।
- बिल्डिंग पानी एवं बिजली व्यवस्था संबंधित विभागों के सहयोग से व्यवस्था करना। शासन के निर्देशानुसार समय पर आयोजन, योजना, केम्पस आदि की व्यवस्था करना।
- रोगी कल्याण समिति का संचालन एवं जन सहयोग से चिकित्सालय सेवा, रोगी कल्याण एवं विस्तार की योजना करना व सहमति से उनका क्रियान्वयन करना।
- अपने अधीन डिस्पेंसरियों की क्षमतानुसार व्यवस्था करना।
- सूचना एकत्रित करना एवं प्रचार प्रसार करना।
- विभिन्न संस्थाओं में सहयोग बनाकर समन्वय से चिकित्सा सेवायें बनाना।
- शासन या वरिष्ठ आफीसर्स के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

| क्रमांक | विभाग/सेवानाम | कार्य/कर्तव्य   |
|---------|---------------|---|
| 01.     | प्रशासनिक     | व्यक्तिगत अभिलेखों का संधारण, शिकायत जांच, अवकाश समस्या निराकरण |
| 02.     | एकाउंट्स      | वेतन भत्तों का भुगतान एवं अन्य व्यय बजट प्रावधान अनुरूप         |
| 03.     | स्टोर         | दवा उपकरण, सामग्री का भण्डारण मरम्मत इत्यादि                    |
| 04.     | रिकार्ड रूम   | ओ.पी.डी. भर्ती मरीज एवं मेडिकल बोर्ड, एम.एल.सी.                 |

**2 (अ). अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, प्रोग्राम इत्यादि)**

| क्रमांक | नाम                | पदनाम                                 | कार्य                       |
|---------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | डॉ. डी.पी. अग्रवाल | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय |
| 2.      | डॉ. एन.एल. बुनकर   | चिकित्सा अधिकारी                      | आहरण एवं संवितरण अधिकारी    |
| 3.      | डॉ. डी.सी. अग्रवाल | चिकित्सा अधिकारी                      | स्टोर प्रभारी               |

**ब. अधिकार (प्रशासनिक, वित्तीय)**

| क्रमांक | नाम                | पदनाम                                | कार्य   |
|---------|--------------------|--------------------------------------|---|
| 1       | डॉ. डी.पी. अग्रवाल | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | देयकों की स्वीकृति भुगतान द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का निराकरण<br>2/ क्रय 25,000 (रु. पच्चीस हजार तक की ) |

**3. निर्णय लेने की प्रक्रिया**

**(अ) निर्णय लेने की प्रक्रिया**

- आपातकालीन एवं तात्कालिक कार्यों का निर्णय स्वयं के द्वारा लिया जाता है ।
- अधीनरथ एवं संबंधित स्टाफ द्वारा फाइल की जानकारी प्रस्तुत की जाती है ।

संबंधित नस्तियाँ कार्यालय से तैयार कर अधीक्षक से सिविल सर्जन को निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाती है । उन प्रकरणों पर जहाँ निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तर पर है उसके लिये प्रकरण को आवश्यक टीप सहित संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को प्रस्तुत की जाती है ।

(ब) पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी :-

संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास एवं कलेक्टर

किस अधिकारी को रिपोर्ट करें-

तदैव

**4. कार्य संपादन के लिये मापदंड**

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| 1.     | आपात/आकस्मिक कार्य  | तत्काल  |
| 2.     | शेष कार्य   | एक सप्ताह के अन्दर                              |
| 3.     | कार्यालयीन कार्य  | नियमानुसार                                      |
| 4.     | गुणवत्ता  | चिकित्सालय की समिति द्वारा<br>निर्धारित         |
| 5.     | लक्ष्य निर्धारण   | नहीं है<br><br>वरिष्ठ कार्यालय द्वारा होता है । |
| 5.     | कार्यालय में रखे जाने वाले या कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन कार्य संपादन में नियम<br>कायदे, मैनुअल, रिकार्ड |   |
| नियम   | -   | प्रचलित म.प्र. शासन के नियम ।                   |
| मैनुअल | -   | पूर्व प्रथा एवं परंपरा अनुसार ।                 |
| सरकुलर | -   | सरकुलर की नस्ती है ।                            |

**6. विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेंट जा कार्यालय में रखे जाते हैं**

योजना डाक्यूमेंट

बजट डाक्यूमेंट

वित्तीय डाक्यूमेंट

-

असेट्स डाक्यूमेंट

राजधानी परियोजना प्रशासन/

लोक निर्माण विभाग द्वारा

मिसलेनियस

-

कार्यालयीन रिकार्ड

**7. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के स्तर पर नीति निर्धारण व कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये, रोगी कल्याण समिति के अतिरिक्त, कोई व्यवस्था नहीं है। रोगी कल्याण समिति के सदस्यों, कार्य और दायित्व शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार है।

**8. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण**

जिला स्तर पर कोई बोर्ड, परिषद या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया है।

**9. व 10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची एवं उनके मासिक पारिश्रमिक पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।**

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल  
बजट आवंटन 2007-08 (मांग संख्या-72)  
आहरण एवं संवितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड   | मद का नाम                           | स्वीकृत बजट प्रावधान<br>2007-08 | विगाधक्ष को आवंटित<br>बजट | डी.डी.ओ. को आवंटित<br>बजट |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0504702001   |                                     |                                 |                           |                           |
| <b>राजस्व अनुभाग :</b>   |                                     |                                 |                           |                           |
| मुख्य शीर्ष  | 2210                                | 11-वेतन                         |                           |                           |
| चिकित्सा और<br>लोक स्वास्थ्य   | 001-अधिकारियों का वेतन              | 5750000                         | 5750000                   | 5750000                   |
|  | 003-महंगाई भत्ता                    | 1725000                         | 1725000                   | 1725000                   |
| मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य<br>अधिकारी<br>गैस राहत<br>योजना क्र- 2304 | 006-मकान किराया                     | 300000                          | 300000                    | 300000                    |
|  | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता           | 70000                           | 70000                     | 70000                     |
|  | 008-अन्य भत्ते                      | 115000                          | 70000                     | 70000                     |
|  | 009-चिकित्सा प्रतिपूति भत्ता        | 58000                           | 58000                     | 58000                     |
|  | 011-त्याहार अग्रिम                  | 20000                           | 20000                     | 20000                     |
|  | 012-घटाईये त्योहार अग्रिम           | -20000                          | 20000                     | 20000                     |
|  | 016-अनाज अग्रिम                     | 58000                           | 58000                     | 58000                     |
|  | 017-घटाईये अनाज अग्रिम              | -58000                          | 58000                     | 58000                     |
|  | 025-संविदा कर्म.का पारिश्रमिक       | 225000                          | 225000                    | 225000                    |
|  | 027-मंहगाई-वेतन                     | 2875000                         | 2875000                   | 2875000                   |
|  | <b>योगउद्देश्य-11</b>               | <b>11118000</b>                 | <b>11118000</b>           | <b>11118000</b>           |
|  | 12-मजदूरी                           | 128000                          | 128000                    | 128000                    |
|  | 21-001-यात्रा भत्ता                 | 13000                           | 13000                     | 13000                     |
|  | 22-कार्यालय व्यय                    |                                 |                           |                           |
|  | 001-डाक एवं तार व्यय                | 6000                            | 5000                      | 5000                      |
|  | 002-दूरभाष व्यय                     | 76000                           | 68000                     | 68000                     |
|  | 003-फौनीचर कार्या. उपकरण            | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
|  | 004-पुस्तके एवं पत्रिकायें          | 5000                            | 4500                      | 4500                      |
|  | 005-बिजली एवं जल प्रभार             | 175000                          | 157500                    | 157500                    |
|  | 006-वर्दियाँ                        | 80000                           | 72000                     | 72000                     |
|  | 007-लेखन सामग्री एवं छपाई           | 300000                          | 270000                    | 270000                    |
|  | 008-अन्य आकस्मिक                    | 400000                          | 360000                    | 360000                    |
|  | 009-पेट्रोल तेल आदि                 | 150000                          | 135000                    | 135000                    |
|  | 011-किराया महसूल रथानीय कर          | 1000                            | 900                       | 900                       |
|  | <b>योग उद्देश्य-22</b>              | <b>1293000</b>                  | <b>1162900</b>            | <b>1162900</b>            |
|  | 31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ |                                 |                           |                           |
|  | 003-अभिभाषाकों की फीस               | 350000                          | 315000                    | 315000                    |
|  | 005-सुरक्षा व्यवस्था                | 0                               | 0                         | 0                         |
|  | 006-सफाई व्यवस्था                   | 0                               | 0                         | 0                         |
|  | 010-अन्य                            | 35000000                        | 31500000                  | 31500000                  |
|  | <b>योग उद्देश्य-31</b>              | <b>35350000</b>                 | <b>31815000</b>           | <b>31815000</b>           |
|  | <b>33-अनुरक्षण</b>                  |                                 |                           |                           |
|  | 002-मशीन/उपकरण का अनुरक्षण          | 50000                           | 450000                    | 450000                    |
|  | 003- वाहनों का अनुरक्षण             | 50000                           | 450000                    | 450000                    |
|  | <b>योग उद्देश्य-33</b>              | <b>100000</b>                   | <b>90000</b>              | <b>90000</b>              |
|  | 34-002-दवाईयों का क्रय              | 1500000                         | 1350000                   | 1350000                   |
|  | 004-राशन का मूल्य/भेजन व्यय         | 0                               | 0                         | 0                         |
|  | <b>योग उद्देश्य-34</b>              | <b>1500000</b>                  | <b>1350000</b>            | <b>1350000</b>            |
|  | 51-अन्य प्रभार                      | 60000                           | 54000                     | 54000                     |
|  | 63-001-मशीनें और संयंत्र            | 0                               | 0                         | 0                         |
|  | <b>योग योजना : 2304</b>             | <b>49562000</b>                 | <b>45730900</b>           | <b>45730900</b>           |

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल  
बजट आवंटन 2007-08 (मांग संख्या-72)  
आहरण एवं संवितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड                          | मद का नाम                      | स्वीकृत बजट<br>प्रावधान 2007-08 | विगाधक्ष को<br>आवंटित बजट | डी.डी.ओ. को<br>आवंटित बजट |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0504702001                            |                                |                                 |                           |                           |
| <b>राजस्व अनुभाग :</b>                |                                |                                 |                           |                           |
| मुख्य शीर्ष                           | 2210                           | 11-वेतन                         |                           |                           |
| चिकित्सा और<br>लोक स्वास्थ            | 001-अधिकारियों का वेतन         | 6250000                         | 6250000                   | 6250000                   |
|                                       | 003-महंगाई भत्ता               | 1875000                         | 1875000                   | 1875000                   |
|                                       | 006-मकान किराया                | 325000                          | 325000                    | 325000                    |
|                                       | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता      | 75000                           | 75000                     | 75000                     |
|                                       | 008-अन्य भत्ते                 | 125000                          | 125000                    | 125000                    |
|                                       | 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता | 63000                           | 63000                     | 63000                     |
|                                       | 011-त्याहार अग्रिम             | 25000                           | 25000                     | 25000                     |
| गैस राहत<br>औषधालय<br>योजना क्र- 5069 | 012-घटाईये त्योहार अग्रिम      | -25000                          | 25000                     | 25000                     |
|                                       | 016-अनाज अग्रिम                | 63000                           | 63000                     | 63000                     |
|                                       | 017-घटाईये अनाज अग्रिम         | -63000                          | 63000                     | 63000                     |
|                                       | 025-संविदा कर्म.का पारिश्रमिक  | 625000                          | 625000                    | 625000                    |
|                                       | 027-मंहगाई-वेतन                | 3125000                         | 3125000                   | 3125000                   |
|                                       | <b>योगउद्देश्य-11</b>          | <b>12463000</b>                 | <b>12463000</b>           | <b>12463000</b>           |
|                                       | 12-मजदूरी                      | 138000                          | 138000                    | 138000                    |
|                                       | 21-001-यात्रा भत्ता            | 16000                           | 16000                     | 16000                     |
|                                       | <b>22-कार्यालय व्यय</b>        |                                 |                           |                           |
|                                       | 003-फनीचर कार्या. उपकरण        | 40000                           | 36000                     | 36000                     |
| 33-अनुरक्षण                           | 005-बिजली एवं जल प्रभार        | 325000                          | 292500                    | 292500                    |
|                                       | 006-वर्दियाँ                   | 88000                           | 79000                     | 79000                     |
|                                       | 007-लेखन सामग्री एवं छपाई      | 500000                          | 450000                    | 450000                    |
|                                       | 008-अन्य आकस्मिक               | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
|                                       | <b>योग उद्देश्य-22</b>         | <b>1053000</b>                  | <b>947500</b>             | <b>947500</b>             |
|                                       | <b>34-सामग्री और पूर्ति</b>    |                                 |                           |                           |
|                                       | 34-002-दवाईयों का क्रय         | 6550000                         | 5895000                   | 5895000                   |
|                                       | <b>योग उद्देश्य-34</b>         | <b>6550000</b>                  | <b>5895000</b>            | <b>5895000</b>            |
|                                       | 63-001-मशीनें और संयंत्र       | 400000                          | 360000                    | 360000                    |
|                                       | 002-उपकरण                      | 50000                           | 45000                     | 45000                     |
| 34-सामग्री और पूर्ति                  | <b>योग उद्देश्य-34</b>         | <b>450000</b>                   | <b>405000</b>             | <b>405000</b>             |
|                                       | <b>योग योजना :5069</b>         | <b>20750000</b>                 | <b>19936500</b>           | <b>19936500</b>           |

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल  
बजट आवंटन 2007-08 (मार्ग संख्या-72)  
आहरण एवं संवितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड  | मद का नाम                     | स्थीकृत बजट प्रावधान<br>2007-08 | विगाधक्ष को आवंटित<br>बजट | डी.डी.ओ. को आवंटित<br>बजट |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0504702001  |                               |                                 |                           |                           |
| <b>राजस्व अनुभाग :</b>  |                               |                                 |                           |                           |
| मुख्य शीर्ष   | 2210                          | 11-वेतन                         |                           |                           |
| चिकित्सा और<br>लोक स्वास्थ<br><br>शाकिर अली खान<br>चिकित्सालय,<br>गैस राहत<br>योजना क्र- 6954 | 001-अधिकारियों का वेतन        | 6750000                         | 6750000                   | 6750000                   |
|   | 003-महंगाई भत्ता              | 2025000                         | 2025000                   | 2025000                   |
|   | 006-मकान किराया               | 350000                          | 350000                    | 350000                    |
|   | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता     | 80000                           | 80000                     | 80000                     |
|   | 008-अन्य भत्ते                | 135000                          | 135000                    | 135000                    |
|   | 009-चिकित्सा प्रतिपूति भत्ता  | 63000                           | 63000                     | 63000                     |
|   | 011-त्योहार अग्रिम            | 30000                           | 30000                     | 30000                     |
|   | 012-घटाईये त्योहार अग्रिम     | -30000                          | 30000                     | 30000                     |
|   | 016-अनाज अग्रिम               | 68000                           | 68000                     | 68000                     |
|   | 017-घटाईये अनाज अग्रिम        | -68000                          | 68000                     | 68000                     |
|   | 025-संविदा कर्म.का पारिश्रमिक | 1025000                         | 1025000                   | 1025000                   |
|   | 027-मंहंगाई-वेतन              | 3375000                         | 3375000                   | 3375000                   |
| <b>योगउद्देश्य-11</b>   |                               | <b>13803000</b>                 | <b>13803000</b>           | <b>13803000</b>           |
| 12-मजदूरी   |                               | 148000                          | 148000                    | 148000                    |
| 21-001-यात्रा भत्ता   |                               | 20000                           | 20000                     | 20000                     |
| 22-कार्यालय व्यय  |                               |                                 |                           |                           |
| 002-दूरभाष व्यय   |                               | 44000                           | 44000                     | 44000                     |
| 003-फनीचर कार्या. उपकरण   |                               | 70000                           | 63000                     | 63000                     |
| 005-बिजली एवं जल प्रभार   |                               | 425000                          | 382500                    | 382500                    |
| 006-वर्दियाँ  |                               | 95000                           | 85500                     | 85500                     |
| 007-लेखन सामग्री एवं छपाई   |                               | 1200000                         | 1080000                   | 1080000                   |
| 008-अन्य आक्रिमिक   |                               | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
| 009-पेट्रोल तेल आदि   |                               | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
| <b>योग उद्देश्य-22</b>  |                               | <b>2034000</b>                  | <b>1830600</b>            | <b>1830600</b>            |
| 31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ   |                               |                                 |                           |                           |
| 005-सुरक्षा व्यवस्था  |                               | 500000                          | 450000                    | 450000                    |
| 006-सफाई व्यवस्था   |                               | 450000                          | 405000                    | 405000                    |
| <b>योग उद्देश्य-31</b>  |                               | <b>950000</b>                   | <b>855000</b>             | <b>855000</b>             |
| <b>33-अनुरक्षण</b>  |                               |                                 |                           |                           |
| 002-मशीन/उपकरण का अनुरक्षण  |                               | 200000                          | 180000                    | 180000                    |
| 003- वाहनों का अनुरक्षण   |                               | 50000                           | 45000                     | 45000                     |
| <b>योग उद्देश्य-33</b>  |                               | <b>250000</b>                   | <b>225000</b>             | <b>225000</b>             |
| 34- सामग्री और पूर्ति   |                               |                                 |                           |                           |
| 34-002-दवाईयों का क्रय  |                               | 7500000                         | 6750000                   | 6750000                   |
| 004-राशन का मूल्य/भेजन व्यय   |                               | 350000                          | 315000                    | 315000                    |
| <b>योग उद्देश्य-34</b>  |                               | <b>7850000</b>                  | <b>7065000</b>            | <b>7065000</b>            |
| 51-अन्य प्रभार  |                               | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
| <b>योग उद्देश्य-51</b>  |                               | <b>100000</b>                   | <b>90000</b>              | <b>90000</b>              |
| 63-001-मशीनें और संयंत्र  |                               | 500000                          | 360000                    | 360000                    |
| 002-उपकरण   |                               | 400000                          | 360000                    | 360000                    |
| <b>योग उद्देश्य-63</b>  |                               | <b>800000</b>                   | <b>720000</b>             | <b>720000</b>             |
| योग योजना : 6954  |                               | <b>25955000</b>                 | <b>24756600</b>           | <b>24756600</b>           |

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल  
बजट आवंटन 2007-08 (मांग संख्या-72)  
आहरण एवं संवितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड  | मद का नाम                      | स्वीकृत बजट प्रावधान<br>2007-08 | विगाधक्ष को आवंटित<br>बजट | डी.डी.ओ. को आवंटित<br>बजट |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0504702001  |                                |                                 |                           |                           |
| राजस्व अनुभाग :   |                                |                                 |                           |                           |
| मुख्य शीर्ष   | 2210                           | 11-वेतन                         |                           |                           |
| चिकित्सा और<br>लोक स्वास्थ<br><br>मास्टर लाल सिंह<br>चिकित्सालय,<br>गैस राहत<br>योजना क्र- 5068 | 001-अधिकारियों का वेतन         | 6250000                         | 6250000                   | 6250000                   |
|   | 003-महंगाई भत्ता               | 1875000                         | 1875000                   | 1875000                   |
|   | 006-मकान किराया                | 325000                          | 325000                    | 325000                    |
|   | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता      | 75000                           | 75000                     | 75000                     |
|   | 008-अन्य भत्ते                 | 125000                          | 125000                    | 125000                    |
|   | 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता | 63000                           | 63000                     | 63000                     |
|   | 011-त्योहार अग्रिम             | 25000                           | 25000                     | 25000                     |
|   | 012-घटाईये त्योहार अग्रिम      | -5000                           | 25000                     | 25000                     |
|   | 016-अनाज अग्रिम                | 63000                           | 63000                     | 63000                     |
|   | 017-घटाईये अनाज अग्रिम         | -63000                          | 63000                     | 63000                     |
|   | 025-संविदा कर्म.का पारिश्रमिक  | 625000                          | 625000                    | 625000                    |
|   | 027-मंहगाई-वेतन                | 3125000                         | 3125000                   | 3125000                   |
| <b>योगउद्देश्य-11</b>   |                                | <b>12463000</b>                 | <b>12463000</b>           | <b>12463000</b>           |
| 12-मजदूरी   |                                | 138000                          | 138000                    | 138000                    |
| 21-001-यात्रा भत्ता   |                                | 16000                           | 16000                     | 16000                     |
| 22-कार्यालय व्यय  |                                |                                 |                           |                           |
| 002-दूरभाष व्यय   |                                | 44000                           | 36000                     | 36000                     |
| 003-फनीचर कार्या. उपकरण   |                                | 40000                           | 36000                     | 36000                     |
| 005-बिजली एवं जल प्रभार   |                                | 325000                          | 292500                    | 292500                    |
| 006-वर्द्धियाँ  |                                | 88000                           | 79000                     | 79000                     |
| 007-लेखन सामग्री एवं छपाई   |                                | 1000000                         | 900000                    | 900000                    |
| 008-अन्य आक्रिमिक   |                                | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
| 009-पेट्रोल तेल आदि   |                                | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
| <b>योग उद्देश्य-22</b>  |                                | <b>1693000</b>                  | <b>1523500</b>            | <b>1523500</b>            |
| 31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ   |                                |                                 |                           |                           |
| 005-सुरक्षा व्यवस्था  |                                | 450000                          | 405000                    | 405000                    |
| 006-सफाई व्यवस्था   |                                | 300000                          | 270000                    | 270000                    |
| <b>योग उद्देश्य-31</b>  |                                | <b>750000</b>                   | <b>675000</b>             | <b>675000</b>             |
| <b>33-अनुरक्षण</b>  |                                |                                 |                           |                           |
| 002-मशीन/उपकरण का अनुरक्षण  |                                | 150000                          | 135000                    | 135000                    |
| 003- वाहनों का अनुरक्षण   |                                | 50000                           | 45000                     | 45000                     |
| <b>योग उद्देश्य-33</b>  |                                | <b>200000</b>                   | <b>1523500</b>            | <b>1523500</b>            |
| 34- सामग्री और पूर्ति   |                                |                                 |                           |                           |
| 34-002-दवाईयों का क्रय  |                                | 7500000                         | 6750000                   | 6750000                   |
| 004-राशन का मूल्य/भेजन व्यय   |                                | 350000                          | 315000                    | 315000                    |
| <b>योग उद्देश्य-34</b>  |                                | <b>7850000</b>                  | <b>7065000</b>            | <b>7065000</b>            |
| 51-अन्य प्रभार  |                                | 60000                           | 54000                     | 54000                     |
| 63-001-मशीने और संयंत्र   |                                | 400000                          | 360000                    | 360000                    |
| 002-उपकरण   |                                | 50000                           | 45000                     | 45000                     |
| <b>योग उद्देश्य-63</b>  |                                | <b>450000</b>                   | <b>405000</b>             | <b>405000</b>             |
| योग योजना : 5069  |                                | <b>23620000</b>                 | <b>22519500</b>           | <b>22519500</b>           |

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल  
बजट आवंटन 2007-08 (मांग संख्या-72)  
आहरण एवं संवितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड  | मद का नाम                        | स्वीकृत बजट<br>प्रावधान 2007-08 | विगाध्यक्ष को<br>आवंटित बजट | डी.डी.ओ. को<br>आवंटित बजट |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0504702001  |                                  |                                 |                             |                           |
| <b>राजस्व अनुभाग :</b>  |                                  |                                 |                             |                           |
| मुख्य शीर्ष   | 2210                             | 11-वेतन                         |                             |                           |
| चिकित्सा और<br>लोक स्वास्थ<br><br>पत्मोनरी मेडिसिन सेन्टर,<br>गैस राहत<br>योजना क्र- 7007 | 001-अधिकारियों का वेतन           | 6300000                         | 6300000                     | 6300000                   |
|   | 003-महंगाई भत्ता                 | 1890000                         | 1890000                     | 1890000                   |
|   | 006-मकान किराया                  | 390000                          | 390000                      | 390000                    |
|   | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता        | 90000                           | 90000                       | 90000                     |
|   | 008-अन्य भत्ते                   | 130000                          | 130000                      | 130000                    |
|   | 009-चिकित्सा प्रतिपूति भत्ता     | 60000                           | 60000                       | 60000                     |
|   | 011-त्योहार अग्रिम               | 80000                           | 80000                       | 80000                     |
| प्रतिपूति भत्ता<br><br>योगउद्देश्य-11   | 012-घटाईये त्योहार अग्रिम        | -80000                          | 80000                       | 80000                     |
|   | 016-अनाज अग्रिम                  | 80000                           | 80000                       | 80000                     |
|   | 017-घटाईये अनाज अग्रिम           | -80000                          | 80000                       | 80000                     |
|   | 025-संविदा कर्म.का पारिश्रमिक    | 2000000                         | 2000000                     | 2000000                   |
|   | 027-मंहगाई-वेतन                  | 3150000                         | 3150000                     | 3150000                   |
|   | <b>योगउद्देश्य-11</b>            | <b>14010000</b>                 | <b>14010000</b>             | <b>14010000</b>           |
|   | 21-001-यात्रा भत्ता              | 22000                           | 22000                       | 22000                     |
| <b>22-कार्यालय व्यय</b>   |                                  |                                 |                             |                           |
| योगउद्देश्य-22  | 001-डाक एवं तार व्यय             | 11000                           | 9900                        | 9900                      |
|   | 002-दूरभाष व्यय                  | 24000                           | 21600                       | 21600                     |
|   | 003-फनीचर कार्या. उपकरण          | 65000                           | 88500                       | 88500                     |
|   | 005-बिजली एवं जल प्रभार          | 1300000                         | 1170000                     | 1170000                   |
|   | 006-वर्दियाँ                     | 220000                          | 198000                      | 198000                    |
|   | 007-लेखन सामग्री एवं छपाई        | 115000                          | 103500                      | 103500                    |
|   | 008-अन्य आकस्मिक                 | 220000                          | 198000                      | 198000                    |
|   | 009-पेट्रोल तेल आदि              | 130000                          | 117000                      | 117000                    |
|   | <b>योग उद्देश्य-22</b>           | <b>2085000</b>                  | <b>1876500</b>              | <b>1876500</b>            |
|   | 23- वाहनों का क्रय               | 400000                          | 360000                      | 360000                    |
| <b>33-अनुरक्षण</b>  |                                  |                                 |                             |                           |
| योगउद्देश्य-33  | 001-स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण | 900000                          | 810000                      | 810000                    |
|   | 002-मशीन/उपकरण का अनुरक्षण       | 600000                          | 540000                      | 540000                    |
|   | 003- वाहनों का अनुरक्षण          | 35000                           | 31500                       | 31500                     |
|   | <b>योग उद्देश्य-33</b>           | <b>1535000</b>                  | <b>1381500</b>              | <b>1381500</b>            |
|   | <b>34- सामग्री और पूर्ति</b>     |                                 |                             |                           |
| योगउद्देश्य-34  | 34-002-दवाईयों का क्रय           | 2500000                         | 2250000                     | 2250000                   |
|   | 004-राशन का मूल्य/भेजन व्यय      | 150000                          | 135000                      | 135000                    |
|   | <b>योग उद्देश्य-34</b>           | <b>2650000</b>                  | <b>2385000</b>              | <b>2385000</b>            |
|   | 63-001-मशीनें और संयंत्र         | 100000                          | 90000                       | 90000                     |
|   | <b>योग उद्देश्य-63</b>           | <b>100000</b>                   | <b>90000</b>                | <b>90000</b>              |
|   | <b>योग योजना : 7007</b>          | <b>20802000</b>                 | <b>20125000</b>             | <b>20125000</b>           |

## 12. सबसिडी कार्यक्रम की जानकारी

निरंक

13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी, गैस राहत के कार्यालय द्वारा कोई परमिट या रियायत आदि नहीं दी जाती है ।

## 14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

कम्प्यूटर उपलब्ध है कुछ कार्य मेन्युअल व कुछ कार्य कम्प्यूटर से कराया जा रहा है ।

## 15. जनता द्वारा कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिये सुविधाएं

सूचना का अधिकार एवं नागरिक अधिका पत्र का बोर्ड मुख्य द्वारा के पास लगाया गया है, कम्प्यूटर, वेबसाईट, इन्टरनेट इत्यादि उपलब्ध नहीं है ।

## 16. कार्यालय के जन सूचना अधिकारी का नाम, पता और अन्य जानकारी

नाम - डॉ. डी.सी. अग्रवाल

पदनाम - चिकित्सा अधिकारी

पता - 1100 क्वार्टर्स, भोपाल

ई-मेल

टेलीफोन नम्बर ॐ.-2734625 - निवास- 2464381

संपर्क का पता- फिरोज गाँधी काम्पलेक्स, बैरसिया रोड, भोपाल

## 17. अन्य कोई सूचना

निरंक

## **भाग- 5**

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005  
का  
मेनुअल  
(धारा 4 के अंतर्गत)**

**भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग  
मध्य प्रदेश शासन**

**(अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल)**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### अध्याय 3

### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अंतर्गत यह अनिवार्यता अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य और क्रियाकलापों की जानकारी रखेंगे जो नागरिकों को उपलब्ध हो सके। अधिनियम में बिन्दु क्रमांक 1 से 17 रखी जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया है।

इस मेन्युअल में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के संबंध में 1 से 17 बिन्दुओं पर रखी जाने वाली जानकारी का विवरण दिया गया है। जानकारी विभाग के तीन स्तरों यथा शासन स्तर (मंत्रालय) विभाग स्तर (संचालनालय) एवं संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत इकाई के लिये अलग-अलग दी गई है।

यहाँ पर (भाग 5) अधीक्षक, जवाहालाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत स्तर की जानकारी दी जा रही है।

1. अधीक्षक, जवाहालाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत के संगठन, कार्य और दायित्व
2. संगठन

## भाग-5

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

#### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा अपने संगठन की रचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी अधिनियम में दिये बिन्दु क्रमांक 1 से 17 में अनिवार्य रखी जानी है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की शासन एवं संचालनालय स्तर की जानकारी भाग 1 व 2 में दी गई है।


यहाँ अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत की जानकारी प्रदान की जा रही है।

भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गैस प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों के माध्यम से गैस पीड़ितों को निःशुल्क जाँच एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है। गैर गैस पीड़ितों के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। यह समिति दिनांक 15.09.2005 से क्रियाशील हुई है और अपना कार्य प्रारम्भ कर चुकी है।

#### जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत के कार्यालय का संगठन कार्य और दायित्व

##### 1.1 संगठन

अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय



##### 1.2 कार्य एवं दायित्व

7. प्रशासनिक कार्य
8. वित्तीय कार्य का संपादन
9. रोगी कल्याण समिति

##### अधीक्षक के कार्य

- चिकित्सा सेवा (आपातकालीन सेवा सहित) रोगियों का परीक्षण, जाँच की व्यवस्था (पैथालॉजी, एक्स-रे आदि) एवं इलाज की व्यवस्था करना। विभिन्न विभाग में आप्रेशन थियेटर, इंजेक्शन रूम, प्लास्टर आदि की चिकित्सालय के बजट एवं विशेषज्ञ सेवा की उपलब्धता अनुसार व्यवस्था करना।
- चिकित्सालय में चिकित्सकों, पैरामेडिकल्स स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों में अनुशासन रखना निदेशानुसार चिकित्सालय में साफ-सफाई, रख-रखाव,
- आपातकालीन सेवाएं देना, चिकित्सा दल भेजना

- रेफरल सेवायें (रेफरल मरीज व देखभाल और ज्यादा बीमार मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजना)
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान जैसे परिवार नियोजन, दृष्टिहीनता नियंत्रण डाट्स कार्यक्रम इत्यादि ।
- जिला एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशानुसार एवं उपलब्धता अनुसार सहयोग करना ।
- स्टाफ के रिकार्ड एवं संबंधित कार्य का संचालन करना ।
- बजट का निर्देशानुसार उपयोग करना ।
- बिल्डिंग पानी एवं बिजली व्यवस्था संबंधित विभागों के सहयोग से व्यवस्था करना । शासन के निर्देशानुसार समय पर आयोजन, योजना, केम्पस आदि की व्यवस्था करना ।
- रोगी कल्याण समिति का संचालन एवं जन सहयोग से चिकित्सालय सेवा, रोगी कल्याण एवं विस्तार की योजना करना व सहमति से उनका क्रियान्वयन करना ।
- अपने अधीन डिस्पेंसरियों की क्षमतानुसार व्यवस्था करना ।
- सूचना एकत्रित करना एवं प्रचार प्रसार करना ।
- विभिन्न संस्थाओं में सहयोग बनाकर समन्वय से चिकित्सा सेवायें बनाना ।
- शासन या वरिष्ठ आफीसर्स के निर्देशानुसार कार्यवाही करना ।

| क्रमांक | विभाग/सेक्षन | कार्य/कर्तव्य   |
|---------|--------------|---|
| 01.     | प्रशासनिक    | व्यक्तिगत अभिलेखों का संधारण, शिकायत जांच, अवकाश समस्या निराकरण |
| 02.     | एकाउंट्स     | वेतन भत्तों का भुगतान एवं अन्य व्यय बजट प्रावधान अनुरूप         |
| 03.     | स्टोर        | दवा उपकरण, सामग्री का भण्डारण मरम्मत इत्यादि                    |
| 04.     | रिकार्ड रूम  | ओ.पी.डी. भर्ती मरीज एवं मेडिकल बोर्ड, एम.एल.सी.                 |

## 2 (अ). अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, प्रोग्राम इत्यादि)

| क्रमांक | नाम                  | पदनाम             | कार्य                       |
|---------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.      | डॉ. रवि वर्मा        | अधीक्षक           | समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय |
| 2.      | डॉ. एस.सी. जैन       | चिकित्सा अधिकारी  | आहरण एवं संवितरण अधिकारी    |
| 3.      | डॉ. सुधीर श्रीवास्तव | ई.एन.टी. विशेषज्ञ | स्टोर प्रभारी               |

## ब. अधिकार (प्रशासनिक, वित्तीय)

| क्रमांक | नाम           | पदनाम   | कार्य   |
|---------|---------------|---------|---|
| 1       | डॉ. रवि वर्मा | अधीक्षक | देयकों की स्वीकृति भुगतान द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का निराकरण<br>2/ क्रय 25,000 (रु. पच्चीस हजार तक की ) |

### 3. निर्णय लेने की प्रक्रिया

#### (अ) निर्णय लेने की प्रक्रिया

- आपातकालीन एवं तात्कालिक कार्यों का निर्णय स्वयं के द्वारा लिया जाता है ।
- अधीनरथ एवं संबंधित स्टाफ द्वारा फाइल की जानकारी प्रस्तुत की जाती है ।

संबंधित नस्तियाँ कार्यालय से तैयार कर अधीक्षक से सिविल सर्जन को निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाती है । उन प्रकरणों पर जहाँ निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तर पर है उसके लिये प्रकरण को आवश्यक टीप सहित संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को प्रस्तुत की जाती है ।

#### (ब) पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी :-

संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय एवं कलेक्टर

किस अधिकारी को रिपोर्ट करें-

तदैव

### 4. कार्य संपादन के लिये मापदंड

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. आपात/आकस्मिक कार्य | तत्काल  |
| 2. शेष कार्य          | एक सप्ताह के अन्दर                            |
| 3. कार्यालयीन कार्य   | नियमानुसार                                    |
| 4. गुणवत्ता           | चिकित्सालय की समिति द्वारा निर्धारित          |
| 5. लक्ष्य निर्धारण    | नहीं है ।<br>वरिष्ठ कार्यालय द्वारा होता है । |

**5. कार्यालय में रखे जाने वाले या कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन कार्य संपादन में नियम कायदे, मैनुअल, रिकार्ड**

|        |   |                                 |
|--------|---|---------------------------------|
| नियम   | - | प्रचलित म.प्र. शासन के नियम ।   |
| मैनुअल | - | पूर्व प्रथा एवं परंपरा अनुसार । |
| सरकुलर | - | सरकुलर की नस्ती है ।            |

**6. विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेंट जो कार्यालय में रखे जाते हैं**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| योजना डाक्यूमेंट   |                             |
| बजट डाक्यूमेंट     |                             |
| वित्तीय डाक्यूमेंट |                             |
| असेट्स डाक्यूमेंट  | - राजधानी परियोजना प्रशासन/ |
|                    | लोक निमाण विभाग द्वारा      |
| मिसलेनियर          | कार्यालयीन रिकार्ड          |

**7. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण**

अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत के स्तर पर नीति निर्धारण व कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये, रोगी कल्याण समिति के अतिरिक्त, कोई व्यवस्था नहीं है । रोगी कल्याण समिति के सदस्यों, कार्य और दायित्व शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार हैं ।

**8. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण**

जिला स्तर पर कोई बोर्ड, परिषद या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया है ।

**9. व 10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची एवं उनके मासिक पारिश्रमिक पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।**

बजट आवंटन 2007-08 (मांग संख्या-72)  
आहरण एवं संपितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड<br>0504702004                                    | मद का नाम                          | स्वीकृत बजट प्रावधान<br>2007-08 | विगाधक्ष को आवंटित<br>बजट | डी.डी.ओ. को आवंटित<br>बजट |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>राजस्व अनुभाग :</b>  |                                    |                                 |                           |                           |
| मुख्य शीर्ष 2210  | 11-वेतन                            |                                 |                           |                           |
| चिकित्सा और<br>लोक स्वास्थ                                    | 001-अधिकारियों का वेतन             | 13500000                        | 13500000                  | 13500000                  |
|   | 003-महंगाई भत्ता                   | 4050000                         | 4050000                   | 4050000                   |
| जवाहर लाल नेहरू<br>चिकित्सालय,<br>गैस राहत<br>योजना क्र- 6016 | 006-मकान किराया                    | 560000                          | 560000                    | 560000                    |
|   | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता          | 250000                          | 250000                    | 250000                    |
|   | 008-अन्य भत्ते                     | 17500                           | 17500                     | 17500                     |
|   | 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता     | 550000                          | 550000                    | 550000                    |
|   | 011-त्योहार अग्रिम                 | 60000                           | 60000                     | 60000                     |
|   | 012-घटाई त्योहार अग्रिम            | 60000                           | 60000                     | 60000                     |
| योगउद्देश्य-11  | 016-अनाज अग्रिम                    | 140000                          | 140000                    | 140000                    |
|   | 017-घटाई अनाज अग्रिम               | -140000                         | 140000                    | 140000                    |
|   | 025-संविदा कर्म.का पारिश्रमिक      | 1500000                         | 1500000                   | 1500000                   |
|   | 027-महंगाई-वेतन                    | 6750000                         | 6750000                   | 6750000                   |
|   | <b>योगउद्देश्य-11</b>              | <b>27335000</b>                 | <b>27335000</b>           | <b>27335000</b>           |
|   | 12-मजदूरी                          | 200000                          | 200000                    | 200000                    |
|   | 21-001-यात्रा भत्ता                | 40000                           | 40000                     | 40000                     |
|   | 22-कार्यालय व्यय                   |                                 |                           |                           |
|   | 001-डाक एवं तार व्यय               | 3000                            | 2700                      | 2700                      |
|   | 002-दूरभाष व्यय                    | 30000                           | 27000                     | 27000                     |
|   | 003-फनीचर कार्या. उपकरण            | 50000                           | 45000                     | 45000                     |
| योगउद्देश्य-22  | 004-पुस्तके एवं पत्रिकाएँ          | 20000                           | 18000                     | 18000                     |
|   | 005-बिजली एवं जल प्रभार            | 2400000                         | 2160000                   | 2160000                   |
|   | 006-वर्दियाँ                       | 150000                          | 135000                    | 135000                    |
|   | 007-लेखन सामग्री एवं छपाई          | 500000                          | 450000                    | 450000                    |
|   | 008-अन्य आकर्षिक                   | 400000                          | 360000                    | 360000                    |
|   | 009-पेट्रोल तेल आदि                | 108000                          | 97000                     | 97000                     |
|   | <b>योगउद्देश्य-22</b>              | <b>3661000</b>                  | <b>3294700</b>            | <b>3294700</b>            |
|   | 23- वाहनों का क्रय                 | 400000                          | 360000                    | 360000                    |
|   | 31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ |                                 |                           |                           |
|   | 003-अभिभाषकों की फीस               | 10000                           | 9000                      | 9000                      |
|   | 005-सुरक्षा व्यवस्था               | 800000                          | 720000                    | 720000                    |
| योगउद्देश्य-31  | 006-सफाई व्यवस्था                  | 500000                          | 450000                    | 450000                    |
|   | <b>योगउद्देश्य-31</b>              | <b>1310000</b>                  | <b>1179000</b>            | <b>1179000</b>            |
| <b>33-अनुरक्षण</b>  |                                    |                                 |                           |                           |
| 001-रथाई संपत्तियों का अनुरक्षण                               | 300000                             | 270000                          | 270000                    |                           |
| योगउद्देश्य-33  | 002-मशीन/उपकरण का अनुरक्षण         | 120000                          | 108000                    | 108000                    |
|   | 003- वाहनों का अनुरक्षण            | 22000                           | 19800                     | 19800                     |
|   | <b>योगउद्देश्य-33</b>              | <b>442000</b>                   | <b>397800</b>             | <b>397800</b>             |
|   | 34- सामग्री और पूर्ति              |                                 |                           |                           |
| योगउद्देश्य-34  | 34-002-दवाईयों का क्रय             | 17500000                        | 15750000                  | 15750000                  |
|   | 004-राशन का मूल्य/भेजन व्यय        | 925000                          | 832500                    | 832500                    |
|   | 006-खपने वाला सामान                | 100000                          | 90000                     | 90000                     |
|   | <b>योगउद्देश्य-34</b>              | <b>18525000</b>                 | <b>16672500</b>           | <b>16672500</b>           |
|   | 63-001-मशीनें और संयंत्र           | 800000                          | 720000                    | 720000                    |
|   | <b>योगउद्देश्य-63</b>              | <b>800000</b>                   | <b>720000</b>             | <b>720000</b>             |
| योग योजना : 6016  |                                    | <b>52313000</b>                 | <b>49839000</b>           | <b>49839000</b>           |

- 12. सबसिडी कार्यक्रम की जानकारी** निरंक
- 13. अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय गैस राहत के कार्यालय द्वारा कोई परमिट या रियायत आदि नहीं दी जाती है ।**
- 14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें**  
कम्प्यूटर उपलब्ध है कुछ कार्य मेन्युअल व कुछ कार्य कम्प्यूटर से कराया जा रहा है ।
- 15. जनता द्वारा कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिये सुविधायें**  
सूचना का अधिकार एवं नागरिक अधिका पत्र का बोर्ड मुख्य द्वारा के पास लगाया गया है, कम्प्यूटर, वेबसाईट, इन्टरनेट इत्यादि उपलब्ध नहीं है ।
- 16. कार्यालय के जन सूचना अधिकारी का नाम, पता और अन्य जानकारी**
- |                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| नाम                    | -         | डॉ. ए.के. सक्सेना                             |
| पदनाम                  | -         | नेत्र रोग विशेषज्ञ                            |
| पता                    | -         |   |
| ई-मेल                  | -         |   |
| टेलीफोन नम्बर ऑ.-      | 2730178 - | मो.नं. 9425005028                             |
| संपर्क का पता- कक्ष क. | -         | 32 जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल |
- 17. अन्य कोई सूचना**
- निरंक

## **भाग- 5**

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005  
का  
मेनुअल  
(धारा 4 के अंतर्गत)**

**भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग  
मध्य प्रदेश शासन**

**(अधीक्षक, इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल)**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### अध्याय 3

### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अंतर्गत यह अनिवार्यता अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य और क्रियाकलापों की जानकारी रखेंगे जो नागरिकों को उपलब्ध हो सके। अधिनियम में बिन्दु क्रमांक 1 से 17 रखी जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया है।

इस मेन्युअल में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के संबंध में 1 से 17 बिन्दुओं पर रखी जाने वाली जानकारी का विवरण दिया गया है। जानकारी विभाग के तीन स्तरों यथा शासन स्तर (मंत्रालय) विभाग स्तर (संचालनालय) एवं संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत इकाई के लिये अलग-अलग दी गई है।

यहाँ पर (भाग 6) अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत स्तर की जानकारी दी जा रही है।

1. अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत के संगठन, कार्य और दायित्व
  - 1.1 संगठन

## भाग- 6

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

#### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी अधिनियम में दिये बिन्दु क्रमांक 1 से 17 में अनिवार्यतः रखी जानी है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की शासन एवं संचालनालय स्तर की जानकारी भाग 1 व 2 में दी गई है।


यहाँ अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत की जानकारी प्रदाय की जा रही है।

भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गैस प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों के माध्यम से गैस पीड़ितों को निशुल्क जाँच एवं उपचार प्रदाय किया जा रहा है। गैर गैस पीड़ितों के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। यह समिति दिनांक 15.09.2005 त्रियांशील हुई है और अपना कार्य प्रारम्भ कर चुकी है।

#### जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत के कार्यालय का संगठन कार्य और दायित्व

##### 1.1 संगठन

अधीक्षक, इंदिरा गांधी चिकित्सालय



##### 1.2 कार्य एवं दायित्व

10. प्रशासनिक कार्य
11. वित्तीय कार्य का संपादन
12. रोगी कल्याण समिति

##### अधीक्षक के कार्य

- चिकित्सा सेवा (आपातकालीन सेवा सहित) रोगियों का परीक्षण, जाँच की व्यवस्था (पैथालॉजी, एक्स-रे आदि) एवं इलाज की व्यवस्था करना। विभिन्न विभाग में आप्रेशन थियेटर, इंजेक्शन रूम, प्लास्टर आदि की चिकित्सालय के बजट एवं विशेषज्ञ सेवा की उपलब्धता अनुसार व्यवस्था करना।

- चिकित्सालय में चिकित्सकों, पैरामेडिकल्स स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों में अनुशासन रखना निर्देशानुसार चिकित्सालय में साफ-सफाई, रख-रखाव,
- आपातकालीन सेवाएं देना, चिकित्सा दल भेजना
- रेफरल सेवायें (रेफरल मरीज व देखभाल और ज्यादा बीमार मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजना)
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान जैसे परिवार नियोजन, दृष्टिहीनता नियंत्रण डाट्स कार्यक्रम इत्यादि ।
- जिला एडमिनिस्ट्रिशन के निर्देशानुसार एवं उपलब्धता अनुसार सहयोग करना ।
- स्टाफ के रिकार्ड एवं संबंधित कार्य का संचालन करना ।
- बजट का निर्देशानुसार उपयोग करना ।
- बिल्डिंग पानी एवं बिजली व्यवस्था संबंधित विभागों के सहयोग से व्यवस्था करना । शासन के निर्देशानुसार समय पर आयोजन, योजना, केम्पस आदि की व्यवस्था करना ।
- रोगी कल्याण समिति का संचालन एवं जन सहयोग से चिकित्सालय सेवा, रोगी कल्याण एवं विस्तार की योजना करना व सहमति से उनका क्रियान्वयन करना ।
- अपने अधीन डिस्पेंसरियों की क्षमतानुसार व्यवस्था करना ।
- सूचना एकत्रित करना एवं पचार प्रसार करना ।
- विभिन्न संस्थाओं में सहयोग बनाकर समन्वय से चिकित्सा सेवायें बनाना ।
- शासन या वरिष्ठ आफीसर्स के निर्देशानुसार कार्यवाही करना ।

| क्रमांक | विभाग/सेवानाम | कार्य/कर्तव्य   |
|---------|---------------|---|
| 01.     | प्रशासनिक     | व्यक्तिगत अभिलेखों का संधारण, शिकायत जांच, अवकाश समस्या निराकरण |
| 02.     | एकाउंट्स      | वेतन भत्तों का भुगतान एवं अन्य व्यय बजट प्रावधान अनुरूप         |
| 03.     | स्टोर         | दवा उपकरण, सामग्री का भण्डारण मरम्मत इत्यादि                    |
| 04.     | रिकार्ड रूम   | ओ.पी.डी. भर्ती मरीज एवं मेडिकल बोर्ड, एम.एल.सी.                 |

## 2(अ). अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, प्रोग्राम इत्यादि)

| क्रमांक | नाम               | पदनाम   | कार्य                       |
|---------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 1.      | डॉ. आर.के. तिवारी | अधीक्षक | समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय |

|    |                    |                  |                          |
|----|--------------------|------------------|--------------------------|
| 2. | डॉ. यू.सी. सक्सेना | चिकित्सा अधिकारी | आहरण एवं संवितरण अधिकारी |
| 3. | डॉ. एस.एम.त्रिपाठी | शिशुरोग विशेषज्ञ | स्टोर प्रभारी            |

### ब. अधिकार (प्रशासनिक, वित्तीय)

| क्रमांक | नाम               | पदनाम   | कार्य  |
|---------|-------------------|---------|--|
| 1.      | डॉ. आर.के. तिवारी | अधीक्षक | देयकों की स्वीकृति भुगतान द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का निराकरण<br>2/ क्रय 25,000 (रु. पच्चीस हजार तक की) |

### 3. निर्णय लेने व प्रक्रिया

#### (अ) निर्णय लेने की प्रक्रिया

1. आपातकालीन एवं तात्कालिक कार्यों का निर्णय स्वयं के द्वारा लिया जाता है ।

2. अधीनरथ एवं संबंधित स्टाफ द्वारा फाइल एवं जानकारी प्रस्तुत की जाती है ।

संबंधित नस्तियाँ कार्यालय से तैयार कर निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाती है । उन प्रकरणों पर जहाँ निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तर पर है उसके लिये प्रकरण को आवश्यक टीप सहित संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को प्रस्तुत की जाती है ।

#### (ब) पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी :-

संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास एवं कलेक्टर

किस अधिकारी को रिपोर्ट करें -

तदैव

### 4. कार्य संपादन के लिये मापदंड

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. आपात /आकस्मिक कार्य | तत्काल                               |
| 2. शेष कार्य           | एक सप्ताह के अन्दर                   |
| 3. कार्यालयीन कार्य    | नियमानुसार                           |
| 4. गुणवत्ता            | चिकित्सालय की समिति द्वारा निर्धारित |

नहीं है ।  
वरिष्ठ कार्यालय द्वारा होता है ।

## 5. कार्यालय में रखे जाने वाले या कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन कार्य संपादन में नियम कायदे, मैनुअल, रिकार्ड

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| नियम   | - | प्रचलित म.प्र. शासन के नियम ।    |
| मैनुअल | - | पूर्व प्रथा एवं परम्परा अनुसार । |
| सरकुलर | - | सरकुलर की नस्ती है ।             |

## 6. विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेंट जो कार्यालय में रखे जाते हैं

|                     |  |
|---------------------|--|
| योजना डाक्यूमेंट    |  |
| बजट डाक्यूमेन्ट     |  |
| वित्तीय डाक्यूमेन्ट |  |
| असेट्स डाक्यूमेन्ट  | - राजधानी परियोजना प्रशासन /<br>लोक निर्माण विभाग द्वारा |
| मिसलेनियस           | - कार्यालयीन रिकार्ड                                     |

## 7. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

अधीक्षक, इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत के स्तर पर नीति निर्धारण व कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये, रोगी कल्याण समिति के अतिरिक्त, कोई व्यवस्था नहीं है । रोगी कल्याण समिति के सदस्यों, कार्य ओर दायित्व शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार हैं ।

## 8. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जिला स्तर पर कोई बोर्ड, परिषद या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया है ।

## 9. व 10. अधीक्षक, इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत के कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची एवं उनके मासिक प्रारिश्रमिक पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल  
बजट आवंटन 2007-08 (मांग संख्या-72)  
आहरण एवं संवितरण अधिकारी-सी.एम.ओ. गैस राहत

| डी.डी.ओ. कोड   | मद का नाम                          | स्थीकृत बजट प्रावधान<br>2007-08 | विगाधक्ष को आवंटित<br>बजट | डी.डी.ओ. को आवंटित<br>बजट |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0504702003   |                                    |                                 |                           |                           |
| <b>राजस्व अनुभाग :</b>   |                                    |                                 |                           |                           |
| मुख्य शीर्ष  | 2210                               | 11-वेतन                         |                           |                           |
| चिकित्सा और<br>लोक स्वास्थ<br><br>इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्य<br>चिकित्सालय,<br>गैस राहत<br>योजना क्र- 8873 | 001-अधिकारियों का वेतन             | 16400000                        | 16400000                  | 16400000                  |
|  | 003-महंगाई भत्ता                   | 4920000                         | 4920000                   | 4920000                   |
|  | 006-मकान किराया                    | 900000                          | 900000                    | 900000                    |
|  | 007-नगर क्षतिपूर्ति भत्ता          | 310000                          | 310000                    | 310000                    |
|  | 008-अन्य भत्ते                     | 200000                          | 200000                    | 200000                    |
|  | 009-चिकित्सा प्रतिपूति भत्ता       | 242000                          | 242000                    | 242000                    |
|  | 011-त्योहार अग्रिम                 | 50000                           | 50000                     | 50000                     |
|  | 012-घटाईये त्योहार अग्रिम          | 50000                           | 50000                     | 50000                     |
| योगउद्देश्य-11   | 016-अनाज अग्रिम                    | 100000                          | 100000                    | 100000                    |
|  | 017-घटाईये अनाज अग्रिम             | -100000                         | 100000                    | 100000                    |
|  | 025-संविदा कर्मकारी पारिश्रमिक     | 4000000                         | 4000000                   | 4000000                   |
|  | 027-मंहंगाई-वेतन                   | 8200000                         | 8200000                   | 8200000                   |
|  | <b>योगउद्देश्य-11</b>              | <b>35172000</b>                 | <b>35172000</b>           | <b>35172000</b>           |
|  | 12-मजदूरी                          | 150000                          | 150000                    | 150000                    |
|  | 21-001-यात्रा भत्ता                | 84000                           | 84000                     | 84000                     |
|  | 22-कार्यालय व्यय                   |                                 |                           |                           |
|  | 001-डाक एवं तार व्यय               | 2000                            | 1800                      | 1800                      |
|  | 002-दूरभाष व्यय                    | 60000                           | 54000                     | 54000                     |
|  | 003-फौनीचर कार्यालय उपकरण          | 54000                           | 48600                     | 48600                     |
|  | 004-पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ         | 15000                           | 13500                     | 13500                     |
|  | 005-बिजली एवं जल प्रभार            | 2100000                         | 1890000                   | 1890000                   |
|  | 006-वर्दियाँ                       | 300000                          | 270000                    | 270000                    |
|  | 007-लेखन सामग्री एवं छपाई          | 300000                          | 270000                    | 270000                    |
|  | 008-अन्य आकस्मिक                   | 400000                          | 360000                    | 360000                    |
|  | 009-पेट्रोल तेल आदि                | 300000                          | 270000                    | 270000                    |
|  | <b>योग उद्देश्य-22</b>             | <b>3531000</b>                  | <b>3177900</b>            | <b>3177900</b>            |
| योगउद्देश्य-31   | 31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ |                                 |                           |                           |
|  | 003-अभिभाषकों की फीस               | 12000                           | 10800                     | 10800                     |
|  | 005-सुरक्षा व्यवस्था               | 975000                          | 877500                    | 877500                    |
|  | 006-सफाई व्यवस्था                  | 500000                          | 450000                    | 450000                    |
|  | <b>योग उद्देश्य-31</b>             | <b>1487000</b>                  | <b>1338300</b>            | <b>1338300</b>            |
| <b>33-अनुरक्षण</b>   |                                    |                                 |                           |                           |
| योगउद्देश्य-33   | 001-रथाई संपत्तियों का अनुरक्षण    | 1500000                         | 1350000                   | 1350000                   |
|  | 002-मशीन/उपकरण का अनुरक्षण         | 300000                          | 270000                    | 270000                    |
|  | 003- वाहनों का अनुरक्षण            | 50000                           | 45000                     | 45000                     |
|  | <b>योग उद्देश्य-33</b>             | <b>1850000</b>                  | <b>1665000</b>            | <b>1665000</b>            |
| <b>34- सामग्री और पूर्ति</b>   |                                    |                                 |                           |                           |
| योगउद्देश्य-34   | 34-002-दवाईयों का क्रय             | 10000000                        | 9000000                   | 9000000                   |
|  | 004-राशन का मूल्य/मेजन व्यय        | 1100000                         | 990000                    | 990000                    |
|  | 009-अन्य                           | 300000                          | 270000                    | 270000                    |
|  | <b>योग उद्देश्य-34</b>             | <b>11400000</b>                 | <b>10260000</b>           | <b>10260000</b>           |
| योगउद्देश्य-63   | 63-001-मशीनें और संयंत्र           | 5300000                         | 4770000                   | 4770000                   |
|  | <b>योग उद्देश्य-63</b>             | <b>5300000</b>                  | <b>4770000</b>            | <b>4770000</b>            |
|  | <b>योग योजना :8873</b>             | <b>58974000</b>                 | <b>56617200</b>           | <b>56617200</b>           |

## 12. सबसिडी कार्यक्रम की जानकारी

निरंक

13. अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत के कार्यालय द्वारा कोई परमिट या सियायत आदि नहीं दी जाती है ।

## 14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

कम्प्यूटर उपलब्ध है कुछ कार्य मेन्युअल व कुछ कार्य कम्प्यूटर से कराया जा रहा है ।

## 15. जनता द्वारा कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिये सुविधायें

सूचना का अधिकार एवं नागरिक अधिका पत्र का बोर्ड मुख्य द्वारा के पास लगाया गया है, कम्प्यूटर, वेबसाईट, इन्टरनेट इत्यादि उपलब्ध नहीं है ।

## 16. कार्यालय के जन सूचना अधिकारी का नाम, पता और अन्य जानकारी

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| नाम                        | - | डॉ. एस.एन.त्रिपाठी                            |
| पदनाम                      | - | शिशुरोग विशेषज्ञ                              |
| पता                        | - | पारुल नर्सिंग होम के पीछे<br>शिवाजी नगर भोपाल |
| ई-मेल                      | - |   |
| टेलीफोन नम्बर ऑ.-2730100 - |   | निवास-22554785                                |
| संपर्क का पता- कक्ष क.     | - | इंदिरा गांधी चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल      |

## 17. अन्य कोई सूचना

निरंक

**भाग- 4**  
**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005**  
का  
मेनुअल  
(धारा 4 के अंतर्गत)

**भोपाल गैस त्रासदी राहहत एवं पुनर्वास विभाग  
मध्य प्रदेश शासन**

**(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत)**

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### अध्याय 3

### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत यह अनिवार्यता अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी रखेंगे जो नागरिकों को उपलब्ध हो सके। अधिनियम में बिन्दु क्रमांक 1 से 17 रखी जाने वाली जानकारियों का विवरण दिया है।


इस मेन्युअल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के संबंध में 1 से 17 बिन्दुओं पर रखी जाने वाली जानकारी का विवरण दिया गया है। जानकारी विभाग के तीन स्तरों यथा शासन स्तर (मंत्रालय) विभाग स्तर (संचालनालय) एवं संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत इकाई के लिये अलग-अलग दी गई है।

यहाँ पर (भाग 4) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत स्तर की जानकारी दी जा रही है।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के संगठन, कार्य और दायित्व
- 1.1 संगठन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत की संगठनात्मक संरचना साथ के चार्ट में दिखलाई गई है। (चार्ट 4)

#### मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत का संगठन



## भाग- 3

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

#### सूचना का अधिकार एवं लोक प्राधिकारी का दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अध्याय 2 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा अपने संगठन की संरचना, कर्तव्य और कार्य, और क्रियाकलापों की जानकारी अधिनियम में दिये बिन्दु क्रमांक 1 से 17 में अनिवार्यतः रखी जानी है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की शासन एवं संचालनालय स्तर की जानकारी भाग 1 व 2 में दी गई है। यहाँ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के अधिनस्थ चिकित्सीय इकाईयों के नियंत्रणकर्ता हैं, की जानकारी प्रदान की जा रही है।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल  
अधीक्षक आर.ए.एस. पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर, गैस राहत, भोपाल  
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, खान शाकिर अली खान चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल  
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय, गैस राहत  
इसके अतिरिक्त 9- औषद्यालय (डे केयर यूनिट)

भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गैस प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों के माध्यम से गैस पीड़ितों को निशुल्क जाँच एवं उपचार प्रदाय किया जा रहा है। गैर गैस पीड़ितों के लिये रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। यह समिति दिनांक 15.09.2005 से क्रियाशील हुई है और अपना कार्य प्रारम्भ कर चुकी है।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के कार्यालय का संगठन कार्य और दायित्व**

#### 1.1 संगठन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,



#### 1.2 कार्य एवं दायित्व

1. प्रशासनिक कार्य
2. वित्तीय कार्य का संपादन
3. रोगी कल्याण समिति

## मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक के कार्य

- चिकित्सा सेवा (आपातकालीन सेवा सहित) रोगियों का परीक्षण, जाँच की व्यवस्था (पैथालॉजी, एक्स-रे आदि) एवं इलाज की व्यवस्था करना। विभिन्न विभाग में आप्रेशन थियेटर, इंजेक्शन रूम, प्लास्टर आदि की चिकित्सालय के बजट एवं विशेषज्ञ सेवा की उपलब्धता अनुसार व्यवस्था करना।
- चिकित्सालय में चिकित्सकों, पैरामेडिकल्स स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों में अनुशासन रखना निर्देशानुसार चिकित्सालय में साफ-सफाई, रख-रखाव,
- **आपातकालीन सेवाएं देना, चिकित्सा दल भेजना**
- रेफरल सेवायें (रेफरल मरीज व देखभाल और ज्यादा बीमार मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजना)
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान जैसे परिवार नियोजन, दृष्टिहीनता नियंत्रण डाट्स कार्यक्रम इत्यादि।
- जिला एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशानुसार एवं उपलब्धता अनुसार सहयोग करना।
- स्टाफ के रिकार्ड एवं संबंधित कार्य का संचालन करना।
- बजट का निर्देशानुसार उपयोग करना।
- बिल्डिंग पानी एवं बिजली व्यवस्था संबंधित विभागों के सहयोग से व्यवस्था करना। शासन के निर्देशानुसार समय पर आयोजन, योजना, केम्पस आदि की व्यवस्था करना।
- रोगी कल्याण समिति का संचालन एवं जन सहयोग से चिकित्सालय सेवा, रोगी कल्याण एवं विस्तार की योजना करना व सहमति से उनका क्रियान्वयन करना।
- अपने अधीन डिस्पेंसरियों की क्षमतानुसार व्यवस्था करना।
- सूचना एकत्रित करना एवं प्रचार प्रसार करना।
- विभिन्न संस्थाओं में सहयोग बनाकर समन्वय से विकित्सा सेवायें बनाना।
- शासन या वरिष्ठ आफीसर्स के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

| क्रमांक | विभाग/सेवान | कार्य/कर्तव्य   |
|---------|-------------|---|
| 01.     | प्रशासनिक   | व्यक्तिगत अभिलेखों का संधारण, शिकायत जांच, अवकाश समस्या निराकरण |
| 02.     | एकाउंट्स    | वेतन भर्तों का भुगतान एवं अन्य व्यय बजट प्रावधान अनुरूप         |
| 03.     | स्टोर       | दवा उपकरण, सामग्री का भण्डारण मरम्मत इत्यादि                    |
| 04.     | रिकार्ड रूम | ओ.पी.डी. भर्ती मरीज एवं मेडिकल बोर्ड, एम.एल.सी.                 |

**2 (अ). अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी, प्रोग्राम इत्यादि)**

| क्रमांक | नाम                | पदनाम                                 | कार्य                       |
|---------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | डॉ. डी.पी. अग्रवाल | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, | समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय |
| 2.      | डॉ. एन.एल. बुनकर   | चिकित्सा अधिकारी                      | आहरण एवं संवितरण अधिकारी    |
| 3.      | डॉ. डी.सी. अग्रवाल | चिकित्सा अधिकारी                      | स्टोर प्रभारी               |

## ब. अधिकार (प्रशासनिक, वित्तीय)

| क्रमांक | नाम                | पदनाम                                | कार्य   |
|---------|--------------------|--------------------------------------|---|
| 1       | डॉ. डी.पी. अग्रवाल | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | देयकों की स्वीकृति भुगतान द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का निराकरण<br>2/ क्रय 25,000 (रु. पच्चीस हजार तक की ) |

### 3. निर्णय लेने की प्रक्रिया

#### (अ) निर्णय लेने की प्रक्रिया

- आपातकालीन एवं तात्कालिक कार्यों का निर्णय स्वयं के द्वारा लिया जाता है।
- अधीनस्थ एवं संबंधित स्टाफ द्वारा फाइल की जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

संबंधित नस्तियाँ कार्यालय से तैयार कर अधीक्षक से सिविल सर्जन को निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाती है। उन प्रकरणों पर जहाँ निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तर पर है उसके लिये प्रकरण को आवश्यक ठीप सहित संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को प्रस्तुत की जाती है।

#### (ब) पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी :-

संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास एवं कलेक्टर

किस अधिकारी को रिपोर्ट करें-

तदैव

### 4. कार्य संपादन के लिये मापदंड

- आपात/आकस्मिक कार्य तत्काल
  - शेष कार्य एक सप्ताह के अन्दर
  - कार्यालयीन कार्य नियमानुसार
  - गुणवत्ता चिकित्सालय की समिति द्वारा निर्धारित
  - लक्ष्य निर्धारण नहीं है वरिष्ठ कार्यालय द्वारा होता है।
- कार्यालय में रखे जाने वाले या कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन कार्य संपादन में नियम कायदे, मैनुअल, रिकार्ड

नियम

- प्रचलित म.प्र. शासन के नियम।

- मैनुअल  
सरकुलर
- पूर्व प्रथा एवं परंपरा अनुसार ।
  - सरकुलर की नस्ती है ।

#### 7. विभिन्न श्रेणी के डाक्यूमेंट जा कार्यालय में रखे जाते हैं

- |                    |   |                           |
|--------------------|---|---------------------------|
| योजना डाक्यूमेंट   | - | राजधानी परियोजना प्रशासन/ |
| बजट डाक्यूमेंट     | - | लोक निर्माण विभाग द्वारा  |
| वित्तीय डाक्यूमेंट | - | कार्यालयीन रिकार्ड        |
| असेट्स डाक्यूमेंट  | - |                           |

#### 7. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के स्तर पर नीति निर्धारण व कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये, रोगी कल्याण समिति के अतिरिक्त, कोई व्यवस्था नहीं है । रोगी कल्याण समिति के सदस्यों, कार्य और दायित्व शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार है ।

#### 8. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जिला स्तर पर कोई बोर्ड, परिषद या अन्य निकाय का गठन नहीं किया गया है ।

#### 9. व 10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची एवं उनके मासिक पारिश्रमिक पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

#### 1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान :

##### बजट प्रावधान वर्ष 2005-2006

(राशि रूपये लाख में)

| मद क्रमांक | मद का नाम                | स्वीकृत बजट प्रावधान |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 001        | वेतन                     | 120.00               |
| 003        | महंगाई भत्ता             | 63.00                |
| 006        | मकान किराया भत्ता        | 4.50                 |
| 008        | अन्य भत्ते               | 3.50                 |
| 009        | चिकित्सा प्रतिपूर्ति     | 1.00                 |
| 011        | त्योहार अग्रिम           | 0.10                 |
| 012        | वापसी- यौहार अग्रिम      | (-) 0.10             |
| 016        | अनाज अग्रिम              | 0.80                 |
| 017        | वापसी- अनाज अग्रिम       | (-) 0.80             |
| 12         | मजदूरी                   | 22.00                |
| 21         | यात्रा भत्ता             |                      |
|            | 001-यात्रा भत्ता दौरे पर | 0.50                 |

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 22 | <b>कार्यालय व्यय</b>                    |               |
|    | 001-डाक तार व्यय                        | 0.05          |
|    | 002-दूरभाष                              | 0.80          |
|    | 003- फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण         | 0.05          |
|    | 004-पुस्तकें                            | 0.10          |
|    | 005-बिजली एवं जल प्रभार                 | 65.00         |
|    | 006-वर्द्धी                             | 0.50          |
|    | 007-लेखन सामग्री                        | 0.50          |
|    | 008-अन्य आकर्षिक व्यय                   | 2.00          |
|    | 009-पेट्रोल तेल                         | 4.00          |
| 31 | <b>व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ</b> |               |
|    | 003-अभिभाषकों की फीस                    | 0.10          |
| 33 | <b>अनुरक्षण कार्य</b>                   |               |
|    | 001-रथाई संपत्तियों का अनुरक्षण         | 45.00         |
| 34 | <b>सामग्री एवं प्रृतियाँ</b>            |               |
|    | 002-दवाईयों का क्रय                     | 100.00        |
|    | <b>कुल योग :</b>                        | <b>432.90</b> |

12. सबसिडी कार्यक्रम की जानकारी : निरंक
13. संचालक, कमल नेहरू चिकित्सालय के कार्यालय द्वारा कोई परमिट या रियायत आदि नहीं दी जाती है।
14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें :-  
कम्प्यूटर उपलब्ध है कुछ कार्य मेन्युअल व कुछ कार्य कम्प्यूटर से कराया जा रहा है।
15. जनता द्वारा कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिये सुविधायें :-  
सूचना का अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र का बोर्ड मुख्य द्वार के पास लगाया गया है, कम्प्यूटर, बेवसाईट, इन्टरनेट इत्यादि उपलब्ध है।
16. कार्यालय के जनसूचना अधिकारी का नाम, और अन्य जानकारी :-

|   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| नाम   | -- | डॉ. संतोष सक्सेना  |
| पदनाम   | -- | सहायक अधीक्षक      |
| टेलीफोन नंबर  | -- | कार्यालय - 2731261 |
| संपर्क का पता - कक्ष क्र. जी-11, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल |    |                    |

17. अन्य कोई सूचना :-

निरंक